राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा

शिक्षक शिक्षा

RSCERT, UDAIPUR

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

RSCERT, UDAIPUR

राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2023

शिक्षक-शिक्षा

RSCERT UDAIPUR

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

उदयपुर – राजस्थान

वर्ष - 2023

© **सर्वाधिकार सुरक्षित :** राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् , उदयपुर द्वारा राजस्थान सरकार, स्थानीय शिक्षक एवं प्रतिभागी सँस्थाओं के सहयोग से तैयार किए गए इस दस्तावेज के किसी अंश, चित्र, सामग्री का उपयोग एवं पुन:मुद्रण बिना किसी लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकता है । इस संदर्भ में समस्त अधिकार आर.एस.सी.ई आर.टी.उदयपुर के पास सुरक्षित है।

RSCERT,UDAIPUR

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
उदयपुर – राजस्थान

संदेश

राज्य संचालन समिति के अध्यक्ष की कलम से.....

मैं अत्यंत गर्व और संतुष्टि के साथ राज्य संचालन समिति की ओर से राज्य की शिक्षा-व्यवस्था के लिए विकसित की गई राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (एससीएफ) शिक्षक-शिक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय समाज को 21वीं सदी की चुनौतीपूर्ण माँगों को पूरा करने के लिए तैयार करने की एक परिवर्तनकारी पहल है। यह राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (एससीएफ) एनईपी 2020 के प्रमुख घटकों में से एक है, जो अपने लक्ष्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोण के अनुरूप अपेक्षित परिवर्तन को सक्षम और सक्रिय करता है। इसका उद्देश्य हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जो संविधान में वर्णित समतामूलक, समावेशी और बहुलतावादी समाज की परिकल्पना को साकार करने के अनुरूप है।

राजस्थान अग्रणी राज्य है जहाँ निर्धारित पहचान प्रक्रिया के माध्यम से SCF निर्माण के लिए लेखन समूह के प्रतिभागियों को चयनित किया गया। इन सभी में विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं में 25 पोजीशन पेपर तथा पाठ्यचर्या विकास के चरणों पर लेखन कार्य किया गया। साथ ही, हमने राज्य और ज़िला स्तर पर NCERT के दिशानिर्देशों के अनुसार परामर्श एवं सर्वे आयोजित किए। इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों और अभिभावकों सहित इच्छुक नागरिकों,शिक्षकों और शिक्षाविदों और संस्थानों की भागीदारी रही है। इससे राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए हैं।

यह राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा राज्य के शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में एक व्यापक शिक्षक-शिक्षा प्रणाली संचालित करके सेवा-पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों, प्रशिक्षकों आदि में व्यावसायिक उन्नयन, गुणों और कौशलों को विकसित कर राज्य में गुणवत्ता शिक्षा के नए प्रतिमान स्थापित करने में सफल होगा।

मैं राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा विकास में सभी योगदानकर्ताओं के प्रति अपनी व्यक्तिगत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। विशेषतः राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा के लिए गठित राज्य संचालन समिति के सदस्य, फोकस समूह, तकनीकी टीम, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सदस्य जिनके अथक प्रयासों से यह कार्य पूर्ण हो सका।

आशा है, यह एससीएफ राज्य की शिक्षा-व्यवस्था को न केवल आज बल्कि आने वाले दशकों तक नई ऊँचाइयाँ देने के लिए युगांतकारी साबित होगा।

(कृष्ण कुणाल)
अध्यक्ष, एससीएफ राज्य संचालन समिति
एवं शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,भाषा,
पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज
(प्रारंभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान सरकार

RSCERT, UDAIPUR

आभार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा NCERT के द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (SCF) विकास का कार्य किया गया है, जो चार पहलुओं पर केंद्रित हैं : प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education – ECCE), विद्यालयीय शिक्षा (School Education), वयस्क शिक्षा (Adult Education) तथा शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) ।

इन सभी SCF का मुख्य उदेश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए सुझावों के अनुसार राज्य के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आरएससीईआरटी द्वारा विकसित किए ये सभी SCF राज्य की पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक की स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षकों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण तथा वयस्क शिक्षा के लिए दिशा तय करेंगे।

यहाँ उल्लेखनीय है कि पूर्व के वर्षों में पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) को विकसित किया जाता रहा है और तदनुसार राज्य अपने लिए एक SCF को तैयार करते थे। यह पहला अवसर है कि राज्य स्तर पर पहले राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की गई है। राज्य के लिए विकसित पाठ्यचर्या रूपरेखा में अधिकाधिक लोगों के अनुभव, विचार एवं सुझावों को शामिल कर राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा को विकसित किया गया है।

आरएससीईआरटी राज्य की अकादमिक संस्थान है। अतः इन फ्रेमवर्क को बनाने की जिम्मेदारी आरएससीईआरटी की रही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार SCF विकास के लिए राज्य स्तरीय तीन स्टयरिंग कमेटियों का गठन किया गया। जिनकी प्रभावी अनुशंसाओं और अनुमोदन के अनुसार इन चारों पाठ्यचर्या रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है।

आरएससीईआरटी को इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए सहयोग के लिए मैं एससीएफ राज्य संचालन समिति के अध्यक्ष एवं शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग ,राजस्थान सरकार का उनके कुशल नेतृत्व और अमूल्य सुझावों के लिए विशेष आभार प्रकट करती हूँ।

साथ ही, एससीएफ राज्य संचालन समिति के सम्मानित सदस्यों, शिक्षाविदों, विभागीय अधिकारियों, लेखन समूह के सदस्यों,शिक्षकों, नागरिकों और कर्मचारियों से मिली तकनीकी सहायता एवं बहुमूल्य फीडबैक के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ।

इस कार्य में तकनीकी और वित्तीय सहयोग के लिए यूनिसेफ तथा अकादमिक समर्थन के लिए इग्नस पहल की टीम का आभार। सहयोगी संस्था अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन, पिरामल फाउण्डेशन, टाटा ट्रस्ट, रूम टू रीड इण्डिया ट्रस्ट, सेव द चिल्ड्रन, स्टरलाइट फाउण्डेशन,क्षमतालय, सेन्टर फोर माइक्रो फाइनेन्स को इस कार्य में अकादमिक सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद।

अंत में, शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, आरएससीईआरटी के सभी अकादमिक अधिकारियों एवं कार्मिकों का आभार, जिन्होंने राज्य के लिए विकसित राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (SCF) को अंतिम स्वरूप में लाने के लिए अथक प्रयास किया।

(कविता पाठक) RAS
निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

RSCERT, UDAIPUR

विषयवस्तु – सूची

राजस्थान राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा – शिक्षक-शिक्षा

क्रम	विषयवस्तु	पृष्ठ-संख्या
	प्राक्कथन	8
1	परिचय – प्रस्तावना	9-13
	खंड - अ : शिक्षक-शिक्षा की संकल्पना के आधार	
2	शिक्षक-शिक्षा के लिए विज़न	16-22
3	राजस्थान में शिक्षक-शिक्षा का शैक्षिक परिदृश्य: ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ	23-28
4	वर्तमान ज़रूरतों के संदर्भ में राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा	29-35
5	शिक्षक-शिक्षा – प्रमुख सैद्धांतिक आधार	36-39
	खंड – ब : शिक्षक-शिक्षा का स्वरूप एवं कोर्स	
6	शिक्षक-शिक्षा का स्वरूप एवं कोर्स	42-51
7	शिक्षक-शिक्षा में शिक्षण विधियाँ एवं नवाचार	52-60
8	समतामूलक और समावेशी शिक्षा	61-66
9	शिक्षक-शिक्षा का आकलन और मूल्यांकन	67-74
	खंड - स : शिक्षक-शिक्षा का क्रियान्वयन	
10	व्यवस्थागत क्रियान्वयन	77-91
11	अगले कदम	92-93
	संदर्भ सूची	94-95
	Acknowledgements	96-99

RSCERT, UDAIPUR

प्राक्कथन

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। अगली पीढ़ी को ज्ञान और कौशल प्रदान करना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इस नेक प्रयास के अनुसरण में, राजस्थान राज्य सरकार शिक्षक-शिक्षा के लिए नव विकसित राजस्थान राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत करने में बहुत गर्व महसूस करती है। यह व्यापक ढाँचा शिक्षक-शिक्षा के लिए एक समग्र और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है जो हमारे सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षार्थियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा कर उन्हें तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में पनपने के लिए सक्षम बनाता है।

जैसे ही हम 21वीं सदी में कदम रख रहे हैं, हमारी दुनिया तकनीकी प्रगति, आर्थिक बदलाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान द्वारा संचालित अभूतपूर्व परिवर्तनों से गुजर रही है। इस नए युग की चुनौतियों और अवसरों के लिए एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की आवश्यकता है जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, अनुकूलनशीलता और सहानुभूति को बढ़ावा दे। हम यहाँ जो पाठ्यचर्या ढाँचा प्रस्तुत कर रहे हैं वह शिक्षकों, प्रशिक्षकों, विशेषज्ञों, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों, अभिभावकों और छात्रों के साथ व्यापक शोध, परामर्श और सहयोग का परिणाम है। यह एक गतिशील और प्रासंगिक शिक्षण अनुभव बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो छात्रों को पहचान और मूल्यों की मजबूत भावना बनाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। राजस्थान राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक समावेशी और शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करती है जो प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्टता को पहचानती है। यह विभिन्न शिक्षण शैलियों, क्षमताओं और रुचियों को पूरा करते हुए व्यक्तिगत शिक्षण मार्गों पर जोर देता है। हमारा लक्ष्य न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी का भी पोषण करना है। शैक्षणिक विषयों, सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों और व्यावहारिक अनुभवों के संतुलित एकीकरण के माध्यम से हमारा लक्ष्य आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना है। इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक-शिक्षा की संकल्पना की गई है।

इस ढाँचे में, हम सीखने के सूत्रधार और परिवर्तन के वाहक के रूप में शिक्षकों की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार करते हैं। हम उनके व्यावसायिक विकास में निवेश करने, उन्हें नवीन शिक्षण प्रथाओं को लागू करने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता को पहचानते हैं। हमारा दृष्टिकोण एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ शिक्षकों को प्रेरणा, समर्थन और महत्त्व दिया जाए जिससे एक सकारात्मक प्रभाव पैदा हो जिससे शिक्षार्थियों की पीढ़ियों को लाभ हो।

इसके अलावा, यह पाठ्यचर्या ढाँचा डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षा में इसकी भूमिका के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को अपनाता है। हम प्रौद्योगिकी को सीखने में सक्षम बनाने, बाधाओं को तोड़ने और राज्य के दूरदराज के कोनों में भी शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। साथ ही, हम सही संतुलन बनाए रखने के प्रति सचेत रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रौद्योगिकी ध्यान भटकाने के बजाए सीखने को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करती है।

हम स्वीकार करते हैं कि किसी भी शैक्षिक प्रयास की सफलता सभी हितधारकों – सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदायों और स्वयं विद्यार्थियों - की सक्रिय भागीदारी और सहयोग पर निर्भर करती है। हम सभी से सीखने, जिज्ञासा और रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान करते हैं, जहाँ युवा दिमाग फल-फूल सकें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकें।

जैसे-जैसे दुनिया बदलती रहेगी, वैसे-वैसे हमारी पाठ्यचर्या उभरती जरूरतों के प्रति प्रासंगिक और उत्तरदायी बनी रहेगी। स्कूली शिक्षा के शिक्षकों की शिक्षा के लिए यह राजस्थान राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक स्थिर दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि एक जीवंत खाका है जो समय और अनुभव के साथ विकसित होगा, साथ मिलकर हम विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़े हैं जो राजस्थान के युवाओं को एक विविध, परस्पर जुड़ी और हमेशा बदलती दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है।

⌘❖⌘❖⌘❖⌘

RSCERT, UDAIPUR

अध्याय -1

परिचय-प्रस्तावना

राजस्थान राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क (शिक्षक-शिक्षा) के लिए पाठ्यचर्या शब्द का तात्पर्य शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण के विषयों और सीखने के अनुभवों के नियोजित ढाँचे से है जो एक शैक्षणिक संस्थान या प्रणाली अपने शिक्षार्थियों को प्रदान करती है। इसमें वह ज्ञान, कौशल, अवधारणाएँ और दक्षताएँ शामिल हैं जिन्हें शिक्षार्थियों से उनकी शैक्षिक यात्रा के दौरान हासिल करने की उम्मीद की जाती है। पाठ्यचर्या विकास में शैक्षिक कार्यक्रम की सामग्री और संरचना को डिजाइन और व्यवस्थित करना, सीखने के उद्देश्यों को निर्धारित करना, उचित शिक्षण सामग्री और संसाधनों का चयन करना और मूल्यांकन एवं मूल्यांकन के तरीकों को परिभाषित करना शामिल है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो शैक्षणिक संस्थान के लक्ष्यों और दर्शन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों एवं व्यापक शैक्षणिक प्रणाली या पाठ्यक्रम मानकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है।

पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक मूलभूत संरचना है जो पाठ्यक्रम को डिजाइन करने और लागू करने के लिए प्रमुख घटकों, सिद्धांतों और दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। यह एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है जो शैक्षिक संस्थानों या प्रणालियों को उनकी पाठ्यक्रम सामग्री, निर्देशात्मक रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों और समग्र शैक्षिक लक्ष्यों को व्यवस्थित और विकसित करने में मदद करता है।

राजस्थान राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क (SCF)

राजस्थान राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क (शिक्षक-शिक्षा) दस्तावेज एक व्यापक और विस्तृत गाइडलाइन है जो शिक्षक-शिक्षा प्रणाली को राजस्थान राज्य के सभी विद्यालयों, सेवा-पूर्व व सेवारत शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार, शिक्षा प्रणाली को सेवारत शिक्षकों, भावी प्रशिक्षु शिक्षकों, प्रशिक्षकों, अभिभावकों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए मानदंडी और सुसंगत बनाए रखने का उद्देश्य है। इस करिकुलम फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य एक समर्पित, गुणवत्ता युक्त और संरचित शिक्षक-शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है जो शिक्षकों के शैक्षिक, वैयक्तिक, मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास को संवेदनशीलता के साथ बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करती है।

राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क के निर्माण में, शिक्षक-शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। यह अकादमिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, पेशेवर, और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भावी व सेवारत शिक्षकों के संपूर्ण विकास को संवेदनशीलता के साथ प्रोत्साहित करना है।

1.1. इस करिकुलम फ्रेमवर्क की विशेषताएँ

समाज एवं शिक्षा प्रणाली के विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य में शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और मानकों के आधार पर कार्य करने के लिए एक सुसंगत करिकुलम फ्रेमवर्क का विकास किया गया है। इस नव विकसित राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य एक संघटित, प्रोग्रेसिव और सुसंगत करिकुलम प्रणाली का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य है - भावी व सेवारत शिक्षकों के विकास को संपूर्णता से समर्पित करके उन्हें नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और व्यावसायिक रूप से उनसे की जा रही अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम एवं समृद्ध बनाना।

21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा – राजस्थान स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क (RSCF) में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तत्व

राजस्थान राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क (शिक्षक-शिक्षा) राज्य में भविष्य में विकसित होने वाले शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों, उनके पाठ्यक्रम, अन्य पाठ्य सामग्री आदि में आगे दिए गए सुझावों को प्रमुखता से सम्मिलित किया जाएगा।

RSCERT, UDAIPUR

1. रटंत विद्या से हटकर अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर

जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सिफारिश की गई है, राजस्थान राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा राज्य के विविध स्तर के शिक्षार्थियों के लिए अनुभव-आधारित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धतापूर्ण अनुशंसा करती है।

2. सबके लिए समान शिक्षा

सबको बराबरी के अवसर: एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी बच्चों को औपचारिक एवं स्कूली शिक्षा पाने और सीखने के समान और पर्याप्त मौके दिए जाते हैं। भले ही उनमें कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक, लैंगिक विभिन्नता अथवा चुनौतियाँ क्यों ना हों। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए बिना किसी भेदभाव के, समान रूप से शिक्षा और समाज में अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के अवसर देती है। इस प्रक्रिया में किसी भी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से उसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति अथवा सीमाओं के कारण उसे हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता है बल्कि उसके प्रति सहानुभूति एवं समानुभूति का भाव विकसित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समूहों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

3. स्थानीयता से वैश्विकता की ओर

स्थानीयता से वैश्विकता की ओर प्रवाहित होने वाली शिक्षा पद्धति एक संरचित और समर्पित दृष्टिकोण को आधार बनाती है, जो शिक्षकों को विभिन्न संस्कृतियों, संदर्भों, और वैश्विक मानदंडों के साथ अवगत कराती है। जैसा की वर्तमान नीतियों में कहा गया है – बच्चों की शिक्षा में स्थानीय भाषा और साहित्य, उनके स्थानीय परिवेश के अनुभव आदि को विशेष महत्त्व दिया जाएगा। इस स्थानीय संदर्भों पर आधारित ज्ञान की मदद से वैश्विक संदर्भों और परिस्थितियों का ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलेगी। समय के साथ प्रतिभागियों को अन्य संदर्भों में उभरे विचार व तौर-तरीकों से भी अवगत कराया जाएगा ताकि वे एक समसामायिक रवैया एवं कौशल विकसित कर सकें।

4. विविधता को सम्मान

राजस्थान राज्य के विविध भोगोलिक क्षेत्रों की अपनी आवश्यताएँ, ताकतें, व सांस्कृतिक पहलू हैं। यहाँ विभिन्न धर्म, समुदाय, संस्कृति, परंपरा के मानने वाले निवास करते हैं। यह पाठ्यचर्या राज्य में व्याप्त विविधताओं का पूरा सम्मान करती है। बच्चों के साथ-साथ शिक्षक के लिए विकल्प चुनने की गुंजाइश होगी, जिसे वे अपनी परिस्थितियों में लागू कर सकेंगे।

5. नैतिक और सामाजिक मूल्यों को समावेश

इस करिकुलम फ्रेमवर्क को भावी व सेवारत शिक्षकों को नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक समानता, और विचारशीलता जैसे मूल्यों को समझने और उन्हें विकसित करने के की दृष्टि से विकसित किया गया है। इससे छात्रों में उच्चतम नैतिक मानदंड, संस्कार, और सामाजिक सद्भावना के साथ जीवन जीने की क्षमता विकसित होगी। संवैधानिक मूल्यों पर विशेष ज़ोर रहेगा।

6. निर्भरता से स्वायत्तता की ओर

बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना: छात्रों को सोचने, समस्याओं को समझने, विचारों को विकसित करने विश्लेष्णात्मक योग्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क को विकसित किया गया है। शिक्षण के विभिन्न विषयों (विज्ञान, गणित,

RSCERT, UDAIPUR

साहित्य, भूगोल, इतिहास, आदि) के शिक्षण में इन गुणों के विकास को स्वाभाविक रूप से समाहित किया जा सकेगा। यह उन्हें 21वीं सदी की आवश्यकताओं व परिस्थितियों का सामने करने में सक्षम बनाएगा।

7. सहजीकृत और प्रभावी शिक्षा तकनीक

राजस्थान राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क को शिक्षकों को सहज और प्रभावी शिक्षा तकनीक के माध्यम से अवगत कराने के लिए तैयार किया गया है। इसमें नवीनतम शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सेवा-पूर्व व सेवारत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संगठित, रोचक और समर्पित पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयास किया है। जिन ज़मीनी परिस्थितियों में शिक्षक काम करते हैं, और आगे जिन परिस्थितियों का सामना किया जाना है, वे ध्यान में रखी गई हैं।

8. विषयों के बीच अंतःक्रिया, एकीकरण

शिक्षण के विविध विषयों के बीच अंतरसंबंध को उन विषयों की शिक्षण पद्धतियों में सहजता के साथ एकीकरण के सुझाव इस पाठ्यचर्या में दिए गए हैं – विशेषकर शुरुआती कक्षाओं में।

9. चतुर्दिक और बहुमुखी विकास पर बल

इस पाठ्यचर्या में खेल, संगीत, कला, जीवन कौशल का स्वाभाविक रूप से समावेश किया गया है। यह स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, खेल, योग, रेक्रिएशन और टीम वर्क के माध्यम से छात्रों के शारीरिक विकास को समर्थन करेगा।

राजस्थान राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क को राजस्थानी संस्कृति, ऐतिहासिकता और राष्ट्रीय एकता में छात्रों की भागीदारी को समझाने के लिए संस्कृति और परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय कला, गीत, नृत्य और परंपरागत कार्यक्रम, जीवन कौशल आदि में से विद्यार्थियों को चयन के विकल्प भी यह पाठ्यचर्या उपलब्ध कराएगी। यह पाठ्यचर्या शिक्षकों को इन विभिन्न पहलुओं पर प्रभावाशाली कार्य कर पाने के लिए तैयार करेगी।

10.विविध चरणों की बीच तारतम्यता

प्रदेश की स्कूली पाठ्यचर्या में एफएलएन और ईसीई को विशेष महत्त्व दिया गया है। साथ ही साथ तैयारी चरण, मध्य चरण व माध्यमिक चरण में एक क्रमिक विकास की तारतम्यता रची गयी है। इसी तरह, शिक्षक-शिक्षा में भी इन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

11.प्रौद्योगिकी और अद्यतन

इस फ्रेमवर्क में भावी शिक्षकों को 21वी सदी के कौशलों से लैस करने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा को महत्त्वपूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया है। इसमें शिक्षकों में तकनीकी के व्यावहारिक ज्ञान व प्रयोग को बढ़ाने के सुझाव भी सम्मिलित किए गए है

12.सीखने के लिए मूल्यांकन

फ्रेमवर्क के तहत शिक्षकों के मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट, संगठित और संवेदनशील बनाने के लिए उच्चतम मानकों का पालन किए जाने के सुझाव हैं। इसके लिए सेवारत व सेवा-पूर्व स्तर पर विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों, प्रोजेक्ट्स, प्रदर्शन आधारित मानकों, और अन्य मापदंडों का उपयोग किए जाने की अनुशंसा की गयी है। इसका समावेश शिक्षक-शिक्षा में भाग ले रहे प्रतिभागियों के लिए भी किया जाएगा, ताकि वे इस प्रक्रिया को आगे अपने कार्य में लागू कर पाएँ।

RSCERT, UDAIPUR

13.व्यावसायिक विकास के अवसरों का समावेश

शिक्षक अपने सतत व्यावसायिक विकास व क्षमता संवर्धन के बेहतरीन अवसर प्राप्त कर सकें इसके सुझाव शामिल किए गए हैं।

14.मॉनिटरिंग और सपोर्ट

शिक्षक प्रदर्शन मानकों का उपयोग: बच्चे सीखने के लक्ष्य को हासिल कर सकें, इसके लिए सहयोगात्मक मॉनिटरिंग की व्यवस्था के सुझाव दिए गए हैं। इस हेतु विविध स्तर पर प्रदर्शन के मानक और सूचक विकसित किए जाएंगे।

15.विविध साझेदारों के बीच सहयोग और समन्वयन

शिक्षा के समग्र लक्ष्य को हासिल करने के लिए विविध साझेदारों के बीच सकारात्मक सहयोग और सम्मिलित प्रयास की कोशिश की जाएगी। इस से संबंधित सुझाव अलग-अलग खंडों में शामिल किए गए हैं।

1.2. पाठ्यचर्या ढाँचे की संरचना और प्रस्तुतीकरण

यह फ्रेमवर्क शिक्षक-शिक्षा को निर्देशक मार्ग प्रदान करने के साथ शिक्षक-शिक्षा प्रणाली के स्थापना, प्रगति, और मूल्यांकन में मान्यता प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अंतर्गत, छात्रों को योग्यतापूर्ण पाठ्यक्रम, समयानुक्रम, उचित मूल्यांकन तकनीक, और अनुशासन जैसी महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस फ्रेमवर्क को विभिन्न अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को समेटते हैं। इन अध्यायों में शिक्षा के उद्देश्य, मानक, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षकों की भूमिका, छात्रों की समर्पणता और गुणवत्ता के मानकों का वर्णन किया गया है।

पाठ्यचर्या का ढाँचा तीन खंडों में प्रस्तुत किया गया है -

खंड अ - शिक्षक-शिक्षा की संकल्पना के आधार प्रस्तुत करता है, जिस में शामिल है: शिक्षक-शिक्षा के लिए प्रदेश का विज़न, राजस्थान का ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ जिसमें शिक्षक-शिक्षा को क्रियान्वित करना है, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएँ, और वे सैद्धांतिक पहलू जो शिक्षक-शिक्षा को परिभाषित करते हैं।

खंड ब - यह इस ढांचे का सबसे बड़ा खंड है और शिक्षक-शिक्षा के स्वरूप, उसके लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न कोर्स एवं विधियों को प्रस्तुत करता है। साथ ही शिक्षक-शिक्षा के आकलन और मूल्यांकन पर भी प्रकाश डालता है।

खंड स - यह शिक्षक-शिक्षा के क्रियान्वयन पर केंद्रित है, उसे सफल बनाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को स्पष्ट करता है, साथ ही आने वाले वर्षों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में दिशा देता है।

1.3. इस दस्तावेज की उपयोगिता और उपयोग के तरीके

यह सोच-समझकर तैयार की गई रूपरेखा शिक्षक-शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों, और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी, जो स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्यों और सीखने के परिणामों को रेखांकित करती है। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ, यह शिक्षकों को अपनी सीखने की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अलावा, यह पाठ्यचर्या समावेशिता को प्राथमिकता देता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी शिक्षार्थियों की विविध ज़रूरतें पूरी हों। शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास पर जोर देते हुए, यह उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की प्रतिबद्धता को कायम रखता है।

RSCERT, UDAIPUR

इस पाठ्यचर्या के उपयोग के लिए आगे दी गए सुझावों के अनुसार कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।

a) **साझीदारों और हितधारकों के साथ संवाद:** शिक्षा विभाग के सभी सहयोगी संस्थाओं सहित अन्य संस्थाओं और अभिभावकों एवं समुदाय के साथ मीटिंग और बैठकें करके उनको नवविकसित पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में अवगत कराना। साथ-साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए उनके सुझाव आमंत्रित करना।

b) **पाठ्यक्रम का विकास:** पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आलोक में मौजूदा स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा कर उसमें सुधार करना या नया पाठ्यक्रम विकसित करना।

c) **शिक्षक-सामग्री और अन्य संसाधन विकास:** नए पाठ्यक्रम का समर्थन करने वाले संसाधन और सामग्री – पुस्तकें, मॉड्यूल, कार्यपुस्तिकाएँ, संदर्भ सामग्री, मल्टीमीडिया संसाधन और शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण आदि का विकास और परिमार्जन।

d) **प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास (कोर्स):** शिक्षकों लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के अवसर प्राप्त हों। इसके तहत विविध कोर्स व सेवारत प्रशिक्षण कार्यशालाएँ व सेमिनार के माध्यम से उन्हें प्रमुख अवधारणाओं, सीखने के परिणामों और नियोजित की जाने वाली पद्धतियों को समझने में मदद करेंगे।

e) **शोध, समीक्षा और समर्थन:** नए पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से शोध और समीक्षा की जाए। शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से प्रतिक्रिया एकत्र कर परिणामों का विश्लेषण और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार करते रहना आवश्यक होगा।

⌘❖⌘❖⌘❖⌘

RSCERT UDAIPUR

खंड - अ

विज़न एवं अप्रोच

RSCERT UDAIPUR

खंड – अ

शिक्षक-शिक्षा की संकल्पना के आधार

2.	शिक्षक-शिक्षा के लिए विज़न	
3.	राजस्थान में शिक्षक-शिक्षा का शैक्षिक परिदृश्य : ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ	
4.	वर्तमान ज़रूरतों के संदर्भ में राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा	
5.	शिक्षक-शिक्षा – प्रमुख सैद्धांतिक आधार	

RSCERT, UDAIPUR

शिक्षक-शिक्षा के लिए विज़न

NEP 2020 'शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करने' (NEP 2020, 5.1) के लिए "स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृति में आमूल चूल परिवर्तन करने" की बात करती है "जिसका प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढाना है, ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों से एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सके; जिनका एक साझा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं।" (NEP 2020, 5.8) इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राज्य हेतु निर्मित यह शिक्षक-शिक्षा पाठ्यचर्या एक व्यापक खाका प्रस्तुत कर रही है। यहाँ शिक्षकों कि भूमिका, उनके गुणों और कौशलों के साथ ही कक्षा-कक्ष के माहौल तथा शिक्षण प्रक्रियाओं, गतिविधियों/प्रयोगों की वकालत करती है। यहाँ उल्लेखित प्रस्तावों और प्रक्रियाओं के सुचारु रूप से लागू तथा क्रियान्वयन होने से हम सेवा-पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों में निम्नलिखित गुणों और कौशलों को विकसित होते हुए देख सकेंगे।

1. मानवीय तथा संवैधानिक मूल्य

सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं में संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था और विश्वास होगा। वे अपने स्कूल तथा कक्षा के सभी बच्चों के साथ समानता और बराबरी का व्यवहार करेंगे। साथ ही उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं का ध्यान भी रखेंगे। वह वंचित वर्ग के बच्चों, लड़कियों, विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझेंगे। एक संवेदनशील शिक्षक-शिक्षिका के रूप में काम करते हुए अपनी कक्षा के बच्चों कि जरूरतों को पहचान कर अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप सहयोग करेंगे।

विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक विविधताओं तथा उनके प्रभावों की समझ रखते हों और साथ ही इन विवधताओं का सम्मान करते हों। शिक्षण प्रक्रियाओं में स्थानीय भाषा, संस्कृति, कला व मूल्यों का समावेश कर पायें। वह समुदाय की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता रखते हों व उत्तरदायित्व के प्रति सजग हों।

समानुभूति एक शिक्षक के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक कौशल का आधार है। अत: सेवा-पूर्व प्रशिक्षण में मूल्य शिक्षा का समावेश सार्थक होगा (पोजिशन पेपर, RSCF 2023)। विविध पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों। लोकतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हों तथा उन्हें अपने विद्यालय के साथ व्यक्तिगत जीवन में परिलक्षित करते हों।

2. ज्ञान की रचना के बारे में समझ

ज्ञान को नए परिप्रेक्ष्य में समझ सकेंगे। ज्ञान किसी को लेने या देने की वस्तु नहीं है, और न ही बच्चे खाली घड़े हैं जिन्हें ज्ञान से भरना है। बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में उन्हें शिक्षक से सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षक-शिक्षिकाएँ यह समझ सकेंगे कि ज्ञान निर्माण कि प्रक्रिया में बच्चों के अनुभवों और उस अनुभव पर आधारित चिंतन की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अतः शिक्षक-शिक्षिका अपनी कक्षा की शिक्षण प्रक्रियाओं में बच्चों के अनुभवों और चिंतन को ज्यादा से ज्यादा जगह देंगे। उन्हें अपने विचारों, अनुभवों, भावनाओं, सवालों और शंकाओं को अभिव्यक्त करने के लिए सहज माहौल का निर्माण करेंगे।

3. सीखने के सिद्धांत व सामान्य शिक्षण शास्त्र

शिक्षक-शिक्षिकाएँ यह समझ सकेंगे कि बच्चों, किशोरों और वयस्कों के सीखने के तौर-तरीके अलग-अलग हैं। वे सभी आयु वर्ग तथा सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ एक जैसी प्रक्रियाएँ और तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे आयु अनुरूप शिक्षण सिद्धांतों की समझ के साथ अपनी शिक्षण योजनाओं पर काम करेंगे। साथ ही समग्र उपागम एवं मेटा लर्निंग प्रक्रिया के प्रयोग से भावी शिक्षकों में अनुभव का पुनर्निर्माण कर स्व-अधिगम की प्रेरणा प्राप्त होगी।

RSCERT, UDAIPUR

4. विषयों के प्रति अप्रोच और विषय-विशिष्ट शिक्षण शास्त्र

शिक्षक विषय की प्रकृति के अनुसार अपनी शिक्षण विधि को ढाल पाएंगे। वे यह भी जानेंगे कि प्रत्येक विषय में क्या महत्त्वपूर्ण है और उससे जुड़े उच्च-स्तरीय अधिगम उद्देश्यों से परिचित होंगे। इसके लिए वे उपयुक्त शिक्षण के तरीका अपनाएंगे। वे यह भी जानेंगे कि विषय का जीवन से क्या संबंध है और शिक्षण के दौरान उसे उभार पाएंगे।

यह सब सफलतापूर्वक कर पाने के लिए शिक्षक के पास न सिर्फ अपने विषय, शिक्षण प्रक्रिया के समस्त पक्षों, बाल मनोविज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए बल्कि अपनी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए स्वयं पूरी तरह सजग भी होना चाहिए। वह अपनी सीमाओं और चुनौतियों को पहचान कर निरंतर सीखता रहे, साथ ही अपने कौशलों व ज्ञान में वृद्धि करता रहे। अपने कार्यस्थल संबंधी स्वतंत्र व स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम हो।

5. विषयवस्तु और शिक्षण शास्त्र

शिक्षक-शिक्षिका यह समझ सकेंगे कि उन्हें अपनी विषयवस्तु और अवधारणात्मक समझ को लगातार और बेहतर करते रहने की आवश्यकता है। वे किसी भी विषय के शिक्षण के साथ निहित सीमित और व्यापक उद्देश्यों को समझेंगे बल्कि आकलन के दौरान उन दक्षताओं और कौशलों की भी पहचान कर सकेंगे जिसके लिए यह पाठ्यचर्या बनाई गई है। पाठ्यचर्या की व्यापक समझ के साथ कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य कर सकेंगे, विषयों के बीच अपेक्षित संबंध स्थापित कर पाएंगे। साथ ही अपने विषयगत ज्ञान और अनुभव की सहायता से बच्चों के सीखने के लिए सरल, सहज माहौल भी बनाकर रखेंगे।

6. आधुनिक विचारों, सामग्री और तकनीकी का उपयोग

आधुनिक समय कि आवश्यकताओं, चुनौतियों, नए विचारों और उपलब्ध संसाधनों को समझेंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए तथा संसाधनों का उपयोग करते हुए स्वयं भी नया सीखेंगे और अपनी कक्षा के बच्चों को भी ज्ञान निर्माण कर पाने में सहयोग करेंगे। आधुनिक तकनीकि तथा संसाधनों का उपयोग करके अपने काम से जुड़े दस्तावेजीकरण, कक्षा-कक्ष शिक्षण प्रोऔर शैक्षिक प्रबंधन जैसे कामों को कम समय और ऊर्जा व्यय कर ज्यादा व्यवस्थित ढंग से कर सकेंगे।

शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का आवश्यकतापूर्ण व न्यायोचित इस्तेमाल कर सकेंगे। भविष्य में महामारी व आपातकाल के दौर में विद्यालय एवं समुदाय को जोड़ने वाली एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एवं सूचना तकनीकी (ICT) के शिक्षकों को प्रशिक्षित कर तैयार करने पर ध्यान आकर्षित हुआ है। ''प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुँच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएँ आदि सम्मिलित हैं।'' (NEP 2020, 23.5) इससे आगे बढ़ कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कृत्रिम बुद्धिमता (AI) के क्षेत्र में अनुसंधान पर भी जोर देती है।

7. आकलन तथा मूल्यांकन

शिक्षक अपनी शिक्षण योजना का निर्माण कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में किसी भी अवधारणा का अर्थ और दैनिक जीवन से उसका जुड़ाव को समझ सकेंगे।

इस अवधारणा या विषयवस्तु का शैक्षिक उद्देश्यों से संबंध, इसे सीखने-समझने के लिए एक से अधिक कारगर तरीके, बच्चों की समझ और दक्षताओं का आकलन करना समझ सकेंगे। बच्चों के अधिगम स्तर की सही जानकारी प्राप्त कर उनके लिए ज्यादा बेहतर शिक्षण योजना बना सकेंगे। सतत एवं व्यापक आकलन के महत्त्व और प्रक्रिया को समझ कर आकलन कर सकेंगे। इस आकलन से प्राप्त नतीजों का विश्लेषण कर आगे के काम के लिए उपयुक्त योजना निर्माण कर सकेंगे।

8. नीतियों और योजनाओं के उद्देश्यों की समझ

समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं और नीतियों के उद्देश्यों को समझ सकेंगे। इन्हें लागू करने तथा समुदाय को इनका महत्त्व समझाने में भी मदद करेंगे। बच्चों की शिक्षा, पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को समझ कर विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे।

RSCERT UDAIPUR

9. आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारी

आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति सचेत और तैयार रहने की आवश्यकता को समझ सकेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे आपस में एकजुट रहते हुए और बेहतर योजना के साथ काम कर तय उद्देश्यों कि प्राप्ति की तरफ बढ़ सकेंगे, यह समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए कोविड जैसी स्थिति में कैसे बच्चों की शिक्षा जारी रह सकेगी।

10.समुदाय के प्रति जवाबदेही और तालमेल

अपने आस-पास के समाज की बोली, भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाजों को समझेंगे। इन्हें समालोचनात्मक नजरिए से देखते हुए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त विकल्पों का चयन कर सकेंगे । कुछ रीति-रिवाज और परंपराओं का विरोध करने की आवश्यकता भी आ सकती है या समुदाय से ऐसा ज्ञान या कौशल भी मिल सकता है जो कक्षा-कक्ष के लिए उपयोगी हो। उदाहरण के लिए स्थानीय खेती के तरीके, उन्नत बीजों का चयन और उनका रख -रखाव आदि ।

वह वंचित वर्ग के बच्चों, लड़कियों, विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझ, उनके प्रति संवेदनशील हो, उनकी जरूरतों के अनुसार उन्हें मदद कर सकेंगे ।

शिक्षकों के बारे में विज़न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रस्तावित स्कूली शिक्षा के नए ढाँचे 5+3+3+4 को ध्यान में रख कर हमें अलग-अलग स्तर के लिए अलग-अलग गुणों और कौशलों से युक्त शिक्षक तैयार करने की आवश्यकता है। राजस्थान राज्य के लिए प्रस्तावित यह शिक्षक-शिक्षा पाठ्यचर्या शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और समुदाय की भूमिकाओं के लिए भी एक व्यापक दृष्टि रखता है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं।

1. फाउंडेशनल स्टेज

a. इस स्टेज में 3 साल से 7 साल तक की आयु के बच्चे शामिल हैं। इतने छोटे बच्चों के साथ बहुत ही बुनियादी काम करने की आवश्यकता है।

b. बुनियादी कौशलों और दक्षताओं को अर्जित करने के लिए ठोस अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है।

c. इस स्तर पर काम करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को धैर्यवान, सहज और बच्चों से प्यार करने वाला होना चाहिए। अतः बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समझ कर काम करने के लिए तैयार किया जाएगा।

d. हाव भाव से बाल-गीत तथा कहानियाँ सुनाने के कौशल पर काम किया जाएगा। इसके महत्त्व और उद्देश्यों पर भी समझ बनाई जाएगी।

e. यहाँ गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL-Activity Based Learning) शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण विधि को प्रमुखता से शामिल करें।

2. प्रेपरेटरी स्टेज

a. इस स्तर पर विद्यार्थी बहुत ही संवेदनशील होता है। शिक्षकों को उसकी भावनात्मक जरूरतें भी पूर्ण करनी होती है अतः शिक्षकों को शिक्षार्थियों से समानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है।

b. सामान्य शिक्षण योजना के साथ ही बच्चों की मानसिक विशेषताओं के आधार पर शिक्षण योजना बनाए।

c. तकनीक के नवीन आयामों को समझकर कक्षा-कक्ष में उपयोग करें।

d. विद्यालय एवं समुदाय के मध्य अहम कड़ी की भूमिका का निर्वहन करें।

e. बच्चों की मातृभाषा को सम्मान दें। कक्षा में इसका उपयोग करें।

f. स्थानीय ज्ञान, गीत, कहानियाँ, पहेलियाँ और कौशलों का उपयोग सीखने-सिखाने में करें।

g. सामाजिक-संस्कृति और परिवेश के प्रति जागरूक रहें तथा संवैधानिक मूल्यों में विश्वास बनाएँ ।

h. गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) के माध्यम से कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करें।

RSCERT, UDAIPUR

3. मिडिल स्टेज

a. शिक्षक इस स्तर पर अपनी कक्षा कक्ष में पियर लर्निंग को अंतर अनुशासनात्मक (inter-disciplinary) शिक्षण के लिए प्रयुक्त करवाएँ।

b. शिक्षक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक वस्तु को विकसित करने हेतु कक्षा-कक्ष स्तर पर अनुसंधान करवाने की क्षमता विकसित करें।

c. शिक्षार्थियों में मूल्यों के विकास हेतु विभिन्न गतिविधियाँ, जैसे बाल संसद, पंचायत, आदि का आयोजन करवाएँ।

d. शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से स्थानीय ज्ञान एवं स्थानीय संस्कृति से अवगत करवाएँ।

e. शिक्षक अधिगमकर्ता के विचारों, संस्कृति परिवेश, कक्षा विविधता को देखते हुए ई-कंटेंट का निर्माण स्वयं ही करें।

f. शिक्षार्थियों में प्रासंगिक प्रश्न उठाने की कला, विचार मंथन, सक्रिय भागीदारी, संवाद, आदि का विकास करें।

g. प्रयोगशाला के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पुस्तकालय के माध्यम से पढ़ने की आदत, कविता, एवं खेल के मैदान से शारीरिक विकास की उपयोगिता समझाएँ।

h. बाल संसद, बाल पुस्तकालय, बाल समिति के माध्यम से सामूहिक कार्य करने की आदतों का निर्माण/ विकास करें।

i. इस स्तर पर परियोजना आधारित शिक्षण (Project based Learning) करायें।

4. सेकेंडरी स्टेज (माध्यमिक शिक्षक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक)

a. विद्यार्थी के साथ अंतर-व्यैक्तिक संबंध स्थापित कर लोकतांत्रिक वातावरण के निर्माण की समझ: विभिन्न गतिविधियों, जैसी चुनाव घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद मतदान की बात, संविधान की प्रस्तावना का पठन, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर मॉक-संसद या विधानसभा सत्र का आयोजन करवाना।

b. विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों के अनुरूप सीखने में सहायक गतिविधियों का नियोजन, गतिविधियों के अनुसार सही समय का नियोजन, सुनिश्चित भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

c. बदलते परिप्रेक्ष्य में उचित शिक्षण विधि एवं प्रविधि का अनुप्रयोग, सीखने में सहायक संसाधनों एवं विद्यार्थियों की प्रगति वह मूल्यांकन की अवधारणा, विषय-वस्तु और तकनीकी की समझ विकसित करना।

d. शिक्षार्थी के लिए स्व-मूल्यांकन स्व-विश्लेषण-परक अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना।

e. शिक्षक स्वयं भी सतत् आत्म-अवलोकन कर स्व-प्रतिपुष्टि कर, अपने अनुभवों को सहकर्मियों से साझा करें।

f. शिक्षक भविष्य की तैयारी एवं स्वयं को समृद्ध करने हेतु विभिन्न सेमिनार, ओपन प्लेटफार्म, अल्पकालीन पाठ्यक्रम तथा स्वयं पोर्टल से अपना व्यावसायिक विकास भी करें।

g. परंपरागत व्यवस्थाएं चयन विकल्प के लिए छात्रों को प्रेरित करना एवं आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल अद्यतन करने के लिए प्रेरित करना, जैसे किराना व्यवसाय में ऑनलाइन ऑर्डर लेना, कृषि में नवीन तकनीक का इस्तेमाल आदि।

h. विषय चयन में शिक्षा के लिए सुविधा प्रदाता की भूमिका का निर्वहन करें, इसके लिए विद्यार्थियों की रुचि व क्षमताओं को जानकर व्यक्तिगत रूप से परामर्श एवं निर्देशन देवें। इस परामर्श एवं निर्देशन हेतु सफल छात्रों की वार्ता एवं राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का सहयोग लिया जा सकता है।

i. विद्यार्थियों में वर्तमान में समुदाय की आवश्यकता एवं समानता के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाएँ।

j. विद्यार्थियों में आवश्यक कौशलों का विकास करें।

k. विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन की ओर प्रेरित करें।

l. भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है, इसकी पूर्व तैयारी करवाएँ।

m. विद्यार्थियों को छोटे-छोटे प्रोजेक्ट देखकर प्रयोग, अवलोकन, विश्लेषण के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करें।

n. विद्यार्थियों में भाषाई अभिव्यक्ति, कविता, कहानी, लेखन कौशल, लेख की समीक्षा, गद्य-पद्य में अंतर कर सकना आदि कौशलों का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करें।

RSCERT, UDAIPUR

o. इस स्तर पर गतिविधि आधारित शिक्षण को परियोजना कार्य के रूप में शामिल करें।

प्रशिक्षु शिक्षक के बारे में विज़न

a. शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को समझते हुए बहुविषयक दृष्टिकोण रखते होंगे।

b. विषयवस्तु और शिक्षण शास्त्र की अच्छी समझ रखते होंगे तथा इस क्षेत्र आ रहे नए ज्ञान, शोध और अनुसंधानों की समझ रखते होंगे।

c. आकलन और प्रतिपुष्टि की व्यापक समझ रखते होंगे, साथ ही दस्तावेजीकरण के महत्त्व को समझते होंगे। अपने साथी द्वारा तथा स्व-मूल्यांकन के तरीकों को समझते होंगे। आपस में एक दूसरे से मिलने वाले फीडबैक के महत्त्व को समझते होंगे।

d. संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्थावान होंगे, साथ ही समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखते होंगे। शिक्षा में समावेशन के विचार को समझते होंगे। विविध प्रकार की आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के साथ संवेदनशील होंगे।

e. शिक्षा में नेतृत्व तथा प्रबंधन के महत्त्व को समझते होंगे। साथ ही प्रभावी सम्प्रेषण करते होंगे। अपने पेशे से जुड़ी आवश्यक दक्षताओं, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, प्रभावी सम्प्रेषण एवं प्रस्तुतिकरण की दक्षताओं का विकास करने में सहायक होंगे। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित इंटर्नशिप कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करते होंगे।

f. नई तकनीकी के उपयोग में दक्ष होंगे। अपने कक्षा-कक्ष में उपयोग करते होंगे तथा अपने विद्यार्थियों को भी सीखने में मदद करते तथा अवसर देते होंगे।

g. सीखने के सिद्धांतों और शिक्षण शास्त्र की अच्छी समझ रखते होंगे। अपने विद्यार्थियों को स्वयं कर के जाँचने और परखने के अवसर देते होंगे।

h. नए विचारों, शोध अध्ययन से परिचित होंगे तथा शोध और अनुसंधान के तरीकों को समझते होंगे। समुदायिक अधिगम सम्बंधित प्रोजेक्ट व क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करते होंगे। अपने विद्यार्थी को राष्ट्र निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार कर सकेंगे।

i. शिक्षा और विकास से जुड़ी नई नीतियों और योजनाओं के महत्त्व को समझते होंगे।

j. समुदाय के साथ बेहतर संबंध और तालमेल रखते होंगे। समुदाय के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके तथा विद्यार्थी समाज के सुधार हेतु अपनी सक्रीय भागीदारी निभा सकें।

2.1. शिक्षक-शिक्षा के लिए काम कर रही संस्थाओं के बारे में हमारा विज़न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जिस तरह के शिक्षकों की अपेक्षा की जा रही है, वैसे शिक्षकों को तैयार करने तथा उन्हें लगातार संबलन देने में शिक्षक-शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए काम करने वाली संस्थाओं के काम करने के तौर-तरीकों में भी काफी बदलाव लाना है। निम्नलिखित बिन्दु इस विज़न को स्पष्टता देते हैं।

1. **सीखने-सिखाने का माहौल :** सभी विद्यार्थियों के लिए सहज और स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराएंगे । अच्छे और अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकों के निर्देशन में और अपने सहपाठियों से साथ मिल-जुल कर विषयवस्तु, शिक्षण शास्त्र और शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग को सीखने-समझने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। संस्थान शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए शोध, अध्ययन, कार्यशालाएँ, सेमीनार, प्रोजेक्ट, आदि करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

2. **आवश्यक संसाधन और उपकरण :** मूलभूत सुविधाओं – कक्ष, शौचालय, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ई-शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय, आदि – से युक्त संस्थान होगा। इन सबका इस्तेमाल करते हुए बेहतर सीखने के अवसर बनाने और सही मार्गदर्शन देने वाले दक्ष विषय विशेषज्ञ होंगे।

RSCERT UDAIPUR

3. **समावेशन :** शिक्षा में समावेशन के विचार को व्यवहार में लाएंगे। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पृष्ठभूमि, जेंडर, ट्रांस-जेंडर और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ध्यान तय मानकों के अनुरूप रखा जाएगा।

4. **समयबद्ध योजना और प्रबंधन :** संस्थान का तय सालाना कैलेंडर होगा। साथ ही एक बेहतर टाइम-टेबल के साथ कालांशों का संचालन किया जाएगा। फील्ड प्रेक्टिस, कक्षाएँ , शोध कार्य और फील्ड प्रेक्टिस के लिए मौसम और स्थानीय चुनौतियों का ध्यान रखा जाएगा।

5. **फील्ड प्रेक्टिस के लिए स्कूल :** संस्थान के आस-पास ही एक निश्चित सीमा के भीतर ही फील्ड प्रेक्टिस करने के लिए स्कूल उपलब्ध होंगे। संस्थान वर्ष भर इन स्कूलों के साथ अपना तालमेल और योजना बनाकर रखेंगे। कक्षा-कक्ष शिक्षण के दौरान संस्थान के प्रशिक्षक और स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों आदि का मार्गदर्शन और निगरानी उपलब्ध रहेगी।

6. **संस्थाओं, विभागों और उपक्रमों से तालमेल :** शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अपने आस-पास की अन्य संस्थाओं, सरकारी विभागों और औद्योगिक उपक्रमों के साथ भी तालमेल बनाकर रखेंगे। इनका उपयोग प्रशिक्षु शिक्षकों के बेहतर सीखने और मार्गदर्शन के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए एक टीन का बक्सा बनाने वाले कारखाने में जाकर घन, घनाभ और बेलन के आयतन पर काम किया जा सकता है, इसी तरह किसी प्रिंटिंग प्रेस में डिजाइनिंग और प्रूफ के मुद्दे और काम करने के तरीकों को समझा जा सकेगा।

7. **नीति नियामक संस्थाओं के दिशा निर्देश :** सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य कार्मिकों का सहयोग लिया जाएगा।

8. **पूर्व छात्र-छात्राओं,अभिभावकों और समुदाय से तालमेल :** संस्थान से उत्तीर्ण होकर जाने वाले छात्र-छात्राओं से फीडबैक लिया जाएगा। यह फीडबैक सुविधाओं और शिक्षण दोनों ही संदर्भ में होगा। संस्थान अपने पूर्व छात्र-छात्राओं से संपर्क बनाकर रखेंगे तथा समय-समय पर उनकी सेवाएँ और मार्गदर्शन लेते रहेंगे।

9. **बुनियादी भाषा और गणित :** प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों में बुनियादी भाषा और गणित की समझ होना बहुत आवश्यक है। साथ ही इन विषयों का स्थानीय परिवेश और प्रकृति से भी जुड़ाव बनता है। अतः विषयों के अंतरसंबंध को समझने और योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए शिक्षकों को तैयार किया जाएगा।

10. **विषयों में अंतरसंबंध :** शिक्षक-शिक्षा संस्थान अब stand alone (एकल) नहीं होंगे। वहाँ पर अन्य कोर्स भी संचालित होंगे। इससे multi-disciplinary समझ और विशेषज्ञों के सहयोग से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने के अवसर बनेंगे।

11. **संस्थाओं का मूल्यांकन :** सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) से अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करें। साथ ही National Institutional Ranking Framework (NIRF) के मापदंडों के अनुकूल अपने को सतत अपडेट करें।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को क्या नहीं करना चाहिए

1. सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति नियमों की अवहेलना नहीं की जाएगी।
2. शिक्षक प्रशिक्षकों को सम्मानजनक वातावरण दिया जाएगा और सरकार द्वारा तय सेवा नियमों की अवहेलना नहीं की जाएगी।
3. समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की गई अनुसंशाओं और सुविधाओं को नजरंदाज नहीं किया जाएगा ।
4. वंचित वर्ग, महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के अधिकारों के प्रति उदासीन रवैया नहीं अपनाया जाएगा ।
5. प्रशिक्षण के लिए तय मानदंडों के अनुरूप ही सुविधाएँ और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। सरकार द्वारा तय नियमों की अवहेलना नहीं की जाएगी।

RSCERT, UDAIPUR

6. प्रशिक्षण के दौरान वही प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँगी जो आगे शिक्षकों से भी कक्षा में अपेक्षित हैं और वे तौर-तरीके नहीं क्रियान्वित होंगे जो आगे प्रशिक्षुओं से अपेक्षित नहीं हैं।

2.2. समुदाय के बारे में हमारा विज़न

किसी शिक्षक-शिक्षिका या शिक्षण संस्थान के लिए उसका समुदाय बहुत व्यापक होता है। इसमें उसके आस-पास के गाँव, कस्बा या जिला तथा वहाँ रहने वाले लोग (महिला, पुरुष, बच्चे और बुज़ुर्ग) तो शामिल होंगे ही। साथ ही पडोसी स्कूल, संस्थाएँ, सरकारी विभाग व स्वयंसेवी संस्थाएँ और इनके प्रतिनिधि, और संस्था में प्रशिक्षित हो चुके शिक्षक (एलुम्नाई) भी शामिल हैं। ये लोग तथा संस्थाएँ शिक्षकों को उनका काम बेहतर ढंग से करने में सहयोग तथा संबलन प्रदान करते हैं। समुदाय के साथ सहयोग और सहभागिता के लिए निम्नलिखित बिन्दु सहायक हैं।

a. संस्थान अपने आस-पास रहने वाले लोगों और संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग और तालमेल के साथ काम करेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में आस-पास उपलब्ध साधनों, लोगों के ज्ञान, कौशल आदि का उपयोग करने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे।
b. इसी तरह समीप के समुदाय के लोगों में से कुछ का चयन (दस्तकार, कारीगर, कला एवं शिल्प से जुड़े लोग, संगीतकार, मूर्तिकार, आदि) को संस्थान में आमंत्रित कर वार्ता कराई जाए।
c. संस्थान के समीप स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम का भ्रमण करें। वहाँ उत्पादन की प्रक्रिया को समझें। इसी तरह अस्पताल, पुलिस थाना, पटवारी कार्यालय, खेती, बागवानी और पशुपालन से जुड़े काम में शामिल होकर यह समझें की कक्षा में जो शिक्षा दी जा रही है उसका समाज से क्या संबंध है।
d. आवश्यकता अनुसार शिक्षकों, अधिकारियों, अभिभावकों और जन प्रतिनिधियों की साझा बैठकें आयोजित की जाएगी। यहाँ शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर बात-चीत और आम सहमति बनाकर काम करने कि परंपरा बनाई जाएगी।
e. प्रशिक्षु शिक्षकों और सेवारत शिक्षकों या शिक्षा अधिकारियों की आवश्यकताओं और चुनौतियों की पहचान कर संबलन प्रदान किया जाएगा। पूर्व प्रशिक्षार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाया जाए।
f. कुछ महत्त्वपूर्ण दिन, राष्ट्रीय त्योहार, आदि के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम रखें जाएंगे जिसमें सभी रूचि लें तथा भाग ले सकें।
g. सरकारी और गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से शिक्षकों के ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
h. शिक्षक-शिक्षा संस्थान में अध्ययन कर रहे प्रशिक्षु शिक्षक आस-पास के समुदाय में जा कर शोध अध्ययन करें। आस-पास के स्कूलों में कक्षा-कक्ष शिक्षण करें। पर्यावरण, समाज और विकास से जुड़े मुद्दों पर शोध अध्ययन के लिए अवसर हो सकते हैं।
i. प्रशिक्षु शिक्षक समीपवर्ती स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे सेवारत शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के अनुभवों से शिक्षण, गतिविधियाँ, प्रबंधन और दस्तावेजीकरण जैसे मुद्दों पर सीखें। साथ ही आस-पास के समाज में शिक्षा और विकास के मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए काम करेंगे।

जैसा कि हमने ऊपर देखा, शिक्षक-शिक्षा में भाग लेने वाले अलग-अलग स्तर के प्रशिक्षु शिक्षक, प्रशिक्षक एवं संस्थाओं के बारे में समग्र, व्यापक व एक दूसरे से जुड़े विज़न हमें यह कल्पना करने में मदद करते हैं कि इस दिशा में हमारे प्रयासों से क्या नतीजे हासिल होंगे। आगे के अध्यायों में इन्हीं लक्ष्यों की ओर बढ़ने के अलग-अलग पहलुओं का विस्तार किया गया है।

⌘❖⌘❖⌘❖⌘

RSCERT, UDAIPUR

अध्याय -3

राजस्थान में शिक्षक-शिक्षा का शैक्षिक परिदृश्य: ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ

राजस्थान में समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका निरंतर विकासशील रही है। आजादी के बाद राजस्थान में शिक्षक-शिक्षा के उन्नयन के लिए बहुत से प्रयास किए गए पर किन्हीं कारणों की वजह से में निरंतरता नहीं बन पायी। फलसवरूप हम अब भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाए है। अत: अब ये आवश्यक हो जाता है कि हम हमारे शैक्षिक इतिहास से सीख लेते हुए आगे बढ़े। भारत में समय-समय पर गठित विभिन्न आयोगों तथा राजस्थान में समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं में शिक्षक-शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो सुझाव दिए वो निम्न प्रकार हैं जैसा कि यह खंड दर्शाता है, ये सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं और आगे के लिए दिशा देते हैं।

3.1 प्रमुख आयोग व नीतियाँ

शिक्षक-शिक्षा पर आज़ादी के बाद से ही सोचा जा रहा है और इन विचारों को इस पाठ्यचर्या के निर्माण में आज के संदर्भ और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित स्थान भी दिया गया है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग/ डॉ. राधाकृष्णन आयोग

1948-49 : केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 4 नवम्बर 1948 में डॉ. राधाकृष्णन् के नेतृत्व के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग ने शिक्षक-शिक्षा के बारे में सुझाया कि माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षक शिक्षण विद्यालय खोले जाएँ, शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक/ प्रायोगिक कार्य दोनों पर सामान ज्ञान दिया जाए, साथ ही वार्षिक मूल्यांकन में शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्त्व दिया जाए एवं शिक्षण प्रशिक्षण में एम.एड. उपाधि-धारी व्यक्ति की नियुक्ति की जाए तथा विद्यालय अनुभव को शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग/ मुदालियर कमीशन

1952-54 : 23 सितम्बर, 1952 को डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा के तत्कालीन पक्षों की जाँच करना तथा उनके विषय में सुझाव देना। मुदालियर कमीशन ने शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में जो प्रमुख सुझाव दिए गए थे - माध्यमिक स्कूल अपने जिले के प्रशिक्षण विद्यालय से जुड़े रहें तथा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए एवं शिक्षण प्रशिक्षण के महाविद्यालय में प्रायोगिक पाठ्यक्रम पर अधिक बल देना जरुरी माना जाए। साथ ही शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में स्कूल के अनुभव जोड़ने की बात कही गई व प्रशिक्षणार्थी को कुछ दिन विद्यालय में जाकर वास्तविक अनुभव प्राप्त करने की सिफारिश की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग/ डॉ. दौलत सिंह कोठारी कमीशन -1964-66

14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के सुधार/सुझाव के एक आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष डॉ. डी. एस. कोठारी बनाया गए। कोठारी आयोग ने सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के सुधार के साथ-साथ वर्तमान शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

उन्होंने आग्रह किया कि शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार के लिए शिक्षण विश्वविद्यालय खोलने जाने चाहिए तथा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा स्कूल खोले जाएँ और शिक्षण अभ्यास के लिए शिक्षण अभ्यास स्कूल साथ में खोले जाएँ। कमीशन द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष के बढ़ाकर 2 वर्ष करने का भी सुझाव दिया गया एवं शिक्षण के विचार-विमर्श/विचारगोष्ठी विधियों का चयन किया गया।

RSCERT, UDAIPUR

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1968

कोठारी कमीशन के सुझावों के आधार देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई, 1968 में तत्कालीन सरकार ने घोषित की। इस शिक्षा नीति में राष्ट्र की सम्पूर्ण शिक्षा के लिए कदम उठाए गए और सुधार के लिए प्रयास किए गए। शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम व महाविद्यालय के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं, जिनमें प्रत्येक महाविद्यालय में शिक्षक-शिक्षा विभाग खोलने तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1979

प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नई राष्ट्रीय शिक्षा '79 की घोषणा की। यह शिक्षा नीति 1968 की पूर्व नीति पर आधारित थी। इसमें शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम व महाविद्यालय के लिए कुछ नया नहीं था। शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

चटोपाध्याय समिति - 1983-84

प्रमुख सुझाव - हमारे अधिकांश शिक्षण महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में साधन अत्यंत अपर्याप्त हैं - अगर शिक्षक-शिक्षा को नए शिक्षक की भूमिका और दायित्वों में संदर्भ में प्रासंगिक बनाना है तो माध्यमिक स्तर के शिक्षक के प्रशिक्षण की अवधि बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम पाँच साल होनी चाहिए।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति -1986 (NEP-1986)

प्रधानमंत्री रांजीव गाँधी ने देश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय परिपत्र जारी किया जो "शिक्षा की चुनौती नीति सम्बधि परिप्रेक्ष्य" के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर तत्कालीन सरकार ने देश के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की घोषणा की। इसके तहत 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था सम्पूर्ण देश में लागू की गई। दस्तावेज के कार्य योजना के 23 वें भाग में शिक्षक व उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात की गई, सुझाया गया कि शिक्षक-शिक्षा के महाविद्यालय का पुनर्गठन किया जाए, शिक्षक-शिक्षा में योग्यता धारी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए व अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था में क्रांन्तिकारी परिवर्तन के लिए प्रस्ताव किया गया। इसके लिए प्रत्येक जिले में सेवा-पूर्व व सेवारत प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। शिक्षा प्रबन्धन व शिक्षा पर 6 प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया, शिक्षा के लिए शिक्षक के महत्व को स्वीकार किया गया और शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम में नवाचार वाले शिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाए।19

आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति -1990

मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद केन्द्र में 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन गई जिसमें तात्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह ने 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति की घोषणा की, जिसे राममूर्ति समीक्षा समिति के नाम में जाना जाता है। इस समिति ने सिर्फ 1986 के शिक्षा नीति के सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट को "प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर" का शीर्षक दिया। समिति ने शिक्षक-शिक्षा के लिए सुझाव दिए कि: शिक्षक-शिक्षा की अवधि बढाई जाए, शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम में ज्ञानात्म्क विकास की अपेक्षा कौशलात्मक एवं भावात्मक विकास पर अधिक बल दिया जाए, सेवाकालीन प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाए, व शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए।

जनार्दन रेड्डी समिति - 1992

1990 में नई सरकार बनने के कारण 1992 में 1986 की शिक्षा नीति समीक्षा के लिए एक नई समिति की घोषणा की गई जिसके अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी को बनाया गया, उन्होंने शिक्षक-शिक्षा अवधि बढ़ाने तथा शिक्षक-शिक्षा में कौशल को बढ़ावा देने की बात कही।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति/पी. ओ. ए.(Programme of Action) - 1992

1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुछ सुधार कर एक नई कार्य योजना बनाई गई जिसे कार्य योजना 1992 (पी.ओ.ए.-1992) के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भाग 12 में मुक्त शिक्षा व 22वें भाग में शिक्षक, शिक्षा व पाठ्यक्रम के लिए, व 23वें भाग शिक्षा प्रबन्धन के बारे में सुझाव दिए गए।

RSCERT, UDAIPUR

प्रो. यशपाल समिति - 1993

प्रो. यशपाल की रिपोर्ट "बिना बोझ के सीखना" के नाम से प्रकाशित की गई। इसमें उन्होंने लिखा कि शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। स्कूली शिक्षा के परिवर्तन के सन्दर्भ में उसकी प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु का पुर्ननिर्माण किया जाए। इन कार्यक्रमों में ज्ञान पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षणार्थी स्व-अधिगम तथा स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सके।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा/ एन.सी.एफ. - 2005

राष्ट्रीय फोकस समूह ने शिक्षक-शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए -
सभी शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर देना चाहिए, शिक्षक-शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों को पूर्णत: आजादी मिलनी चाहिए, स्कूली पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए, एन.सी.ई.आर.टी व एन.सी.टी.ई. के बीच उच्च स्तरीय सम्बन्ध हों, दोनों साथ मिलकर शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम को बनाएं, 10+2 के बाद शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम 5 वर्ष के होने चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - शिक्षक-शिक्षा/ एन.सी.एफ.टी.ई. - 2009

मो. अख्तर सिद्दीकी की अध्यक्षता में 2009 में एन.सी.एफ.-2005 व आर.टी.ई.-2009 को ध्यान में रखकर शिक्षक-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फोकस पत्र जारी किया गया। एन.सी.एफ.टी.ई.-2009 के नाम से जाने गए इस दस्तावेज ने शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिऐ निम्नलिखित सुझाव दिए।

- शिक्षक-शिक्षा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक अनुभव वाली होनी चाहिए।
- शिक्षक-शिक्षा के शिक्षकों को पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने को क्षमता होनी चाहिए।
- शिक्षक-शिक्षा के अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कार्यक्रमों को विस्तृत करना आना चाहिए।
- ज्ञानार्जन की विभिन्न परम्पराओं का सम्मान करना चाहिए।
- शिक्षकों को मानवाधिकार की शिक्षा दी जानी चाहिए।

जस्टिस वर्मा कमीशन – 2012-15

भारत सरकार ने 2012 में वर्तमान शिक्षक-शिक्षा की दशा व दिशा, वर्तमान पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम के समय निर्धारण के लिए न्यायाधीश जे.ए. वर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। इस समिति ने वर्तमान शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम व क्रियान्वयन की समीक्षा की और उसकी समस्याओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह सुझाया कि :-

- सभी शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम को एक शिक्षक-शिक्षा विश्वविद्यालय बनाकर जोड़ दिया जाए।
- प्रशिक्षकों, शिक्षकों के अभिविन्यास कार्यक्रम अनिवार्य किया जाए।
- पूरे देश के शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में समानता लाई जाए।
- शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश पूर्व परीक्षा पूरे देश में एक साथ कराई जाए।
- शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम की समय सीमा बढ़ाए जाए।

नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम रूपरेखा - 2014

एन.सी.टी.ई. ने 2014 में अपने बी.एड. पाठ्यक्रम को परिवर्तित करके उसे 1 वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है। एन.सी.टी.ई. गाईड लाइन के अनुसार यह परिवर्तन शिक्षक-शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए किया है। आगे उनके अन्य सुझाव हैं कि -

- शिक्षक-शिक्षा को स्कूल से जोड़ा जाए व शिक्षक-शिक्षा में कौशल पर ध्यान देते हुए शिक्षण अभ्यास में इन्टर्नशिप को कौशल आधारित बनाकर छात्रों में कौशल विकसित किया जाए।

RSCERT, UDAIPUR

- साथ ही, अपने व्यावसायिक वृद्धि के लिए पाठ्यसहगामी क्रिया को बढ़ाया जाए एवं प्रशिक्षणर्थियों में शोध, समीक्षा व कौशल अधिक विकसित हो।

इन विभिन्न नीतियों व संबंधित दस्तावेजों के अनेक पहलू इस शिक्षक-शिक्षा पाठ्यचर्या को दिशा देते हैं और इनका समावेश उपयुक्त बिंदुओं पर किया गया है। इनके अलावा, यह पाठ्यचर्या राजस्थान में हुए कई प्रमुख कार्यक्रमों से उभरे अनुभव व सीख को भी शामिल करती है।

3.2. राजस्थान में किए गए प्रयास

उपर्युक्त विभिन्न आयोगों की सिफ़ारिशों की परिछाया में राजस्थान प्रदेश में बहुत से सकारात्मक बदलाव समय-समय पर शिक्षक-शिक्षा में किए गए। कई परियोजनाओं के माध्यम से अनेक नवाचार प्रदेश में हुए जिनके केंद्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा का विकेंद्रीकरण, सहयोगात्मक शिक्षक, क्षमता संवर्धन रहा था, जो आज के संदर्भ में और भी आवश्यक है। समय-समय पर किए गए मूल्यांकनों ने भी इन योजनाओं में शामिल घटकों को प्रभावशाली पाया। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं :-

साँयकालीन विद्यालय

1970 के दशक में तिलोनिया संस्था द्वारा साँयकालीन विद्यालयों की स्थापना की गई जिसमें संस्था द्वारा जिस समुदाय में विद्यालय चलाया जाना था, उसी समुदाय से शिक्षक का चयन किया जाता था। उसी समुदाय में से पढ़ी-लिखी महिला या पुरुष हो, जो पाँचवीं या आठवीं पास होता था। इन चयनित शिक्षकों को 35 दिन का सघन प्रशिक्षण दिया जाता, साथ ही उनके कार्य की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए सतत सहयोग सिस्टम, समता मूलक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

शिक्षाकर्मी विद्यालय

राजस्थान सरकार द्वारा 1976-77 शिक्षाकर्मी विद्यालयों की स्थापना करी गई जिसका मुख्य आधार साँयकालीन विद्यालय रहा। साँयकालीन विद्यालयों में शिक्षाकर्मी का चयन उसी समुदाय से होता था जहाँ विद्यालय स्थापित किया जाना होता था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के तरीकों में उनकी भाषा, उनके अनुभवों, उदाहरण, सामग्री, आदि का उपयोग कर सके। इस परियोजना में शिक्षाकर्मियों को सघन प्रशिक्षण दिए जाने के साथ-साथ विभिन्न अकादमिक शेयरिंग के लिए मंच दिए जाते थे, जिनमें शिक्षकों को एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत से मौके मिलते थे। शिक्षकों को अपनी पाठयोजना परिस्थिति के अनुसार बनाने व बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।

लोक जुम्बिश परियोजना

यह परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। यह मुख्यतः इस मान्यता पर आधारित थी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने के लिए समुदाय, बच्चे और शिक्षक के मध्य सहभागिता का संबंध विकसित करना आवश्यक है। समुदाय एवं बच्चों के कौशल और ज्ञान के साथ स्कूल का संबंध बनाना भी जरूरी है। साथ ही शिक्षक में बच्चों के ज्ञान और कौशल को पोषित करने की योग्यता विकसित करना एवं समाज में शिक्षक की अहमियत को पुनः स्थापित करना भी आवश्यक है।

लोक जुम्बिश को समाज के वंचित वर्ग, खासकर लड़कियों, तक शिक्षा की पहुँच बनाने और शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से सीधा भारत सरकार व राजस्थान सरकार की पहल पर प्रारंभ किया गया। इसके तहत की जाने वाली गतिविधियों में पहला काम स्थानीय समुदाय को प्रेरित करना तथा उनके साथ एक सकारात्मक एवं प्रभावशाली संवाद स्थापित करना होता था। विद्यालय विहीन बस्तियों तथा कामकाजी बच्चे जो औपचारिक शिक्षा से वंचित थे, उनके लिए अनौपचारिक सहज शिक्षा केंद्र खोले गए। यह केंद्र वहाँ खोले जाते थे जहाँ बच्चों की संख्या 20 या 20 से अधिक होती थी। अनुदेशक का चुनाव समुदाय की राय पर उसी समुदाय से 8वीं पास व्यक्ति होता था, जिसे वर्ष में एक बार गहन प्रशिक्षण दिया जाता था।

इस परियोजना में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विविध स्तरों पर शिक्षकों का आमुखीकरण प्रशिक्षण, विषय आधारित प्रशिक्षण, शिक्षा सहयोगियों का प्रशिक्षण एवं आकादिक संबलन हेतु विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन किया जाता था। इनमें शिक्षक, शिक्षा सहयोगी, राजीव गाँधी पाठशालाओं के शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर तथा अनुदेशक भाग लेते

RSCERT, UDAIPUR

थे। इन प्रशिक्षणों की विशेषता यह थी कि विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए शिक्षकों को बुलाने के लिए प्रशिक्षण का आर्डर नहीं बल्कि आमन्त्रण-पत्र भेजा जाता था।

परियोजना में शिक्षकों के अकादमिक संबलन हेतु समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों की मासिक बैठकें होती थी जिनमें स्रोत अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षाविद और परियोजना अधिकारी विद्यालय में शिक्षण से उभरे मुद्दों पर बातचीत और काम में आ रही बाधाओं को दूर करने एवं नवाचार अपनाने पर चर्चा करते थे व एक दूसरे के विद्यालयों में जाकर अनुभव बाँटते थे। इसी श्रृंखला में राज्य स्तर पर एक राज्य स्रोत दल का भी गठन किया गया था जो अपनी बैठकों में पठन-पाठन संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर विकास खंडों में उक्त विचार को पहुँचाता था। इस प्रकार राज्य स्रोत दल, खंड स्रोत दल, और संकुल स्रोत दल के माध्यम से शिक्षकों को अकादमिक संबलन प्रदान किया जाता था।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institution of Education and Training - DIET) **की स्थापना**

NEP 1986 के तहत राजस्थान में शिक्षकों व अनुदेशकों के लिए संदर्भ संस्था के रूप में DIETs की स्थापना की गई जो सेवापूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करती है। आगे जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए समृद्ध अकादमिक संसाधन केंद्र के रूप में Block Resource Centres व Cluster Resource Centres की स्थापना की गई, तब भी DIETs ने ही उनके संदर्भ संस्था की भूमिका निभायी।

इस प्रकार ऐसे कई ऐतिहासिक प्रयासों से हम एक ऐसी शिक्षक-शिक्षा प्रणाली को देख पा रहे हैं जिसमें शिक्षकों के सैद्धांन्तिक पक्ष के साथ-साथ व्यावहारिक पक्षों पर भी उचित ध्यान दिया गया है। इन सकारात्मक पक्षों को इस नई शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में उपयुक्त स्थान दिया गया है।

3.3. राजस्थान के संदर्भ में वर्तमान चुनौतियाँ

वर्तमान समाज की त्वरित बदलती परिस्थितियों, ज्ञान के प्रति हमारे बदलते दृष्टिकोण के साथ-साथ शिक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण एवं शिक्षकों की भूमिका और उनसे अपेक्षाओं में भी काफी परिवर्तन आया है। राष्ट्र व राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए सुलभ पहुँच में गुणवत्ता युक्त शिक्षा लाने के लिए शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन बदलती स्थितियों में शिक्षकों की पेशेवर जरूरतों तथा चुनौतियों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो गया है। NEP 2020 में भी यह स्पष्ट है कि - 'अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की व्यवस्था वैसी नहीं है, जैसी होनी चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है।'

UDISE 2019-20 के प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान में न सिर्फ शिक्षकों की कमी है अपितु महिला शिक्षिकाओं की अपेक्षाकृत कम संख्या विचारणीय है। (कुल पुरुष शिक्षक 264040, कुल महिला शिक्षिकाएँ 131107 – UDISE 2019-20) राजस्थान में शिक्षकों की अपर्याप्तता के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होने वाली देरी तथा शिक्षक भर्ती हेतु स्पष्ट, समयबद्ध नीति के अभाव को एक सामान्य कारण माना जा सकता है। हालाँकि गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की भर्ती हेतु NEP 2020 "शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सामग्री और शिक्षाशास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने" की बात करती है, परंतु सशक्त शिक्षकों को तैयार करने के लिए शिक्षक शिक्षा (सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण) की व्यवस्था के पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

राजस्थान में शिक्षक भर्ती तथा सेवा-पूर्व प्रशिक्षण में योग्यता एवं रुचि रखने वालों के प्रवेश को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था की जरूरत है। इस हेतु NEP 2020 एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को सभी स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए विस्तृत करने की बात करती है। सेवा पूर्व प्रशिक्षणों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त, सभी संसाधनों युक्त उच्च स्तरीय संस्थाओं की आवश्यकता है ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले प्रतिभावान छात्रों को विकास के श्रेष्ठ अवसर प्रदान कर सकें। इसके साथ ही राज्य में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों के शैक्षिक संस्थानों (निजी और सरकारी) को सुदृढ़ करने के लिए उन पर एक नियामक संस्था की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

RSCERT, UDAIPUR

अन्य प्रमुख आवश्यकताएँ हैं -

- शिक्षण अनुभव के व्यावहारिक पक्ष को प्रभावी बनाने के लिए चलाए जा रहे सेवापूर्व इंटर्नशिप के कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाना। सेवापूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया व व्यावसायिक विकास के ढाँचे में परिवर्तन लाना।
- शिक्षकों व शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए NEP 2020 में प्रस्तावित सतत व्यावसायिक विकास और पेशेवर प्रबंधन (करिअर मैनजमेंट) और प्रगति के अवसर दिए जाना।
- राज्य में शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक, प्रोत्साहित करने वाली कार्य संस्कृति तथा उच्च गुणवत्ता वाले, संसाधन युक्त कार्यस्थल विकसित करना ।
- विश्व की बदलती परिस्थितियों में शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का संतुलित व प्रासंगिक प्रयोग प्रोत्साहित करना।
- शिक्षक शिक्षा से जुड़े हर स्तर के सभी हितधारकों के लिए आकलन की नई तकनीकों को अपनाना।

अनेक नीतियों, उनके क्रियान्वयन व अन्य प्रयासों के बाद भी वर्तमान में राज्य की शिक्षा व्यवस्था के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें शिक्षक भर्तियों में होने वाली अनावश्यक देरी, शिक्षक शिक्षा के उच्च गुणवत्ता युक्त सरकारी संस्थाओं की अपर्याप्तता, शिक्षक प्रशिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए प्रोत्साहन की अपर्याप्तता, शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का भार, शिक्षकों के लिए सतत मार्गदर्शन (मेंटरिंग) व परामर्श (काउंसलिंग) का अभाव, व विभिन्न स्तरों पर सुलभ संसाधनों की कमी प्रमुख हैं।

हालांकि पाठ्यचर्या अपने आप में इन कमियों को दूर नहीं कर सकती, हमारी उम्मीद है कि इसके जरिये वे नीतिगत निर्णय लिए जाएँगे जो सुधार में मदद करेंगे। साथ ही, पाठ्यचर्या रचते समय इन जमीनी मुश्कलों को भी ध्यान में रखा गया है।

⌘❖⌘❖⌘❖

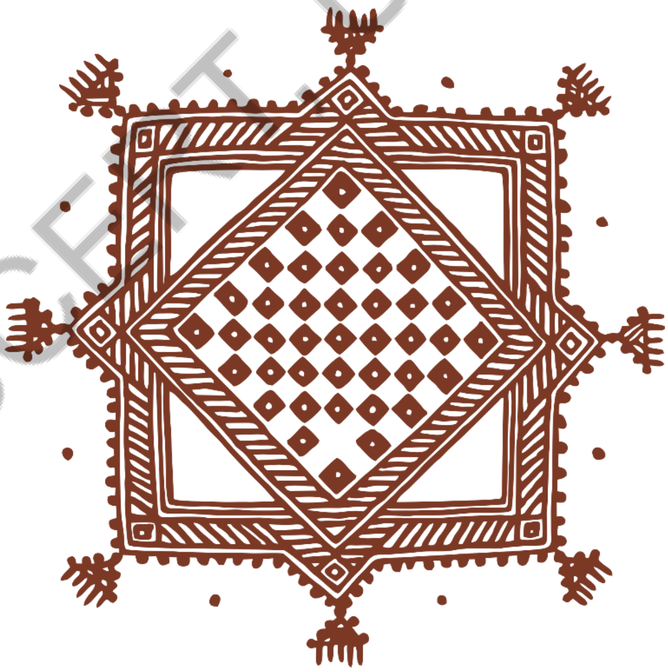

RSCERT UDAIPUR

अध्याय - 4

वर्तमान ज़रूरतों के संदर्भ में राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा

राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में हम शिक्षक शिक्षा के ऐसे स्वरूप की संकल्पना करते हैं, जो समाज व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा संकल्पित शिक्षक तैयार कर सके। ऐसे शिक्षक जो विद्यार्थियों के सीखने के लिए उत्साहवर्द्धक सहज परिस्थितयों का निर्माण कर सकें व छात्रों को सर्वांगीण विकास के अवसर विकसित करें, ऐसे स्वतंत्र चिंतन व निर्णय लेने में सक्षम शिक्षकों को तैयार करने के लिए लंबे समय से शिक्षक शिक्षा के दोनों स्तर सेवापूर्व व सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस की गई है।

परिवर्तनों के आधार

सेवापूर्व शिक्षकों व सेवारत शिक्षकों के पास शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़ने से पहले भी कई अनुभव (स्थानीय संदर्भ व शिक्षण प्रक्रियाओं संबंधित) होते हैं । इसलिए इन कार्यक्रमों में नए अनुभव व अनुभवों पर चिंतन कर सीखने के मौके देना आवश्यक है। प्रोजेक्ट आधारित अधिगम व समूह में किए गए कार्य भी शिक्षकों के अधिगम में काफी सहायक सिद्ध होते हैं । एक शिक्षक कई विविध सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से आ रहे विद्यार्थियों के साथ काम करता/ती है। अतः शिक्षकों में मानवीय, सामाजिक, नैतिक व लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास और कक्ष में आई विविधता के लिए समावेशी माहौल के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में इन पक्षों को प्राथमिकता से स्थान देने की आवश्यकता है।

4.1. पाठ्यचर्या संबंधी सुझावों के मुख्य आधार

शिक्षक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसकी सेवा पूर्व और सेवाकालीन घटक एक दूसरे के पूरक हैं। तात्कालिक समस्याओं से उबरते हुये हमने अपनी शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया का उत्तरोत्तर और क्रमिक परिष्कार किया है। हाल ही के कुछ दशकों में नवीन मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं व शिक्षण संप्रत्ययों का उद्गम हुआ हैं। बालकेन्द्रित शिक्षा, आनंददायी और गतिविधि आधारित शिक्षण, ज्ञानरचनावाद, और अनुभव आधारित शिक्षण जैसी अवधारणाएँ उभरकर सामने आई हैं। औपचारिक बंधनों से मुक्त रख कर बच्चों को रोचक वातावरण में शिक्षित किया जाना चाहिए। इन नवीनतम परिस्थितियों के संदर्भों में शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या में बदलाव स्वाभाविक रूप में वांछनीय हैं।

पाठ्यचर्या की रूपरेखा के सुझावों के निम्नलिखित मुख्य आधार हैं –

a. स्थानीय ज्ञान जो कि उनके मूल्यों, संस्कृति, कार्यों, उनसे जुड़े कौशलों को सम्मिलित करना ।

b. संविधान शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता को प्राथमिकता देना ।

c. 21वीं सदी के सामाजिक-भावनात्मक, जीवन कौशलों व क्षमताओं पर कार्य करना, वोकेशनल व उद्यमशीलता को शिक्षण में शामिल करना, भाषा, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, कला, खेलों, जेंडर, सामाजिक-भावनात्मक जागरूकता जैसे विषयों को अंतर क्रियात्मक तरीके से शिक्षण में शामिल करना ।

d. कम्प्यूटिंग, बैंकिंग लिटरेसी को शिक्षण में शामिल करना, आर्ट बेस्ड थेरेपी एवं कोचिंग की व्यवस्था का होना ।

e. खेल, कला, प्रयोग व प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को शिक्षा पद्धति में शामिल करना। ऐसी पाठ्यपुस्तकों, दृश्य श्रव्य माध्यमों का निमार्ण करना जिससे सरलता से प्रशिक्षु और सेवारत शिक्षक को स्वयं कुछ कर के सीखने के अवसर हों। चलित पुस्तकालयों, खेल, कला के केन्द्रों को स्थापित करना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना।

RSCERT, UDAIPUR

4.2. वर्तमान स्थिति व समस्याएँ

राज्य के उदयपुर जिले में कार्यरत शिक्षक कमला जी ने 12 वर्ष पूर्व अपना बी.एड. चूरू के एक कॉलेज से किया था। कॉलेज उनके गृह जिले से दूर होने के कारण शुरू में उन्हें नए जिले व परिस्थियों में सहज होने काफी समय लग गया। संस्थान में उनके अधिकतर अधिगम अनुभव व्याख्यान व लिखित कार्य तक ही सीमित रह गए। सेवापूर्व इंटर्नशिप कार्यक्रम में कमला जी पुनः अपने गृह जिले की विद्यालय में गई जहाँ उन्हें शिक्षण कार्य को नजदीकी से अनुभव करने का अवसर मिला। पर सतत संबलन के अभाव में वह कई बार खुद को समस्याओं से घिरा पाती।

इस प्रकार सेवापूर्व बी.एड. करने के 6 वर्ष बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में एक राजकीय विद्यालय में सेवा प्रारंभ की। शुरू में वे अपने प्रशिक्षणों में नई चीजें सीखने व नए लोगों से मिलने के लिए काफी उत्साहित रहती थीं। धीरे-धीरे ये उत्साह कम होने लग गया। कई बार उन्हें विद्यालय में सामने आई चुनौतियों पर सहायता की आवश्यकता महसूस होती, किन्तु उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिल पाता, जहाँ वे अपनी समस्याओं के हल ढूँढ सकें। कभी कमला जी को ऐसा महसूस हुआ की प्रशिक्षण की विषयवस्तु उनसे सरोकार नहीं रखती तो कई बार वे अपने पसंद के विषय पर बात रखने का मौका ना मिलने के कारण निरुत्साहित हो जातीं। प्रशिक्षण स्थानों पर भौतिक संसाधनों की कमी भी उन्हें खलती। तथा प्रशिक्षण के बाद क्रियान्विति में आने वाली समस्याओं में सहायता हेतु कमला जी खुद को अकेला महसूस करतीं।

कमला जी के अनुभव अधिकांश सेवारत शिक्षों के अनुभव से मेल खाते हैं। इसमें हम सेवापूर्व व सेवारत शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों की समस्याओं के बारे में देख सकते हैं कि -

a. सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षक शिक्षा में आज भी व्याख्यान पद्धति का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। अनुभव आधारित चिंतन व अधिगम के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए जाते हैं।
b. शिक्षक-शिक्षा में लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता ना देना।
c. राज्य के प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षक समुदाय में सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता देखने मिलती है, परंतु इस विविधता के पक्ष को शिक्षक शिक्षा में उचित स्थान नहीं मिल पाता।
d. शिक्षक शिक्षा के संस्थानों में सीखने हेतु समावेशी सामाजिक-भावनात्मक परिस्थितियाँ नहीं बन पाना।
e. शिक्षक शिक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के विकास व प्रयोग के नवाचारों के प्रति अपर्याप्त प्रोत्साहन।
f. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में तकनीकी के प्रयोग की बात तो की जाती है, परंतु तकनीकी के प्रयोग के अवसर देने, संभागियों को खुद से तकनीकी कार्य सीखने को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
g. भावी व सेवारत शिक्षकों में वैश्विक व व्यापक दृष्टिकोण के विकास हेतु अलग-अलग प्रकार के संदर्भ वाले अनुभव (जैसे वैश्विक घटनाओं के प्रभाव पर चर्चा के अवसर, राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों पर चर्चा के अवसर) पर्याप्त नहीं मिलते हैं।

4.3 सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा

4.3.1. सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा की कुछ विशिष्ट समस्याएँ

a. विभिन्न स्तर के शिक्षकों (उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक) के लिए अपने विशेष कार्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रुचि अनुसार विशेष अतिरिक्त कार्यक्रमों का अभाव देखने मिलता है।
b. सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में जारी कोर्स का समय-समय पर नवीनीकरण नहीं हो पाता है।
c. शिक्षण शास्त्र पर तो जोर दिया जाता है परंतु विषय संबंधित प्रकरणों पर ज्यादा काम नहीं किया जाता।
d. प्रशिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के विकल्पों का अभाव।
e. शिक्षण शास्त्र में नवाचरों व नवीन खोजों का अभाव देखने मिलता है।

4.3.2. सेवापूर्व प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षा से अपेक्षाएँ

a. जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन संपन्न संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना जरूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए निजी संस्थानों पर नियामकीय ढाँचे की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इन संस्थानों की सतत निगरानी, मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करे और इन संस्थानों में आवश्यक कार्यप्रणाली का संचालन सुनिश्चित करें।

RSCERT UDAIPUR

b. अपने सीखने की लिए मौके और व्यावसायिक विकास के लिए, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षकों को शिक्षण के क्षेत्र में स्कूल स्थानबद्ध व अभ्यास कार्यक्रम, नए अनुसंधान, पद्धतियों से संबंधित, विभिन्न अवधियों के शैक्षिक अनुसंधान के पर्याप्त अवसर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रदान किए जाने चाहिए, जिनमें भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सेवा पूर्व इंटर्नशिप के वर्तमान कार्यक्रम में छात्रों के लिए सीखने के समृद्ध अवसर सुनिश्चित करना और उन पर शिक्षक प्रशिक्षकों का निरंतर मार्गदर्शन किया जाना चाहिए।

c. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों (आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक) के लिए एक शिक्षक बनने के लिए चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की सिफ़ारिश करती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्तर के शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रैक्टिकल के साथ स्नातक विषय, शिक्षा विषय का उचित अनुपात सुनिश्चित किया जाए।

d. शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मनोविज्ञान और सीखने के सिद्धांत, सामग्री और शिक्षाशास्त्र की समझ के साथ संवैधानिक मूल्यों और जीवन कौशल, 21वीं सदी के लिए जरूरी कौशलों (जैसे तर्कसंगत सोच-विचार, सृजनशीलता, प्रभावी संप्रेषण और सहयोग, नागरिक चिंतन, सामाजिक-भावनात्मक कौशल, आदि) का एकीकरण किया जाना चाहिए।

e. शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में बच्चों के प्रति लगाव, उनके स्थानीय परिवेश, उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी कौशल और विषय की गहरी समझ को विकसित करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।

f. आम तौर पर शिक्षक प्रशिक्षुओं की पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई, शैक्षणिक, आर्थिक, एवं कई अन्य प्रकार विविधता देखने को मिलती है। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण में इस वैविध्य को शैक्षिक व सीखने सीखने की प्रक्रियाओं पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में लिए जाने की जरूरत हैं।

g. हम सबने देखा कि कोविड-19 महामारी ने बच्चों कि शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावित किया। ऐसी स्थितियों में स्कूल बच्चों को उनके आसपास के शारीरिक खतरों से बचाता है जिसमें दुर्व्यवहार, शोषण, आदि शामिल है। स्कूल बच्चों को जीवन रक्षक भोजन, पानी, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता की आपूर्ति प्रदान करते हैं। और वे मनोसामाजिक सहायता देते हैं, जिससे बच्चों को हर दिन होने वाले आघात से निपटने में मदद करने के लिए स्थिरता और संरचना मिलती है। संकट से प्रभावित माता-पिता और बच्चे लगातार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हैं। जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो पूरे समुदाय को लाभ होता है। युद्ध की स्थितियों, प्राकृतिक अपादाएँ व महामारियों से प्रभावित बच्चों के लिए निर्बाध, उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के अवसरों के प्रावधान के रूप में आपात काल में शिक्षा को शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

4.3.3. शिक्षक एवं प्रशिक्षु शिक्षक की अधिगम की आवश्यकताएँ

जब हम वयस्कों के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि शिक्षक व प्रशिक्षु शिक्षक अपने साथ कई प्रकार के अनुभव लेकर आते हैं। इन्हें अधिगम हेतु नए अनुभव देने के साथ इनके स्वयं के अनुभवों पर चिंतन करने व चिंतन से अधिगम करने के अवसर देने आवश्यक है। ऐसे मंच भी उपयोगी सिद्ध होते हैं जहाँ शिक्षक अपने अनुभव एक दूसरे से साझा कर सकें व समस्या समाधान में एक दूसरे की मदद कर सकें। इसके साथ ही शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों के बाद भी शिक्षकों को सतत संबलन व मेंटरिंग उपलब्ध कराना आवश्यक है।

शिक्षक शिक्षा के हर स्तर के कार्यक्रमों में लोकतान्त्रिक व सामाजिक मूल्यों के पक्ष को प्राथमिकता से जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु सेवा पूर्व व सेवारत दोनों स्तरों पर संबंधित मुद्दों से जुड़े सामुदायिक कार्यक्रम भी जोड़े जाने चाहिए। शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में राज्य की विविधत के साथ स्थानीय संस्कृति के पक्षों को जोड़ने की आवश्यकता है। और दोनों स्तरों पर शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण व प्रयोग के पक्ष को जोड़ना जरूरी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में –

a. सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के संस्थानों में सभी प्रकार के संसाधनों की विवध उपलब्धता सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता है।

b. सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बाद विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने के बीच लंबे अंतराल आने पर पुनः किसी रिफ्रेशर कार्यक्रम की आवश्यकता होना।

c. सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में समय-समय पर नवीनीकरण कर उन में वर्तमान व भविष्य की आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु जोड़ना।

RSCERT UDAIPUR

4.3.4. सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य

1) सेवा पूर्व शिक्षक कार्यक्रम में शिक्षक निर्माण के उद्देश्य –
   a) प्रशिक्षु शिक्षकों में विषय का ज्ञान एवं कौशल विकसित करना।
   b) प्रशिक्षु शिक्षकों में मूल्यों का विकास करना।
   c) शिक्षकों में शिक्षण की अभिवृत्ति विकसित करना।
   d) शिक्षण में अंत:क्रियात्मक शिक्षण विधियों की गुणात्मक वृद्धि करना।
   e) प्रशिक्षु शिक्षकों में समावेशी शिक्षा एवं लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता विकसित करना।
2) इस प्रकार जो शिक्षक तैयार होगा वह एक प्रारंभिक शिक्षा के रूप में शिक्षा जगत में प्रवेश करेगा।

4.3.5. प्रशिक्षु शिक्षक की अधिगम की आवश्यकताएँ

1) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा की व्यवस्थित तैयारी हेतु ऐसे कार्यक्रम है जो न केवल सामान्यतः शैक्षिक अध्ययन प्रदान करते हैं बल्कि व्यावसायिक ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को आवृत करने में शिक्षकों को कार्याभिमुखी भी बनाते हैं। यह आवश्यक कौशलों, आत्म निर्देशित अधिगम तथा खुले तौर पर स्वप्रेरणा के पोषण हेतु आत्मसात करने की एक प्रक्रिया है। अतः यह कार्यक्रम आदेशात्मक नहीं वरन नमनशील स्थानीय आवश्यकताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, नव रचनात्मक विचारों तथा परिपाटियों को समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए।

   अतः उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के अधिगम की आवश्यकताएँ भी इन्हीं पर आधारित होती हैं। शिक्षक शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों की समझ विकसित करना भारतीय सामाजिक आर्थिक संदर्भ तथा शिक्षा राष्ट्रीय विकास में भूमिका की भावना विकसित करना, विशेष वर्ग एवं आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के विकास को कैसे करना है, यह अधिगम की मुख्य आवश्यकताएँ हैं।

वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में नई तकनीक समझना भी प्रशिक्षु की अधिगम की महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। इसके अलावा प्रशिक्षु अधिगम की एक महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं।

a. आपातकालीन स्थितियों की चुनौतियों को समझना
b. लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना।
c. सकारात्मक कार्य मूल्य एवं स्थानीय संस्कृति को समझना।
d. नेतृत्व क्षमता विकसित करना ताकि भावी पीढ़ी को समझ सकें।
e. विषय की समझ विकसित करने की वैज्ञानिक वृत्ति एवं चिंतन शील प्रवृत्ति विकसित करना।
f. और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाना।

4.3.6. क्रियान्वयन सेवापूर्व शिक्षक

a. प्रशिक्षणार्थियों ने क्या सीखा, कैसे सीखा, और उसके उपयोग वह रचनावादी तरीके कैसे करें, यह सुनिश्चित किया जाएँ।
b. प्रशिक्षणार्थियों को नया सीखने, चिंतन करने, तर्क गढ़ने और रचना करने हेतु परिस्थितियाँ उत्पन्न कर प्रेरित किया जाएँ।
c. सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण में प्रशिक्षु को इंटर्नशिप जैसे कार्यक्रम के द्वारा नए अनुभव प्राप्त करने व उनके साथ सीखने के मौके दिए जाएँ।
d. प्रशिक्षु अपने पूर्व अनुभव या उनके साथ कोई सार्थक मानसिक गतिविधि करके प्राप्त अनुभवों के आधार पर सीख सकते हैं।

4.4. सेवारत शिक्षक-शिक्षा

4.4.1. सेवारत शिक्षक-शिक्षा की कुछ विशिष्ट समस्याएँ

a. राज्य में सभी सेवारत शिक्षकों के लिए एक जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जाते हैं।
b. सेवारत शिक्षक-शिक्षा में प्रतिभागियों की समान भागीदारी सुनिश्चित ना होने से शिक्षकों में उदासीनता के भाव आ जाते है।
c. प्रशिक्षणों के बाद भी शिक्षकों को सतत संबलन की आवश्यकता होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हर प्रशिक्षण हर परिस्थिति पर समान तरीके से लागू नहीं हो पाता।

PSCERT, UDAIPUR

d. शिक्षकों को स्वायत्त चुनाव करने के अवसरों की अपर्याप्तता के कारण वे सक्रिय रूप से शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों से नहीं जुड़ पाते है।
e. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में नए कार्यक्रमों को जोड़ने से पहले पूर्व के कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों/योजनाओं का रिव्यू तथा फीडबैक को जोड़ने में उदासीनता देखने मिलती है जिससे नए कार्यक्रमों में सुधारात्मक परिवर्तन नहीं हो पाते हैं।
f. शिक्षकों की भौतिक संसाधनों तक पहुँच भी उनके शिक्षक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है।

राजस्थान अपने अंदर अनेक विविधताओं जैसे- लोग, रीति-रिवाज, संस्कृति, संगीत, बोलियाँ , व्यंजन और विज्ञान को समेटे हुये एक जीवंत राज्य है। यहाँ शिक्षक प्रशिक्षुओं की पृष्ठभूमि में भी बहुत विविधता देखने को मिलती है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत होती है, जिसके कारण इन संस्थानों में राज्य भर के विविध जिलों से प्रशिक्षुओं का इन में आवंटन किया जाता है। इन प्रशिक्षु अध्यापकों में सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई, शैक्षणिक, आर्थिक, एवं कई अन्य प्रकार विविधता होती है। इन में शैक्षिक स्तर में भी कई बार विविधता देखी जाती है - कुछ स्नातक, अधि-स्नातक, कुछ डॉक्ट्रेट किए हुए भी आते हैं। उनकी शैक्षिक निरंतरता में भी कई बार अंतराल देखे जाते हैं। इसी तरह, सेवारत शिक्षक भी इन्हीं विवधिताओं को लेकर अलग-अलग जिलों में पदस्थापित होते रहते हैं। इन प्रशिक्षुओं और सेवारत शिक्षकों में जो ये विविधताएँ होती हैं, वे उनकी ताकत के रूप में भी परिलक्षित होती हैं।

भारतीय संस्कृति में गुरु को विशेष और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परंतु इस कारण हमारे शिक्षकगणों पर हमेशा समाज की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने की भारी ज़िम्मेदारी और समाज के लिए एक आदर्श के रूप में बनने का दबाव स्वत: ही आ जाता है। यह तनाव एक अपरिहार्य और अप्रिय अनुभव है जो हर शिक्षक को अलग-अलग तरीकों से और अलग-अलग समय पर प्रभावित करता है। 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 9.8 प्रतिशत शिक्षक इस दबाव का सामना करते हैं।[1] महामारी ने हम में से कई लोगों की तरह ही, शिक्षकों से बहुत कम समय में कई अन्य कौशल सीखने की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। 21वीं शताब्दी से पाठ्यक्रम और उसके क्रियान्वयन के लिए मानक और लिखित पाठ योजनाओं और निर्देशात्मक सामग्री का विकास और मानकीकरण पर अधिक जोर दिया गया है, नतीजतन शिक्षकों की स्वायत्तता के स्तर में गिरावट का दौर शुरू हो गया। जिसके चलते शिक्षक शिक्षा और उनके प्रशिक्षण, ज्ञान, योग्यता और कौशल में सुधार पर नए सिरे से ध्यान दिया जाने लगा। शिक्षण शास्त्र शिक्षक केंद्रित और शिक्षण अधिगम से बदलकर छात्र केंद्रित हो गया है। इन बदलावों ने शिक्षण और सीखने की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए हमें मजबूर किया है।

4.4.2. सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण से अपेक्षाएँ

a. कोविड महामारी में लंबे समय से स्कूल बंद रहे और बच्चों की नियमित शिक्षा में आए व्यवधानों के चलते, एक ही कक्षा में बच्चो के सीखने के स्तर में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जिसके कारण हमारे शिक्षकों को एकल कक्षा की तुलना में अलग-अलग आयु, सीखने के स्तर और कक्षाओं के बच्चों की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती हैं। **विद्यार्थियों में विविधता तो पहले भी थी, लेकिन अब और भी बढ़ गई है।** सेवकालीन शिक्षक प्रशिक्षणों की विषयवस्तु को बदलती पररिस्थितियों में बहुस्तरीय कक्षाओं द्वारा प्रदत्त अवसरों का प्रभावी ढंग से काम में लेने के लिए शिक्षक को तैयार करना चाहिए।
b. सेवाकालीन शिक्षा को लेकर ठोस नीतियों और प्राथमिकताओं का अभाव देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों की आवश्यकता, जरूरतों को ध्यान में रखते हुये और वर्तमान में आ रही चुनौतियों और समस्याओं की पहचान कर आयोजित नहीं किए जाते हैं। प्रशिक्षणों के दौरान उचित संसाधनों की उपलब्धता और उनका प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए अधिक उद्देश्यपूर्ण व प्रासंगिक प्रशिक्षणों को डिज़ाइन और आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
c. शिक्षक प्रशिक्षण में अकादमिक विषयों के साथ-साथ सामाजिक, भावनात्मक विकास, नैतिक मूल्यों, प्रबंधन एवं नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाने की आवश्यकता है।
d. शिक्षक प्रशिक्षक के चयन की प्रक्रिया योग्यता के आधार पर लिखित मूल्यांकन, प्रदर्शन (डेमो) सत्र, साक्षात्कार, कौशल और विषय आधारित लिखित मूल्यांकन जैसे चरणों से गुजरने वाली होनी चाहिए।

[1] Level of stress among school teachers of a school in South Delhi, India - https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&u=googlescholar&id=GALE|A597041087&v=2.1&it=r&sid=AONE&asid=6bc97cc5

RSCERT, UDAIPUR

e. नियमित मेंटरशिप और नॉलेज शेयरिंग का अभाव है। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों से लगातार फीडबैक/फॉलोअप लिया जाए और समय-समय पर उन्हें आवश्यक सहयोग दिया जाए। इसके लिए पीईईओ में मेंटर टीचर्स या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई का प्रावधान है।

f. अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षण व्याख्यान विधियों पर आधारित रहे हैं, सत्रों में सहभागिता के कुछ खास अवसर नहीं होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों में व्याख्यान पद्धति के उपयोग को कम करने और सत्र को दो तरफा संवाद को स्थापित करने, शिक्षकों को समूह चर्चा के अवसर, अभ्यास कार्य के माध्यम से अनुभवात्मक ज्ञान के निर्माण के अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण स्थल पर अनुकूल परिस्थितियाँ एवं सभी प्रकार के आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए एवं प्रशिक्षण हेतु उचित बजट आवंटित किया जानी चाहिए।

g. बदलती परिस्थितियों में राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को वार्षिक योजना तैयार कर, विषयवस्तु की प्रासंगिकता और आवश्यकता पुनःनिर्धारित कर विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ, ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविरों, परिसंवाद आदि का आयोजन करवाए जाने की आवश्यकता हैं।

शिक्षा में हाल ही में हुई तकनीकी प्रगति और सूचनाओं तक आसान पहुँच से शिक्षक की भूमिका में एक बड़ा परिवर्तन आया है। ऑनलाइन माध्यमों से आज कल सीखना हर जगह होता है, और उसे छात्रों की पसंद और शैलियों के अनुसार अनुकूलित भी किया जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अपेक्षा है वे शिक्षक शिक्षिकाओं को ना सिर्फ डिजिटल तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित कर पाने के लिए तैयार करें, बल्कि उन्हें एक अच्छे फेसिलिटेटर के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएँ जो कि सूचनाओं, डिजिटल तकनीक, विभिन्न प्लैटफ़ार्म और शिक्षार्थियों के लिए सीखने के एक अनुभव को रोज़मर्रा के अपने अकादमिक नियोजन में प्रभावी रूप में शामिल कर पाए

RSCERT, UDAIPUR

4.4.3. राज्य के सेवारत शिक्षकों की अधिगम आवश्यकताएँ

a. शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रम आवश्यकता आधारित होना चाहिए। सभी के साथ एक जैसे प्रशिक्षण नहीं किए जाने चाहिए बल्कि शिक्षकों को अपनी आवश्यकता व चुनौतियों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनने के विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ।

b. इन कार्यक्रमों के उद्देश्य स्पष्ट हों और चिह्नित समस्याओं और चुनौतियों पर आधारित हों।

c. कार्यक्रम एक तरफा ना होकर सभी की भागीदारी व सभी संभागियों में संवाद स्थापित करना सुनिश्चित करे, जिसमें सभी को अभ्यास के अवसर प्राप्त हों।

d. प्रशिक्षण में रोचक और नवाचारी गतिविधियों का उपयोग किया जाए। तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नए शोध से परिचित कराया जाए तथा अपने स्तर पर एक्शन रिसर्च और शोध करने के लिए प्रेरित किया जाए।

e. शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में सभी संसाधनाओं की सहज उपलब्धता होना आवश्यक है। प्रशिक्षण स्थल पर गुणवत्तायुक्त मूलभूत आवश्यकताएँ उपलब्ध हों।

f. इन शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए मापदंड तैयार किए जाएँ। इसके तहत कार्यक्रम प्रभारी, दक्ष प्रशिक्षक, संभागियों आदि सभी की भागीदारी की गुणवत्ता को इन मानकों के आधार पर ही तय किया जाए। इसमें NPST/RPST के मानकों को भी आधार बनाया जा सकता है।

g. ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाएँ जिनसे शिक्षक को अपने कार्यस्थल के स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पहलुओं को समझने व उनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समावेश करने की समझ बन सकें।

h. सेवारत शिक्षकों के लिए विभिन्न संस्थाओं, विभागों व स्तरों पर होने वाले शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को पूर्व नियोजित योजना बना कर आयोजित किए जाएँ।

4.4.4. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य

a. **प्रारंभिक शिक्षक** के रूप में प्रवेश करने वाले शिक्षक से अपेक्षा होगी कि सीखे गए सभी कौशलों का अपने शिक्षण में प्रयोग करेगा, साथ ही अनुभवी साथियों से संवाद कर अपनी क्षमताओं में निरंतर परिमार्जन करेगा। ऐसे शिक्षकों का ज्ञान एवं कौशल उनके कार्य में परिलक्षित होगा तथा वह एक प्रवीण शिक्षक के रूप में पहचाना जाएगा।

b. **प्रवीण शिक्षक** : इस स्तर पर शिक्षक से अपेक्षा रहेगी कि वह निरंतर पढ़ने, लिखने एवं नवाचार से अपने आप का उन्नयन करता रहेगा तथा कक्षा शिक्षण में नवाचा**रों** का समुचित उपयोग करेगा। उनसे अपेक्षा रहेगी कि वह नवनियुक्त शिक्षकों का सहयोग करेंगे।

c. **कुशल शिक्षक** : इस स्तर पर शिक्षक से अपेक्षा है कि वह निरंतर उच्च स्तर की कार्य प्रणाली को लागू करेगा जिसमें एक क्रियात्मक अनुसंधान आधारित परिणामों को सम्मिलित करते हुए विद्यालय में प्रयासरत रहेंगे तथा प्रारंभिक स्तर एवं प्रवीण स्तर के शिक्षकों को संबलन देंगे और अपना सतत व्यावसायिक उन्नयन जारी रखेंगे।

d. **प्रमुख शिक्षक** : इस स्तर पर शिक्षक अपने आप को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगा तथा उपयुक्त शिक्षण विधियों को सार्वजनीकरण के लिए प्रयासरत रहेगा तथा अपने से अन्य स्तरों के सभी शिक्षकों को मार्गदर्शन देगा।

4.4.5. सेवारत शिक्षक की अधिगम आवश्यकताएँ

a. राज्य में सेवारत शिक्षकों के अधिगम के दायरों को व्यापक करना जरूरी है। शिक्षक अपने अधिगम के बारे में खुद निर्णय लेना पसंद करते हैं यह स्वायत्तता, समय निर्धारण, अधिगम सामग्री के रूप में और अधिगम के तरीकों से संबंधित हो सकती है। शिक्षकों को अपनी क्षमता वर्धन के लिए सीखने के अलग-अलग तरीके चुनने का विकल्प मिलें। शिक्षक के अर्जित अनुभवों के साथ अधिगम प्रक्रिया जुड़ी हुई हो। अधिगम अनुभव के निर्माण के समय शिक्षक के परिवेश व उसकी शब्दावली को शामिल करना आवश्यक है।

b. शिक्षकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिगम अनुभव चयन करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। साथ ही वे विभिन्न अवसरों पर अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा कर सकें, अपने अनुभव को साझा कर दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। साथ ही, संवैधानिक मूल्यों के तहत समता-समानता, बंधुत्व और न्याय आदि के लिए तर्कशील चिंतन विश्लेषण कर सकें। उन्हें छात्र केंद्रित शिक्षण रणनीतियाँ को पहचान कर लागू करने के लिए लचीलापन व स्वायत्तता मिलें।

c. सेवारत शिक्षकों को उनके विद्यार्थी की समझ क्या है, उनका विद्यार्थी कैसे सीखता है, किन तरीकों से सीखता है, इन सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए शिक्षण अधिगम की आवश्यकताओं का निर्माण होता है, इस हेतु उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के मौके मिलें। विद्यार्थियों को निर्देशन एवं परामर्श देने हेतु उन्हें समसामयिक विषयों की जानकारी की आवश्यकता होती है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु नवाचार, नई शिक्षण विधियाँ, प्रभावी संप्रेषण, नवीन शिक्षा सामग्री को सीखने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों में शुरू से ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करने हेतु कक्षा अनुसंधान भी शिक्षक अधिगम की आवश्यकता है। अपने विषय को कैसे समृद्ध करें, विभिन्न विषयों को किन रोचक तरीकों से पढ़ाएँ , इन उद्देश्यों पर उसे समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विविधताओं को समझना और इस दृष्टिकोण से विभिन्न गतिविधियों में को कर पाना एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

4.4.6. क्रियान्वयन - सेवारत शिक्षक

a. शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर समूह का निर्माण कर विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए।

b. शिक्षकों को ऐसे मंच दिए जाएँ जहाँ वे अपने अनुभव साझा कर सकें, उन पर संवाद कर, दूसरों की मदद कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।

c. शिक्षकों की कार्यशालाओं को औपचारिक से व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाए।

d. शिक्षकों के गुणवत्ता सूचक देखे जा सकें इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के वातावरण में नवीन बदलाव किए जाएँ व कक्षा अनुसंधान को अनिवार्य किया जाए। कई पहलू वे कक्षा में प्रयास करके ही सीख सकेंगे, जैसे

   ○ विविधिता एवं समवेशीकरण हेतु विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक संबंध बनाना,

   ○ स्थानीय लोक गीतों, कलाओं और नृत्यों को विद्यालय के साथ साझा करने हेतु गतिविधियाँ आयोजित करना।

⌘❖⌘❖⌘❖⌘

RSCERT, UDAIPUR

अध्याय 5

शिक्षक शिक्षा – प्रमुख सैद्धांतिक आधार

शिक्षक-शिक्षा के बारे में हमारे विजन, प्रदेश के संदर्भ और शिक्षकों की आवश्यकताओं के साथ-साथ यह शिक्षक-शिक्षा पाठ्यचर्या प्रमुख समकालीन शैक्षिक सिद्धांतों पर भी आधारित है। उन्हें इस अध्याय में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

5.1. शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य – शिक्षा के संदर्भ में

a. शिक्षक (सेवापूर्व, सेवारत) में शिक्षण के प्रतिरुचि उत्पन्न करना।
b. कक्षा-कक्ष परिस्थितियों में सामाजिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए लचीली शिक्षण योजना का निर्माण करें।
c. 21वीं सदी कि आवश्यकताओं के अनुरूप सहज अधिगम संस्थिति का निर्माण हो जिसमें शिक्षक सुविधाप्रदाता की भूमिका में रहे।
d. शिक्षक (सेवापूर्व, सेवारत) में समालोचनात्मक सोच (क्रिटिकल थिंकिंग), सृजनात्मक मौलिक चिन्तन एवं क्रियात्मक अनुसंधान कौशल को विकसित करना।
e. बहुभाषी एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अंतर-अनुशासनात्मक (inter-disciplinary) सह-सम्बन्ध द्वारा शिक्षण अधिगमकर्ता को अनुकूल बना सके।

5.2. प्रशिक्षण संस्थान एवं शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका - समाज विद्यालय के संदर्भ में

a. समाज को संवेदनशील एवं जिम्मेदार शिक्षक प्रदान करना।
b. शिक्षक में सतत गुणात्मक वृद्धि को संस्कारित करना।
c. शिक्षक में पारिस्तिथिकी से जुड़ाव विकसित कर समुदाय आधारित शिक्षण कौशल विकसित करना।

5.2.1. सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में

a. शिक्षण संस्थान प्रशिक्षणार्थी में बहु-विषयक एवं अन्तर अनुशासनात्मक शिक्षण कौशल का विकास करे।
b. भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक संदर्भों से जोड़ अधिगम को सहज व सरल बनाने का वातावरण निर्मित करना।
c. विशिष्ट योग्यजन, सामाजिक रूप से पिछड़े एवं थर्ड जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाने वाली गतिविधियाँ कराना।
d. परम्परागत (ऑफलाइन) शिक्षण शास्त्र को डिजिटल पेडागॉजी से सम्बद्ध करना सार्थक होगा।

5.2.2. सेवारत अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में

a. सतत व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करते हुए सार्थक पुनर्बलन की व्यवस्था करना।
b. शिक्षा के उद्देशों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों, अनुदेशन सामग्रियों के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को कक्षा-कक्ष परिस्तिथियों के अनुकूल ढालना।
c. उपागम (एप्रोच) को स्थानीय आवश्यकता से सम्बद्ध कर अधिगम सुलभ तकनीक निर्माण की व्यवस्था करना।
d. प्रशिक्षण के दौरान विद्यालयी एवं महाविद्यालयी शिक्षा के मध्य के अंतराल को सम्बद्ध करने की बात भी की जाए।
e. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अधिकाधिक अधिगमकर्ता केन्द्रित बनाने के लिए योजना बनाना।
f. विषय अध्यापक के लिए अपने विषय के साथ अन्य विषयों व भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाए जिससे कक्षा-कक्ष को बहुविषयात्मक एवं बहुभाषी स्वरूप दिया जा सके।
g. शिक्षण को तकनीक से सम्बद्ध करने से आपातकालीन परिस्थितियों में भी अधिगम सुचारू एवं सुलभ होगा।
h. पियर लर्निंग से सेवारत शिक्षकों की व्यावसायिक विशेषताओं को अद्यतन किया जा सकता है।

RSCERT UDAIPUR

5.3. शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और लक्ष्य

शिक्षा में गुणवत्ता केवल परीक्षाओं में पाए गए नतीजों से ही नहीं गिनी जाती बल्कि इस आधार पर समझी जाती है कि किस प्रकार के संबंध, प्रक्रियाएँ और सीखने के उच्चस्तरीय लक्ष्य हासिल किए गए हैं। शिक्षक-शिक्षा के संदर्भ में भी यही समझ लागू होती है। इसके पहलू आगे के खंडों में प्रस्तुत किए गए हैं।

5.3.1. सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता

नई शिक्षा नीति और नई पाठ्यचर्या के आलोक में शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे पाठ्यपुस्तक और विषयवस्तु से बढ़कर सीखने की प्रक्रिया पर बल देंगे, विशेष रूप से बच्चों की अपने ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता पर। विषयों के भीतर, वे उच्च क्रम के सीखने के उद्देश्यों पर जोर देंगे, स्थानीय ज्ञान और भाषा को स्थान देंगे, और समानता को महत्व । अत:, रचनावादी शिक्षाशास्त्र का उपयोग करते हुए, शिक्षक व्याख्यान और रटने की प्रक्रिया को छोड़कर, गतिविधि, परियोजनाओं और अन्वेषण (चिंतन और अनुप्रयोग द्वारा समर्थित) का प्रयोग कर छात्रों को अपनी समझ विकसित करने में मदद करेंगे ।

a. शिक्षक अधिगम द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक परिस्थितियों से जोड़ता हुआ उसे कक्षा में छात्रों के अधिगम को सहज एवं सरल बनाने में सक्षम हो सके।
b. प्रशिक्षणार्थी परिस्थितिजन्य निर्णय लेने में सक्षम हो, जो कि शिक्षण के साथ-साथ विद्यालय व समुदाय के मध्य अंतर्संबंध स्थापित करने में सहायक होगा।
c. प्रशिक्षण में रचनावाद एवं डिजिटल शिक्षा शास्त्र आधारित शिक्षण विधियाँ अपनाई जाए साथ ही इनका सतत अद्यतन करना सार्थक होगा।
d. शोध परियोजनाओं को लेने के लिए मेंटरिंग की व्यवस्था हो, महाविद्यालय स्तर पर ही शोध परियोजना आमंत्रित कर रिव्यू करने से शिक्षा में गुणवत्ता आएगी और भविष्य में शोध के प्रति रुझान विकसित होगा।

5.3.2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षक-शिक्षा की प्रक्रिया

a. यह आवश्यक है कि शिक्षक-शिक्षा का प्रक्रिया शिक्षकों को स्वयं वह अनुभव करने के मौके दे जो उन्हें अपनी स्थिति में अपने विद्यार्थियों के लिए करना है, और इस प्रकार करे कि वे उसे अपने संदर्भ में लागू कर सकें।
b. प्रक्रिया को वृद्धिशील तरीके से उपयोग में लेना होगा - अर्थात, चरण दर चरण, आसान और अधिक प्राप्य परिवर्तनों से अधिक जटिल परिवर्तनों की ओर बढ़ना।
c. एंड्रागॉजी (या वयस्क शिक्षा, और विशेष रूप से शिक्षक कैसे सीखते हैं) के सिद्धांतों के अलावा, इसके लिए उस क्रम की समझ की भी आवश्यकता होती है जिसमें शिक्षक सीखते हैं।
d. इन सब में, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक महसूस करें -
    - कि वे मूल्यवान हैं,
    - उनके साथ पेशेवर के रूप में व्यवहार किया जाता है, और
    - जिस बदलाव का लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल करने और उसे कायम रखने के लिए उन्हें काफी लंबी अवधि तक सलाह दी जाती है।
e. इसके लिए उपयोगी होगा कि -
    - संकेतकों के माध्यम से मानक-सेटिंग और बेंचमार्किंग का उपयोग हो (इनके आधार पर 'लक्ष्य निर्धारण' और मॉनिटरिंग की जाए) ।
    - आमने-सामने की बातचीत (कार्यशालाओं, स्कूल-आधारित सलाह, निगरानी और पर्यवेक्षण और मासिक क्लस्टर बैठकों जैसी सहकर्मी बातचीत सहित) ।
    - सामग्री (मुद्रित और गैर-मुद्रित, जैसे रेडियो/टीवी/इंटरनेट/कंप्यूटर/मोबाइल पर प्रसारित डिजिटल सामग्री) ।
    - स्वयं और बाह्य मूल्यांकन के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन उपकरण (tools) ।
    - एक्सपोजर विजिट ।
    - वेब और सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से सूचना पहुँच में वृद्धि ।

RSCERT, UDAIPUR

- सहमत मानकों/मानदंडों को प्राप्त करने वाले सभी लोगों की पहचान के वस्तुनिष्ठ साधन।
- शिक्षकों के विकास को सक्षम करने में शामिल कर्मियों और संस्थानों की पूरी श्रृंखला में नेतृत्व (विशेष रूप से एचटी) में कौशल के विकास, पर्यवेक्षण, निगरानी और सलाह के लिए समर्थन।
- संस्थागत स्मृति के साथ-साथ एक 'सीखने की प्रणाली' उत्पन्न करने की दृष्टि से अनुभव और साक्ष्य का दस्तावेज़ीकरण और आवधिक विश्लेषण, जो लगातार पहले किए गए कार्यों पर आधारित होता है।

f. इन इनपुटों का सटीक मिश्रण संदर्भ, निर्धारित उद्देश्यों और सहमत प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इन्हें कक्षा में लागू किए जाने वाले शिक्षाशास्त्र और प्रदर्शन मानकों और इन्हें प्राप्त करने की दिशा में शिक्षकों में विकास के क्रम से उभरने वाले ढाँचे के आसपास बनाया जाएगा।

g. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विशेष तौर पर आवश्यक है कि
- प्रशिक्षण पूरी तरह कार्यात्मक और जीवंत शिक्षक सहायता प्रणाली के रूप में हो,
- शिक्षकों को लगे कि उन पर विश्वास किया जा रहा है (लगातार उनकी निंदा करने और शिक्षा प्रणाली की सभी बुराइयों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने के बजाय) और
- प्रशिक्षक स्वयं उन परिवर्तनों को प्रकट करने और व्यवहार में लाने में सक्षम हों जो वे शिक्षकों से करने के लिए कह रहे हैं।

h. इस प्रयोजन के लिए, प्रशासकों, निर्णय निर्माताओं, प्रशिक्षकों और सलाहकारों को भी बेहतर समझ, कार्यान्वयन कौशल और वांछित परिवर्तन की मॉडलिंग के लिए समर्थन की आवश्यकता है।

5.3.3. संबंध

a. स्पष्ट है कि इस तरह की प्रक्रिया एक जड़ पदानुक्रम की स्थिति में नहीं की जा सकती। यह आवश्यक है कि शिक्षकों को सहयोगात्मक संबंधों का अनुभव मिले- *वे खुलकर अपनी बात कह सकें, होने वाली प्रक्रियाओं, चर्चाओं, आदि में भाग ले सकें, बेहिचक नए तरीकों से कार्य करके देख सकें। साथ ही वह यह भी जाने कि उनके सह-प्रशिक्षणार्थी भी उनके सीखने में बहुत सहायक हो सकते हैं* - अतः मिलकर कार्य करना और समूह में सीखना इस पूरी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

b. प्रशिक्षण के दौरान समुदाय से जुड़ाव को बढ़ाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए।

5.3.4. सीखने सिखाने में सहायक परिस्थितियाँ

a. सेवापूर्व शिक्षक को स्टाइपेड प्रदान किया जाए जिससे प्रशिक्षण के प्रति गुणात्मक रुझान बना रहेगा।

b. थर्ड जेंडर के साथ महिला प्रशिक्षणार्थियों को भी छात्रवृति प्रदान की जाए।

c. सेवारत शिक्षकों को जिला मुख्यालय से दूरी/भौगोलिक स्थितियों के आधार पर आर्थिक परिलाभ या पदोन्नति की व्यवस्था की जानी सार्थक होगी।

d. सेवापूर्व व्यवस्था में नवाचारों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। इसका अधिभार प्रशिक्षणार्थी के मूल्यांकन एवं संस्थापन में दिए जाने की व्यवस्था हो। इससे गुणात्मकता की तरफ रुझान बढेगा।

5.4. प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका-समाज के संदर्भ में

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका समाज को ऐसा शिक्षक प्रदान करना है जो कि शिक्षार्थी को हृदयस्पर्शी अधिगम भाग लेने के मौके रचे। समाज से प्राप्त एक प्रशिक्षणार्थी को लोकमान्य शिक्षक बनाने के लिए संस्थान अपने मानवीय, भौतिक एवं पारिस्थितिकी संसाधनों को प्रयुक्त करता है। सेवारत शिक्षक के सामाजिक सरोकारों को शोधित एवं संस्कारित करने का दायित्व प्रशिक्षण संस्थानों व प्रशिक्षकों का होता है। हमारा समूह बदलते परिप्रेक्ष्य में समाज के संदर्भ में शिक्षक, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका को रूप में निम्नलिखित अनुशंसाएँ करता है:

RSCERT, UDAIPUR

a. प्रशिक्षण संस्थान के निकटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक, आर्थिक पिछड़े वर्ग के बच्चों, घुमन्तु परिवारों के बच्चों को प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से सम्बद्ध करना। (आस्ट्रिया का उदाहरण)
b. स्थानीय संसाधनों की खोज एवं उसके दोहन के लिए रुपरेखा का निर्माण करना।
c. प्रत्येक संस्थान के पास आईटी लेब होती है जिसका इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम के लिए हो। महिलाओं को इससे जोड़ आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना।
d. वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम द्वारा स्वयं सहायता समूह के बारे में प्रशिक्षणार्थियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।
e. समुदाय के परम्परागत व्यवसायों को संरक्षित करने में प्रशिक्षणार्थियों का सहयोग लिया जाए।
f. व्यावसायिक विकास के लिए समुदाय के उद्यमशील व्यक्तियों से प्रशिक्षणार्थी का अभिमुखीकरण करवा कर इंटर्नशिप कराना सार्थक होगा।
g. पुरातन छात्र परिषद को सशक्त बना संस्थान के निकटवर्ती गाँवों को गोद लेने को प्रेरित करना।
h. सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनौपचारिक रूप से जोड़कर समुदाय को साक्षर करने में सहायक होगी।

अनुशंसाएँ

a. विशिष्ट योग्यजन, सामाजिक रूप से पिछड़े एवं थर्ड जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाने वाली गतिविधियाँ कराना।
b. प्रशिक्षण अवधि में रोजगारपरक एड ऑन (add-on) कोर्सेस करने की व्यवस्था हो, साथ ही अकादमिक उन्नयन के लिए दूरस्थ या ऑनलाइन माध्यम के विकल्प खुले रखने होंगे। जिनका इस्तेमाल शिक्षण के दौरान अन्तर-अनुशासनात्मक रूप में किया जा सकेगा, जो बहु-गुणात्मकता का कारक होगा।
c. परम्परागत शिक्षण शास्त्र को डिजिटल पेडागॉजी से सम्बद्ध करना सार्थक होगा।
d. सेवारत शिक्षकों को ऑन साईट प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही किसी भी विषयगत समस्या के लिए विशेषज्ञों की ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित हो। (सीटीइ फ्रेमवर्क)
e. सेवापूर्व के साथ ही सेवारत के लिए भी अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट कि व्यवस्था हो, जिसमें समस्त व्यक्तिगत, व्यावसायिक उपलब्धियों का सतत समवेशन किया जाए एवं इसे आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए, जिससे साथी शिक्षक भी प्रेरित हो सकें। इस क्रेडिट व्यवस्था के आंकड़ों को पदोन्नति का आधार बनाया जा सकेगा।
f. विशिष्ट सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग, CWSN शिक्षकों, महिला अधिकार, संवेदनशील पहलुओं, थर्ड जेंडर के अधिकारों एवं समावेशी शिक्षा पर शोध व व्यवहारिक कार्य करने वाले शिक्षकों के योगदान को महत्त्व देना सार्थक होगा।
g. सेवापूर्व शिक्षक को स्टाइपेंड प्रदान किया जाए जिससे प्रशिक्षण के प्रति गुणात्मक रुझान बना रहेगा।
h. सेवारत शिक्षकों को जिला मुख्यालय से दूरी/भौगोलिक स्तिथियों के आधार पर आर्थिक परिलाभ या पदोन्नति की व्यवस्था की जानी सार्थक होगी।
i. व्यावसायिक विकास के लिए समुदाय के उद्यमशील व्यक्तियों से प्रशिक्षणार्थी का अभिमुखीकरण करवा कर इंटर्नशिप कराना सार्थक होगा।

⌘❖⌘❖⌘❖⌘

RSCERT UDAIPUR

खंड - ब

सीखने-सिखाने का अकादमिक पक्ष

RSCERT UDAIPUR

खंड - ब

शिक्षक शिक्षा का स्वरूप, कोर्स व विधियाँ

6.	शिक्षक शिक्षा का स्वरूप व कोर्स	
7.	शिक्षक शिक्षा में उपयोग की जाने वाली विधियाँ	
8.	समावेशी शिक्षक-शिक्षा	
9.	शिक्षक-शिक्षा का आकलन और मूल्यांकन	

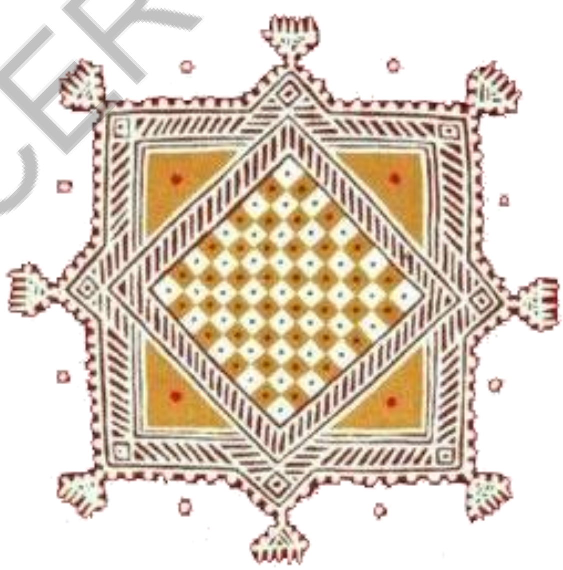

RSCERT, UDAIPUR

अध्याय 6

शिक्षक-शिक्षा का स्वरूप

6.1. सीखने-सिखाने का अकादमिक पक्ष

6.1.1. प्रशिक्षु शिक्षक के स्तर पर अधिगम (Andragogy)

शिक्षकों के सीखने (सेवापूर्व और सेवारत) या अधिगम को बेहतर समझने के लिए हमें andragogy principles यानि वयस्कों के सीखने के सिद्धांतों को समझने और शिक्षण प्रक्रियाओं में पालन करने की आवश्यकता है। वयस्कों के सीखने के सिद्धांत इस प्रकार हैं।

6.1.1.1 सीखने की आवश्यकता

वयस्क वह ज्ञान और कौशल अर्जित करने में ज्यादा रुचि रखते हैं,जिसे वे अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास के लिए बहुत उपयोगी तथा आवश्यक मानते हैं। अतः शिक्षक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षणों में किसी विषय, परिप्रेक्ष्य या संसाधनों के उपयोग पर बात करते समय बार-बार यह बात करनी होगी की यह नया ज्ञान या कौशल उनके लिए क्यों आवश्यक है तथा काम के दौरान इसकी क्या उपयोगिता होगी।

6.1.1.2 अनुभव से सीखना

वयस्क अपने अनुभवों से सीखते हैं। वे सीखने की प्रक्रिया में अपने तथा अन्य लोगों के अनुभवों से ज्यादा बेहतर समझ बनाते हैं। स्वयं के अनुभव उनके सीखने की गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है। अतः शिक्षा शिक्षा में हमें अधिक से अधिक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर बनाने होंगे। इस प्रक्रिया में पहले किए जा चुके शोध, अध्ययन और क्रियात्मक शोध का उपयोग कर दिशा अवश्य प्राप्त की जाए, लेकिन उन्हें स्वयं भी वह काम कर के अपनी समझ को पुख्ता करने और नया सीखने के अवसर बनाए जाएँ।

6.1.1.3 आत्म निर्भरता और स्वयं की भागीदारी

वयस्क अपनी अस्मिता और पहचान के प्रति भी बहुत संवेदनशील होते हैं। नया सीखने या बेहतर करने की प्रेरणा उनके भीतर से आती है। सीखने की प्रक्रिया में वे बहुत जल्दी आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं। अतः इस प्रक्रिया में वे स्व-निर्देशित होना पसंद करते हैं। शिक्षक शिक्षा में हमें इन मुद्दों का ध्यान रखना होगा। सीखने कि प्रक्रिया में वयस्कों को सीखने के तरीकों और सहायक सामग्रियों या संसाधनों के चयन की स्वतंत्रता होना चाहिए। यदि किसी काम की योजना बनाने, उसे करने और इसके आकलन/मूल्यांकन में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तो इसके ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

6.1.1.4 सीखने की प्रेरणा

वयस्क स्व-निर्देशित होते हैं। उनकी आंतरिक प्रेरणा उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षक शिक्षा में कुछ आवश्यक तौर-तरीके तय करने या आवश्यक नियम या दिशानिर्देश बनाने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस तरह वे ज्यादा बेहतर अनुपालना करेंगे।

RSCERT, UDAIPUR

6.1.1.5 तात्कालिक तथा अनिवार्य

वयस्कों को उन विषयों को सीखने में सबसे अधिक रुचि होती है, जो उनके काम या व्यक्तिगत जीवन के लिए तत्काल आवश्यक होती है तथा तुरंत उसका प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर का संचालन सीखने के साथ ही तुरंत वे उसका उपयोग भी करना चाहते हैं।

6.1.1.6 समस्या समाधान

वयस्क समस्या समाधान करते हुए सीखते हैं। ऐसे मुद्दों या समस्याओं पर काम करने में रुचि लेते हैं जिनका तत्काल समाधान आवश्यक है तथा यह उनके तथा अन्य लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। शिक्षकों के सीखने की प्रक्रिया को हमें सामग्री के उपयोग से सीखने पर केंद्रित ना करते हुए समस्या केंद्रित बनाना होगा।

शिक्षकों (सेवारत तथा सेवापूर्व) के साथ सीखने-सिखाने की योजना बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए :-

a. अनुभव-आधारित अधिगम के साथ ही योजना विधि, खोज उन्मुख, चर्चा आधारित, शिक्षार्थी केंद्रित व लचीली अधिगम विधियों का प्रयोग किया जाएगा।

b. इंटर्नशिप जैसे कार्यक्रम से स्वयं शिक्षण करके अनुभव प्राप्त करने तथा अपने साथियों के अनुभवों से सीखने के ज्यादा से ज्यादा अवसर बनाए जाएंगे।

c. प्रशिक्षु शिक्षकों को हर समय कोई कार्य करवा कर अनुभव सृजित करने की आवश्यकता नहीं होती, उनके पूर्व अनुभव, या उनके साथ कोई सार्थक मानसिक गतिविधि करके प्राप्त अनुभवों को आधार बना कर उन पर चिंतन, समेकन का कार्य किया जाएगा।

d. सेवापूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षकों को विद्यालय में देखी जाने वाली किसी आम समस्या को एक चुनौती के रूप में दिया जाएगा। उन्हें आपस में मिलकर इसका समाधान ढूँढने के लिए कहा जाएगा। इस तरह वे समस्या समाधान करते हुए सीखेंगे।

e. सेवारत शिक्षकों के लिए ऐसे मंच सृजित किए जाएंगे (या वे स्वयं बनाएंगे) जहां अपने अनुभव एक दूसरे से साझा कर सकें, उन पर संवाद, चिंतन कर सकें व साझा समझ और अनुभवों के आधार पर कक्षा-कक्ष शिक्षण या प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें। क्रियात्मक शोध जैसे कार्यक्रमों को इसका आधार बनाया जाएगा।

f. शिक्षकों के अधिगम हेतु सम्मानजनक, समावेशी, संवेदनशील व प्रोत्साहित करने वाला माहौल बनाया जाए। उन्हें स्वयं करके सीखने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करने की स्वतंत्रता होगी।

g. शिक्षकों के अधिगम तथा उनकी चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षणों से पहले व बाद के आकलन से प्राप्त डाटा का उपयोग किया जाए। यह पहचानना भी ज़रूरी है कि लिखित आकलन समझ के स्तर पर अधिक केंद्रित होता है, और वास्तविक प्रदर्शन के आकलन के लिए अवलोकन का आवश्यकता पड़ती है।

h. सेवारात शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए आवश्यकता के अनुसार समूहों का निर्माण किया जाएगा तथा इसी अनुरूप विषयवस्तु, शिक्षण विधियाँ और परिप्रेक्ष्य के मुद्दों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अपने प्रयासों के प्रभाव जानने तथा इसके परिणाम देख पाने के लिए उन्हें अपने स्तर पर और अपने तरीकों से आकलन करने की स्वतंत्रता होगी।

i. शिक्षकों को अपने साथियों, वरिष्ठ व अनुभवी अध्यापकों से विचार-विमर्श कर तथा एक दूसरे की कक्षा-कक्ष अवलोकन कर सुझाव देने की प्रक्रियाएँ बनाई जाए।

RSCERT, UDAIPUR

j. स्कूल स्तर पर टीम मीटिंग, स्वाध्याय समूह, नवाचारों का साझाकरण, व्यक्तिगत असाइनमेंट, एक्शन-रिसर्च के अनुभव साझा करने के अवसर मिलें।

6.1.2. प्रशिक्षु शिक्षक के संदर्भ में ज्ञान से हम क्या समझते हैं ?

6.1.2.1 बच्चों के विकास को कैसे प्रभावी बनाया जाए ?

प्रशिक्षु शिक्षक जिस आयु वर्ग में हैं वहाँ ज्ञान निर्माण के लिए अब बहुत ज्यादा नए इंद्रिय अनुभव या ठोस वस्तुओं और घटनाओं के अनुभव देने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अब तक के उनके अनुभवों को आधार बनाकर चिंतन और विश्लेषण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बतौर शिक्षक वे ज्ञान को अर्जित करने के तौर-तरीकों पर गहरी समझ बनाएंगे। वे अपने विद्यार्थियों को ना सिर्फ नई चीजें सीखने में सहयोग करेंगे, बल्कि इस रूप में भी तैयार करेंगे की यदि भविष्य में कुछ नया सीखने की आवश्यकता पड़ती है तो वे कैसे सीखेंगे।

a. शिक्षक को इस रूप में तैयार किया जाएगा जहाँ वे स्वयं द्वारा अर्जित ज्ञान को आधार बनाकर अपने विद्यार्थियों को भी ज्ञान निर्माण के अवसर दे सकें। वे अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाकर, उसे रोचक बनाते हुए छात्रों तक पहुँचा सकें। प्रशिक्षु शिक्षक केवल विषय ही नहीं जानेंगे, बल्कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया या शिक्षण विधियों के बारे में भी समझेंगे।
b. एक शिक्षक जो स्वयं तो विषयगत ज्ञान से परिपक्व है अर्थात् अपने विषय के ज्ञान में निपुण है, किंतु वह अपनी कक्षा-कक्ष में ऐसे अवसर नहीं बना पाते जहाँ उनके विद्यार्थी भी इस ज्ञान का निर्माण कर सके, तो ऐसे में शिक्षक के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। NCF 2005 ने शिक्षकों की भूमिका 'ज्ञान के स्त्रोत' के बदले 'एक सुविधाप्रदाता' के रूप में निर्धारित की है।
c. एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए, ऐसे स्वतंत्र चिंतन व निर्णय लेने में सक्षम शिक्षक जो विद्यार्थियों के सीखने के लिए उत्साहवर्धक सहज परिस्थितयों का निर्माण कर सके व छात्रों के सर्वांगीण (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, सकारात्मक मूल्यों के) विकास के अवसर पैदा कर सके।

6.1.2.2 इस संदर्भ में शिक्षकों को तैयार या प्रशिक्षित करने हेतु निम्न सुझाव हैं:

a. शिक्षक को अपने विषय, शिक्षण प्रक्रिया के समस्त पक्षों जैसे अंतर–अनुशासनात्मक एवं बहुविषयात्मक अध्यापन संस्थितियों के निर्माण की जानकारी होगी।
b. कक्षा-कक्ष शिक्षण और प्रबंधन में आवश्यकता अनुसार स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगे। जैसे, स्थानीय भाषा, संस्कृति, कला, हुनर, गीत तथा किस्से- कहानियाँ व मूल्यों का समावेश कर परिस्थिति के आधार पर अधिगम प्रक्रिया सुलभ बना सकेंगे।
c. अपनी सीमाओं और चुनौतियों को पहचान कर निरंतर सीखते हुए अपने कौशल व ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे।
d. शिक्षण, प्रबंधन तथा दस्तावेजीकरण के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल कर सकेंगे।
e. संवैधानिक मूल्यों, लोकतान्त्रिक संदर्भों और वैज्ञानिक विधियों तथा शोधों का उपयोग करते हुए भावी पीढ़ी में तार्किक सोच, चिंतन तथा विश्लेषण की क्षमताओं का विकास कर सकेंगे।
f. समावेशी शिक्षा के विचार को समझेंगे। विविध पृष्टभूमि से आए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनेंगे। स्थानीय समुदाय, वंचित वर्ग, बालिकाओं, थर्ड जेंडर, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझ कर उनके बेहतर सीखने में सहयोग करेंगे।
g. विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक विविधताओं वाले विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील बनेंगे और उनके साथ बराबरी पूर्ण, अच्छा व्यवहार रखते हुए सीखने में सहयोग करेंगे।
h. भविष्य की चुनौतियों, महामारी या अन्य संकट से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। किन्हीं आपात परिस्थितियों में विद्यालय एवं समुदाय को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में संवेदनशील, समानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। इस संदर्भ में तकनीकी के उपयोग को सीखेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे।

6.1.3. शिक्षक प्रशिक्षण में समुदाय रूपी ज्ञान विरासत एवं उसका उपयोग

एक शिक्षक या शिक्षण संस्था का समुदाय बहुत व्यापक होता है। इसमें स्थानीय समुदाय, अभिभावक, जन प्रतिनिधि,बच्चे, शिक्षक समुदाय, अधिकारी गण, सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएँ भी शामिल हैं। बच्चों के गुणवतापूर्ण शिक्षा तथा सीखने के अवसर उपलब्ध करने में इन सभी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। शिक्षक प्रशिक्षक इन सभी भागीदारों के बीच तालमेल और सहयोग की संस्कृति बनाने के महत्त्व पर बात करें। वे स्वयं भी शिक्षकों की तैयारी की प्रक्रिया में इनका उपयोग करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में न केवल संसाधनों में योगदान के लिए बल्कि प्रशिक्षणार्थियों के सीखने में संलग्न होने के लिए समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करती है।

6.1.4. प्रशिक्षणार्थियों के सीखने में संस्थान और समुदाय का योगदान

a. शिक्षक-शिक्षार्थी अपने साथ अपने विचार, भाषा, संस्कृति, अनुभव और स्थानीय संदर्भ भी साथ लेकर आते हैं। उनके ज्ञान एवं विचारों का प्रशिक्षण में उपयोग किया जाए।
b. प्रशिक्षु उन सभी समस्याओं को जानता है जो विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के दौरान उसने महसूस की थी। इनके समाधान और हल निकालने की प्रक्रिया में प्रशिक्षु शिक्षकों का सहयोग लिया जाए।
c. पूर्व छात्र समूह (एलुम्नाई) का गठन कर उनके द्वारा सम्पादित सर्वश्रेष्ठ अभ्यास कार्य को प्रशिक्षण संस्थानों के उदाहरण स्वरूप रखा जाए। समय-समय पर पूर्व छात्रों को संस्थान के शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए तथा प्रशिक्षु शिक्षकों से अपने अनुभव साझा करने के अवसर दिए जाएँ।
d. शिक्षक-शिक्षा संस्थान के आस-पास स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं, जैसे वन विभाग, अस्पताल, खेल क्लब, कारखाना आदि के साथ मिलकर अनुभवों को साझा करने तथा उसे अपने काम से जोड़कर समझने के अवसर बनाए जाएँ।
e. स्थानीय संदर्भ से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत एवं संस्कृति की जानकारी हेतु समुदाय के विशेष जानकार लोगों से बातचीत करना अथवा भ्रमण आयोजित करना।

6.2. शिक्षक स्तर पर विकास और शिक्षा

(*Pre-school* और *foundational,* preparatory, middle और secondary स्तर पर)

एक शिक्षक को तैयार करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा की उन्हें अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों – शिशु, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि – के साथ शिक्षण कार्य करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी स्कूली शिक्षा के नए ढाँचे को 5+3+3+4 के रूप में प्रस्तावित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेजों में इन आयु वर्ग के बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर विस्तार से बात कि गई है। प्रशिक्षु शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या बनाने और विषयवस्तु के चयन में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना अपेक्षित है।

6.2.1. पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ (Early Childhood care and Education-ECCE)

ईसीसीई का मुख्य उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारम्भिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहु-आयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और खोज-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्र कला, पेंटिंग, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियाँ। इनके अलावा, सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में काम करना आपसी सहयोग को सशक्त करना।

a. इस स्टेज के लिए शिक्षक तैयार करने की प्रक्रिया में न्यूनतम अर्हता 12 वीं कक्षा होना चाहिए।
b. एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स या दो वर्ष के डिग्री कोर्स लागू किए जाए।
c. बाल्यावस्था और देखभाल से जुड़े विषयों को शामिल किया जाए, जैसे- बाल मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विकास।

RSCERT UDAIPUR

d. प्रारम्भिक भाषा और संख्यात्मकता के साथ ही चित्र कला, बाल-गीत, हाव-भाव से कहानी शिक्षण, खेल-कूद तथा कला आदि के लिए तैयार किया जाए।
e. शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित मुद्दों – संवैधानिक मूल्य, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जेंडर, गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत एवं व्यापक आकलन की समझ बनाने के अवसर मिलें।
f. एक निश्चित अवधि तक किसी पूर्व प्राथमिक कक्षा या बालवाटिका में शिक्षण कार्य करने के अवसर मिलें। यहाँ पर पाठ योजना निर्माण, कक्षा-कक्ष प्रबंधन और आकलन पर सैद्धांतिक समझ को पुख्ता करने और व्यावहारिक समझ बढ़ाने के मौके मिलें।

6.2.2. प्रिप्रेटरी स्टेज

प्रिप्रेटरी स्टेज तीन वर्ष की होगा। यह फाउंडेशनल स्टेज की खोज- और गतिविधि-आधारित शिक्षण प्रक्रिया से आगे बढ़ेगी । इसमें पढने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होंगे । यहाँ कुछ पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार ज्यादा औपचारिक शिक्षण व संवादात्मक कक्षा शिक्षण के जरिए अध्ययन-अध्यापन की ओर बढ़ेंगे।

a. न्यूनतम अर्हता स्नातक होना चाहिए।
b. दो साल के शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम में अध्ययन तथा बच्चों के साथ काम करने का अनुभव मिलने चाहिए।
c. बाल्यावस्था और देखभाल से जुड़े विषयों को शामिल किया जाए, जैसे- बाल मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विकास।
d. इस स्टेज के बच्चों के साथ बुनियादी भाषा और संख्यात्मकता पर जोर देकर काम करने की आवश्यकता है। अतः सभी शिक्षकों को इसके लिए तैयार किया जाए।
e. भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के साथ ही खेल-कूद और कला जैसे विषय शुरू होंगे। अतः इन विषयों के व्यापक उद्देश्यों, विषयवस्तु और शिक्षण शास्त्र पर जोर देकर काम किया जाना अपेक्षित है।
f. शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित मुद्दों – संवैधानिक मूल्य, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जेंडर, गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत एवं व्यापक आकलन की समझ बनाने के अवसर मिलें।
g. एक निर्धारित अवधि तक किसी प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण या पर्यावरण अध्ययन विषय पर शिक्षण कार्य करने के अवसर मिलें। यहाँ पर पाठ योजना निर्माण, कक्षा-कक्ष प्रबंधन और आकलन पर सैद्धांतिक समझ को पुख्ता करने और व्यावहारिक समझ बढ़ाने के मौके मिले।
h. इस स्तर पर उपयोग की जा रही पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों से परिचय के अवसर मिलें।
i. कक्षा-कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए काम करने के अवसर मिलें। अपने हाथ से उपयोगी शिक्षण सामग्री बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए।

6.2.3. मिडिल स्टेज

मिडिल स्टेज में भी तीन वर्ष की शिक्षा होगी। इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषयों में होंगे। हर विषय में अनुभव-आधारित शिक्षण और विषयों के बीच परस्पर सम्बन्ध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

a. शिक्षकों को इस रूप में तैयार किया जाएगा कि वे विज्ञान की कक्षाओं में अधिक से अधिक प्रयोग करने के अवसर बनाएँ तथा बच्चों को अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष तक पहुँचने में मदद कर सकें।
b. गणित विषय में मूर्त से अमूर्त चिंतन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। पैटर्न, आंकड़ों का प्रबंधन, ज्यामिति, बीजगणित और अंकगणित आदि में दैनिक जीवन के संदर्भों और उदाहरणों से जोड़कर शिक्षण करने के लिए तैयार किया जाएगा।
c. सामाजिक विज्ञान में सामाजिक मुद्दों और संवैधानिक मूल्यों को और बेहतर समझने के अवसर होंगे। शिक्षक को एक समालोचनात्मक नजरिया विकसित करने के लिए तैयार किया जाएगा।

PSCERT, UDAIPUR

6.2.4. सेकेंडरी स्टेज

सेकेंडरी स्टेज में चार साल के बहु-विषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षाक्रमीय और शिक्षण-शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे। यह अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चयन को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में अन्य कोर्स के चयन के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे।

a. न्यूनतम अर्हता अधि-स्नातक होना चाहिए। अपने विषय के साथ संगत विषय का चुनाव कर अध्ययन करना चाहिए।
b. किशोर मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक विकास पर समझ बनाने के अवसर उपलब्ध हो।
c. यहाँ पर भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र जैसे विषय आएंगे। अतः इन विषयों कि विषयवस्तु और शिक्षण शास्त्र की पक्की समझ बनाने के अवसर मिलें।
d. शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित मुद्दे – संवैधानिक मूल्य, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जेंडर, गतिविधि-आधारित शिक्षण, सतत एवं व्यापक आकलन की समझ बनाने के अवसर मिलें।
e. एक निश्चित अवधि तक किसी प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण या पर्यावरण अध्ययन विषय पर शिक्षण कार्य करने के अवसर मिलें। यहां पर पाठ योजना निर्माण, कक्षा-कक्ष प्रबंधन और आकलन पर सिद्धांतिक समझ को पुख्ता करने और व्यावहारिक समझ बढ़ाने के मौके मिले।
f. इस स्तर पर उपयोग की जा रही पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों से परिचय के अवसर मिलें।
g. कक्षा-कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए काम करने के अवसर मिलें। अपने हाथ से उपयोगी शिक्षण सामग्री बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए।

6.3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र और अधिगम के तरीके

शिक्षक-शिक्षा पाठ्यचर्या - डिजाइन (विभिन्न स्तरों पर)- शिक्षक-शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षक-शिक्षा का पाठ्यक्रम नई जरूरतों को पूरा करने में शिक्षक को सक्षम बनाने वाला होना चाहिए। ये नई जरूरतें तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में समझते हुए व्याख्यायित होनी चाहिए। इस हेतु सेवा-पूर्व प्रशिक्षु शिक्षक-शिक्षिकाओं से अपेक्षित दक्षताएँ इस प्रकार होनी चाहिए।

6.3.1. सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा हेतु अपेक्षित दक्षताएँ

शिक्षक प्रशिक्षणार्थी -

1. अपने शिक्षण विषय की विषय-वस्तु पर अच्छी पकड़ रखता हो।
2. कक्षा शिक्षण से पूर्व योजना उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बना सकने में दक्ष हो।
3. कक्षा शिक्षण में गुणात्मक दक्षता रखता हो।
4. विद्यार्थियों से समूह कार्य और सहगामी गतिविधियाँ करवाने में सक्षम हो।
5. विद्यालय की सहगामी गतिविधियों के संचालन को सुगमता से कर सकने में दक्ष हो।
6. विद्यालय के विद्यार्थियों की संस्कृति और भाषा से भली-भांति अवगत हो और उसे समय-समय पर उपयोग में लाने के लिए दक्ष हो।
7. विद्यालय में संसाधनों के रख-रखाव और उपयोग को गुणात्मक रूप से कर पाने में सक्षम हो।
8. विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित कर सकने में दक्ष हो।
9. विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान को संचालित करने में सक्षम हो।
10. शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में दक्ष हो।
11. भावी पीढ़ी में सतत विकास एवं वैश्वीकरण की भावना का पोषण करने वाला हो।
12. स्थानीय संस्कृति को बहुत सांस्कृतिक व अंतर सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करने वाला हो।
13. छोटे-छोटे शोध के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम हो।

RSCERT, UDAIPUR

14. सतत अध्ययन और नवाचार हेतु दृष्टि विकसित करने में दक्ष हो।

15. शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक व नवीन संकल्पनाओं का विश्लेषण करें व शिक्षण अधिगम संस्कृतियों का निर्माण करें।

6.3.2. सेवारत शिक्षकों की अपेक्षित दक्षताएँ

सेवारत शिक्षक -

1 सतत् अध्ययन और लेखन में संलग्न रहने की दक्षता रखता हो।

2. समकालीन नवीन संकल्पना (जैसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) से अभिविन्यास रखता हो।

3. अच्छी प्रथाओं (सतत व्यावसायिक उन्नयन) को अपनाने में सतत् तैयार रहता हो।

4. नवीन विचारों और अनुभवों पर कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने में दक्ष हो।

5. क्रियात्मक अनुसंधान करने में दक्ष हो।

6.3.3. विषय आधारित दक्षताएँ – गणित, विज्ञान, सामाजिक और भाषा शिक्षकों के लिए

1. गणित शिक्षक विद्यार्थियों में गणित के प्रति अभिवृत्ति विकसित करते हुए उनका गणित से डर दूर भगाने में दक्ष हो।

2. विज्ञान के शिक्षक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हुए प्रयोग आधारित प्रदर्शन में दक्षता रखते हों।

3. सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने तथा परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में दक्ष हो।

4. भाषायी शिक्षक में तार्किक चिंतन आधारित पूर्व अधिगम संस्कृतियों का निर्माण करने में दक्ष हो।

5. भाषा के शिक्षक विद्यार्थियों में भाषा कौशल एलएसआरडब्ल्यू (LSRW) का बोध विकसित करने में सक्षम हों।

उपर्युक्त सभी प्रकार की दक्षताओं को पाठ्यचर्या में समाहित किया जाना चाहिए। प्रायोगिक क्षेत्र में शिक्षक को सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए कौशल को प्रदर्शित करने की गुणात्मक आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस हेतु पाठ्यचर्या में प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहगामी गतिविधियों का आयोजन सांस्कृतिक गतिविधियाँ , प्रतियोगिताएँ , खेल गतिविधि आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। सामाजिक संवेदनशीलता हेतु सर्वेक्षण रैली का आयोजन किया जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला, आपस में तालमेल और संवेदनशीलता विकास हेतु सामाजिक उत्पादन कार्यक्रम, वनशाला कार्यक्रम और वार्ताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इसी तरह ब्लड डोनेशन कैंप, प्राथमिक उपचार पर कार्यशाला, प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। छात्र संघ की स्थापना की जा सकती है जिसमें सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी स्वयं सभी गतिविधियों को लोकतांत्रिक नियमों अनुसार आयोजित करने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

6.4 चार-वर्षीय, दो-वर्षीय और एक-वर्षीय शिक्षक-शिक्षा कोर्स के लिए प्रस्ताव

a. चार-वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में निम्नलिखित सूची में से बारह कोर विषय का चयन किया जाए और दो विषय पेडागॉजी कोर्स के चार वर्ष तक निरंतर विषय-वस्तु की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के साथ वैकल्पिक रूप से जोड़े जाएँ, साथ ही चार वैकल्पिक विषय निम्नलिखित सूची में से चुने जाएँ।

b. दो -वर्षीय कोर्स में निम्नलिखित सूची में से आठ कोर विषय और दो वैकल्पिक विषय पेडागॉजी हेतु चुने जाएँ, जिसमें विषय-वस्तु के साथ विधि समाहित हो, साथ ही दो वैकल्पिक विषय का चुनाव किया जा सकता है।

c. एक-वर्षीय कोर्स में निम्नलिखित सूची में से चार कोर विषय और दो पेडागॉजी विषय के चुने जाएं, साथ ही एक वैकल्पिक विषय चुना जा सकता है।

RSCERT UDAIPUR

6.4.1. चार-वर्षीय इंटीग्रेटेड शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा

विषय	क्रम संख्या	विषय का विवरण	आवश्यक समयावधि आवंटन
कोर विषय	1	बाल मनोविज्ञान	अधिक
कोर विषय	2	शिक्षा का समाजशास्त्र	मध्यम
कोर विषय	3	शिक्षा दर्शन	न्यून
कोर विषय	4	शैक्षिक प्रबंधन	अधिक
कोर विषय	5	समावेशी शिक्षा	अधिक
कोर विषय	6	जीवन कौशल	न्यून
कोर विषय	7	शिक्षा में शोध तथा नवाचार	अधिक
कोर विषय	8	पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, दक्षताएँ तथा सामग्री निर्माण	अधिक
कोर विषय	9	आपातकाल और विषम परिस्थिति में शिक्षा	न्यून
कोर विषय	10	शिक्षा नीतियाँ और शिक्षण सिद्धांत	मध्यम
कोर विषय	11	स्कूल की संस्कृति और प्रक्रियाएँ	न्यून
कोर विषय	12	शिक्षा में सूचना तकनीकी का विकास	न्यून
कोर विषय	13	शिक्षा के लिए सतत व्यावसायिक विकास	न्यून
कोर विषय	14	सीखने के लिए आकलन	न्यून
कोर विषय	15	शिक्षा में कला, नाट्य तथा शिल्प	मध्यम
कोर विषय	16	पाठ्यचर्या से परे भाषा	न्यून
कोर विषय	17	जलवायु परिवर्तन	न्यून
वैकल्पिक विषय	1	स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा	न्यून
वैकल्पिक विषय	2	मूल्य शिक्षा	न्यून
वैकल्पिक विषय	3	लैंगिक संवेदनशीलता	न्यून
वैकल्पिक विषय	4	संपोषित विकास	न्यून

RSCERT, UDAIPUR

पेडागॉजी विषय	1	गणित शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	2	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/सिन्धी/गुजराती) शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	3	पर्यावरण शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	4	विज्ञान (रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान) शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	5	सामाजिक विज्ञान शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	6	इतिहास शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	7	भूगोल शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम

6.4.2. दो-वर्षीय शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा

विषय	**क्रम संख्या**	**विषय का विवरण**	**आवश्यक समयावधि आवंटन**
कोर विषय	1	बाल मनोविज्ञान	अधिक
कोर विषय	2	शिक्षा का दर्शन तथा समाजशास्त्र	अधिक
कोर विषय	3	शिक्षण एवं अधिगम	अधिक
कोर विषय	4	शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशी शिक्षा	अधिक
कोर विषय	5	शिक्षा में सूचना तकनीकी एवं आपातकाल में शिक्षा	अधिक
कोर विषय	6	सीखने के लिए आकलन	अधिक
कोर विषय	7	शिक्षा में कला, नाट्य तथा शिल्प	अधिक
कोर विषय	8	पाठ्यचर्या से परे भाषा	अधिक
वैकल्पिक विषय	1	स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा	न्यून
वैकल्पिक विषय	2	लैंगिक मूल्य शिक्षा	न्यून
वैकल्पिक विषय	3	संवेदनशीलता	न्यून
वैकल्पिक विषय	4	संपोषित विकास	न्यून
पेडागॉजी विषय	1	गणित शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	2	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/सिन्धी/गुजराती) शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम

RSCERT, UDAIPUR

पेडागॉजी विषय	3	पर्यावरण शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	4	विज्ञान (रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान) शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	5	सामाजिक विज्ञान शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	6	इतिहास शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	7	भूगोल शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम

6.4.3. एक-वर्षीय शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा

विषय	**क्रम संख्या**	**विषय का विवरण**	**आवश्यक समयावधि आवंटन**
कोर विषय	1	बाल मनोविज्ञान	अधिक
कोर विषय	2	पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, दक्षताएँ तथा सामग्री निर्माण	अधिक
कोर विषय	3	शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार	अधिक
कोर विषय	4	शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी शिक्षा	अधिक
वैकल्पिक विषय	1	स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा	न्यून
वैकल्पिक विषय	2	शिक्षा में कला, नाट्य तथा शिल्प	न्यून
वैकल्पिक विषय	3	आपातकाल और विषम परिस्थिति में शिक्षा	न्यून
वैकल्पिक विषय	4	संपोषित विकास	न्यून
पेडागॉजी विषय	1	गणित शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	2	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/सिन्धी/गुजराती) शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	3	पर्यावरण शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	4	विज्ञान (रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान) शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	5	सामाजिक विज्ञान शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	6	इतिहास शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम
पेडागॉजी विषय	7	भूगोल शिक्षण - विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा आकलन	मध्यम

विशेष : उक्तानुसार पाठ्यक्रमों में आवंटित समय का प्रतिशत तथा घंटों का निर्धारण पाठ्यक्रम एवं पुस्तक निर्माण के लिए गठित समिति का क्षेत्राधिकार होगा। साथ ही, इसे NCTE द्वारा शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम के दिशा-निर्देश जारी होने और NCF-TE जारी होने के बाद संदर्भित किया जा सकता है।

⌘❖⌘❖⌘❖⌘

RSCERT UDAIPUR

अध्याय 7

शिक्षक-शिक्षा में शिक्षण विधियाँ एवं नवाचार

शिक्षण विज्ञान विषय या प्रकरण को विद्यार्थियों तक पहुँचाने हेतु उत्तम एवं प्रभावशाली नीति व नियमों का निर्माण करती है। शिक्षण विधियों में उपयोग करते समय विद्यार्थियों की आयु वर्ग का ध्यान रखना होगा जैसे छोटे बच्चों के साथ कहानी व कविता का उपयोग किया जाएगा। किशोर उम्र के बच्चों के प्रोजेक्ट या समस्या समाधान विधि से जुड़े हुए कार्य दिए जाएँगे। शिक्षक शिक्षा में प्रमुखता निम्नवर्णित विधियों का प्रयोग किया जाता रहा है - कहानी विधि समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, मौका अभिनय विधि, आगमन निगमन विधि एवं खेल विधि इत्यादि।

a. स्थानीय संदर्भों और उपलब्ध संसाधनों का कक्षा-कक्ष शिक्षण में उपयोग करने तथा बच्चों की आवश्यकता अनुसार नवाचार करने की समझ विकसित की जाए।
b. देश दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में आ रही नई जानकारियों और नवाचारों से परिचित रहे तथा अपने संदर्भ में इसका उपयोग करें।
c. शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार नई डिजिटल सामग्री बना सकें तथा दूरस्थ शिक्षा में इसका उपयोग कर सकें।
d. शिक्षक उन बच्चों के लिए विशेष योजना बना कर काम पाए, जिनकी पहुंच ऑनलाइन संसाधनों तक नहीं है। इस तरह की सामग्री बनाना होगा जो बच्चों के सीखने में सहयोगी हो। वे अपने अभिभावकों और बड़ों की सहायता से भी सीखना ज़ारी रख सकें।
e. शिक्षक टीवी, रेडियो और यूट्यूब जैसे माध्यमों के द्वारा शैक्षिक सामग्री को बच्चों तक पहुँचा पाएँ।

7.1. शिक्षक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ

7.1.1. सेवापूर्व प्रशिक्षण

शिक्षकों की तैयारी में क्या रोकना होगा ?

a. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में विद्यार्थियों की नियमितता का न होना। इस संबंध में नियमों का न होना।
b. इंटर्नशिप के लिए आने वाले छात्रों का परिवीक्षण विद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षक के बीच सतत संवाद की प्रक्रिया का स्थापित नहीं होना। जिम्मेदारी का परिभाषित न होना। ।
c. पारंपरिक शिक्षण प्रक्रिया की प्रासंगिकता को समझे बिना निरंतर उपयोग में लाना।

7.1.1.1 शिक्षकों की तैयारी में क्या बदलना होगा/क्या नया जुड़ेगा ?

a. शिक्षकों को संवैधानिक मूल्यों के महत्त्व को समझने और इनकी पालना करने के लिए तैयार करना होगा।
b. प्रशिक्षण विधियों में सहभागिता, सामुदायिक सहयोग एवं नई तकनीकी को शामिल करना होगा।
c. प्रशिक्षण में नैतिक मूल्यों की भावना और स्व अनुसाशन के लिए प्रेरित करना होगा।
d. महाविद्यालय में आने पर उनके विषयगत ज्ञान और पेडागोजी की समझ को और पक्का करना होगा।
e. विषयवस्तु को गुणात्मक और अंतर अनुशासनात्मक रूप में प्रस्तुत करना होगा।
f. शिक्षकों के साथ कौशल आधारित शिक्षा और उनके परिप्रेक्ष्य निर्माण पर काम कराना होगा।
g. फील्ड प्रक्टिस को व्यावहारिक बनाना होगा तथा कक्षा कक्ष शिक्षण से स्पष्ट जुड़ाव बनाना होगा।
h. समावेशन की प्रक्रिया और मुद्दों से परिचित कराया जाए।

7.1.2. सेवा कालीन प्रशिक्षण - सीखने के तरीके

एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। साल में एक या दो बार सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण एक साथ करने के तरीकों से आगे जाने के रास्ते खोजने होंगे। शिक्षक शिक्षा को पारंपरिक नजरिये से परे हट कर देखना होगा। शिक्षकों की चुनौतियों की पहचान की जाए तथा उनकी जरूरत के अनुसार Need

RSCERT, UDAIPUR

Based Training की जानी चाहिए। ये चुनौतियाँ विषयवस्तु की समझ (content), शिक्षण विधि (Pedagogy) की समझ, शिक्षा का दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य (perspective), कला एवं सौंदर्यबोध (Art and Asthetics) के साथ ही शैक्षणिक प्रबंधन (Academic Leadership) के मुद्दों से संबंधित हो सकती हैं। प्रशिक्षण में शिक्षकों की वास्तविक जरूरतों व उपरोक्त इंगित विषय क्षेत्रों को आधार बनाकर काम करना होगा।

a. वर्ष में एक-दो बार का प्रशिक्षण बहुत असरदार नहीं होता है। अतः छोटे-छोटे समूहों में नियमित रूप से आपस में मिलजुल कर सीखने-सिखाने की प्रक्रियाएँ शुरू करनी होंगी।
b. एक पंचायत या फिर किसी कलस्टर (दो-तीन पंचायतों का समूह) पर स्थित स्कूल कॉम्प्लेक्स में ही एक उन्नत और संसाधनों से युक्त शैक्षिक संदर्भ केंद्र होना चाहिए।
c. पंचायत स्तर पर ही शिक्षकों के need based समूहों की पाक्षिक या मासिक शैक्षिक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। आपस में मिलकर परस्पर सीखने के अवसर बढाए जाने चाहिए।
d. प्रत्येक पंचायत से mentor teacher चिन्हित किए जाएँ जो उसी स्कूल या संकुल से भी हो सकते हैं और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। इन्हीं mentor teachers के सहयोग से शिक्षकों को सतत अकादमिक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण एक तरफ़ा न रहे बल्कि सभी आपस में मिलकर एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, समझें इस तरह की प्रक्रियाएँ बनाई जाएँ।
e. शिक्षकों के प्रशिक्षण को सतत रूप से देखने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में संयोजित किया जा सकता है। जैसे -
    - समय-समय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए (20 प्रतिशत)
    - अपने साथियों, वरिष्ठ व अनुभवी अध्यापकों से विचार विमर्श, कक्षा अवलोकन व सुझाव, एक दूसरे की मदद व मार्गदर्शन, शिक्षकों के लर्निंग सरकल्स व मेंटोरिंग के माध्यम से नियोजित हो (30 प्रतिशत)
    - स्वाध्याय,परियोजना,एक्शन रिसर्च आदि पर आधारित सीखना (50 प्रतिशत)

7.1.2.1 शिक्षक प्रशिक्षक के सीखने के तरीके

शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों की ज़रूरतों के अनुसार ही आयोजित किए जाने चाहिए। सभी शिक्षकों को सभी तरह के प्रशिक्षण में शामिल करना ठीक नहीं है। इससे समय और संसाधन दोनों का नुकसान होता है। कुछ तरीके इस प्रकार संभव हैं –

a. शिक्षक प्रशिक्षक के काम में शामिल संदर्भ सदस्यों के समूह बनाकर नियमित पढ़ने लिखने की संस्कृति का विकास किया जाए।
b. सेमिनार कार्यशाला व संगोष्ठियों में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाए
c. लेख व शोध लेख लिखने की आदतों का निर्माण करना ।
d. साथी शिक्षक व विद्यार्थियों से फीडबैक लेना।
e. विद्यार्थियों से क्रियात्मक अनुसंधान करवाना।
f. समसामयिक मुद्दों के आधार पर दक्ष प्रशिक्षक तैयार किए जाएं, उनकी क्षमता संवर्धन के नए तरीके अपनाए जाए।
g. स्वयं की डायरी का निर्माण करना।
h. गूगल फ़ार्म द्वारा शिक्षकों से उनकी चुनौतियों के बारे में जानकारी मांगी जाए। उनकी आवश्यकता के अनुसार ही समूह बनाए जाने चाहिए।
i. शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ताकि वे असली मुद्दों को पहचान कर उनके समाधान भी रख सकें।
j. प्रशिक्षण में आपस में मिलकर सीखने की परिस्थितियाँ बनाई जाए।
k. शिक्षकों को अपने अनुभव लिखने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही सालाना या छःमाही सेमीनार का आयोजन करना चाहिए। जहाँ शिक्षक शिक्षिकाएँ अपने इन अनुभवों को अन्य शिक्षकों से साझा कर सकें।

7.1.2.2 सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की चुनौतियाँ/ सुझाव

शिक्षकों को असली चुनौतियों का सामना तब करना पड़ता है,जब वे अपने स्कूल में कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ काम करते हैं। ये चुनौतियाँ अकादमिक, प्रशासनिक, व्यवस्था संबंधी, स्कूल की प्रक्रियाओं से जुड़ी या समुदाय के साथ आदि कई प्रकार की होती हैं। अतः स्कूल में काम शुरू करने के शुरूआती दो साल उन्हें काफी संबलन देने की आवश्यकता है। इसके बाद भी लगातार

RSCERT UDAIPUR

उन्हें प्रोत्साहित करने और टीम में मिलकर काम करने के तरीकों को समझने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ सुझाव हैं :- जैसे -

a. अब तक के अनुभव बताते हैं की सिर्फ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षणों से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती है। हमें कुछ ऐसे तरीके सोचने होंगे जहाँ शिक्षकों की क्षमता संवर्धन सतत हो तथा उनके काम के साथ ही जुड़ी हो।
b. प्रशिक्षण छोटे-छोटे समूहों में हो, जहाँ वे अपनी बात कह सकें और अपनी समझ तथा चुनौतियों को अपने साथी शिक्षकों से साझा कर सकें। इस काम में एक पंचायत को एक स्वतंत्र इकाई और शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के रूप में देखा जाना चाहिए।
c. नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा के साथ ही एक उन्नत और नई तकनीकी से लैस संदर्भ केंद्र प्रत्येक पंचायत पर होना चाहिए। यहाँ पर विभिन्न विषयों के लिए उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री और संदर्शिका उपलब्ध होना चाहिए।
d. पंचायत स्तर पर (या फिर दो-तीन पंचायत को मिला कर बनने वाले कलस्टर स्तर पर) Mentor teacher चिन्हित किए जाने चाहिए। इनका काम होगा अपने क्षेत्र के सभी शिक्षकों की क्षमता संवर्धन और उनके संबलन हेतु लगातार काम करना और उनके विद्यालयों में जा कर संबलन देना।
e. प्रत्येक पंचायत में प्रति माह शिक्षकों के जरूरत आधारित समूहों के साथ सीखने-सिखाने पर बैठक आयोजित की जानी चाहिए। यदि यह बैठक एक माह में एक बार हो रही है तो पूरे दिन की योजना अनुसार काम हो। यदि 15 दिन के अंतराल पर मिल रहे हैं तो आधा दिन के लिए मिल सकते हैं।
f. इन बैठकों में पाक्षिक योजना निर्माण, सहायक सामग्री बनाना, उनका उपयोग समझना और आकलन जैसे मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए।
g. शिक्षकों की आवश्यकता क्या है? यह उनके आपसी चर्चा और विमर्श से ही निकल कर आना चाहिए। इसके बाद teacher mentor इस पर काम कर तैयारी करें और शिक्षकों के समूह में इस पर काम करें।
h. कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं में गुणवत्ता लाने के लिए कुछ teacher practices पर बात की जानी चाहिए और साझा सहमति से सभी लोग इनका पालन करें।
i. Monitoring और आगे के लिए सुझाव देने का काम प्रधानाध्यापकों और PEEO का होना चाहिए। इस हेतु इनका भी उन्मुखीकरण किया जाना चाहिए।
j. शिक्षकों के प्रशिक्षण में रचनात्मक, सामाजिक,भावात्मक,नैतिक शिक्षा और बाल मनोविज्ञान से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाए।
k. सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यचर्या में समसामयिक विषयों पर कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। सतत विकास हेतु नवीन विषयों, अनुसंधान और नवाचार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता,जीवन कौशल,जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न पक्ष, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा की दक्षता हेतु भी अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

7.1.3. शिक्षक प्रशिक्षण में क्या-क्या करने से बचना चाहिए या शिक्षक प्रशिक्षण में क्या जरूर करना चाहिए

शिक्षकों की अपेक्षाओं,आवश्यकता का आकलन करते हुए प्रशिक्षण का एजेंडा तैयार हो। सभी शिक्षकों को एक जैसा प्रशिक्षण करने की बजाए Need based Training होना चाहिए। शिक्षकों की need और उनके challenges को वर्गीकरण कर अलग-अलग आवश्यकता समूहों की पहचान की जाए। फिर इसी अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित किए जाए।

प्रशिक्षणों में विषयवस्तु, शिक्षण विधियां और परिप्रेक्ष्य (perspective)के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षक अकादमिक तैयारी व सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करके आएं। उन्हें उद्देश्य की सपष्टता हो, यदि मुद्दे इधर-उधर भटक रहे हो तो उन्हें पटरी पर ला सकें। प्रशिक्षण में रोचकता बनी रहे इसके लिए नई विधाओं को शामिल करें। गतिविधियां ऐसी हों जो कि सीखने के लिए चुनौती पैदा करती हों, जिज्ञासा बढ़ाती हों व चिंतन की मांग करती हों।

प्रशिक्षण सतत होना चाहिए। यह साल में एक-दो बार न होकर प्रतिमाह या पाक्षिक रूप से होना चाहिए। बड़े समूह में प्रशिक्षण आयोजित करने की बजाए पंचायत/कलस्टर स्तर पर उनका संबलन किया जाए। पंचायत क्षेत्र में स्थित स्कूल कॉम्प्लेक्स को प्रशिक्षण

RSCERT, UDAIPUR

स्थल/संदर्भ केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए। दक्ष प्रशिक्षक जल्दी- जल्दी न बदले जाए, बल्कि कुछ अनुभवी और सकारात्मक सोच वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें teacher educator या mentor teacher के रूप में तैयार किया जाए। अपनी पंचायत या कलस्टर के सभी शिक्षकों को संबलन देने के लिए इनका उपयोग किया जाए। टीचर मेंटर को अपनी पंचायत के सभी शिक्षकों के साथ प्रतिमाह बैठक करना चाहिए साथ ही वह अपनी पंचायत के स्कूल में जा कर सहयोग और संबलन प्रदान करें।

7.2. सीखने का समय

7.2.1. सीखने का समय कैसा होगा? किस विषय के लिए कितना समय दिया जा सकता है?

श्याम ने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश लिया और बहुत ही मेहनत से पाठ योजना बनाना सीखा। अब जब उसे विद्यालय में अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम हेतु जाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया तो विद्यालय में मध्य अवधि परीक्षा चल रही थी तो उसे परीक्षा में ड्यूटी हेतु कार्य आवंटित किया गया, उसने कहा कि उसे तो शिक्षण अभ्यास कार्य सीखना है तो विद्यालय प्रशासन ने उससे कहा कि आपकी उस कार्य को हम पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर देंगे,अभी तो आपको यही कार्य करना होगा।

हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में समय को अनदेखा करके उसे गलत समय में शिक्षण अभ्यास कार्य हेतु विद्यालय में प्रतिनियुक्ति दी गई। इससे उसके उस कार्य को कोई समय नहीं मिल पाया। यहाँ हमें सीखने के समय को यदि वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के रूप में देखा जाए तो मनोविज्ञान के नियमों और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए समय निश्चित किया जाना चाहिए।

a. सेवा पूर्व प्रायोगिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जब विद्यालयों में शिक्षण कार्य चल रहा हो तभी आयोजित किया जाना चाहिए। विद्यालय में यदि परीक्षा कार्य चल रहा है ऐसे समय में शिक्षण प्रशिक्षण हेतु सेवा पूर्व शिक्षक जाएँगे, जो वास्तविकता में उनका प्रशिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा।
b. प्रौद्योगिकी का ज्ञान दिया जाना आवश्यक है। ऐसे में सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।
c. ऐसे सभी कार्यक्रम या कार्यशालाएँ जहाँ प्रशिक्षु शिक्षकों को समुदाय में या कहीं अन्य क्षेत्र में जाना होगा। वहाँ इसे ऐसे समय में आयोजित किया जाना चाहिए, जहाँ मौसम अनुकूल हो, बहुत अधिक गर्मी या सर्दी न हो। इससे सर्वेक्षण तथा जन संपर्क जैसे कार्य सुचारु रूप से किए जा सकेंगे।
d. सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सालाना कैलेंडर, कालांशों का संयोजन और फील्ड प्रेक्टिस का समय प्रबंधन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान व अभ्यास के समुचित अवसर मिल सकें। इसकी योजना बनाते समय सरकारी छुट्टियों, स्कूल और शिक्षकों की व्यस्तता,परीक्षा कार्यक्रम आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए।
e. कक्षाएँ, आसाइनमेंट, फील्ड प्रेक्टिस आदि के लिए समय की गणना और आवंटन इस प्रकार किया जाए कि प्रशिक्षु शिक्षकों को स्वयं भी अध्ययन, चिंतन और मनन के लिए समय मिल सके।
f. फील्ड प्रेक्टिस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसकी योजना और स्कूलों का चयन व आवंटन गहन योजना बनाकर किया जाना चाहिए। इसकी गंभीरता बनी रहे इसलिए स्कूल के अधिकारी, शिक्षक तथा शिक्षण संस्थान के शिक्षकों में सतत तालमेल रहना चाहिए।

7.2.2. सीखने के समय को बढाना तथा शिक्षक प्रशिक्षणों में सीखना

सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों के स्वयं से सीखने या आपस में मिलकर सीखने के अवसरों को बढाया जा सके इसके लिए कुछ और नए तरीके इस प्रकार हैं –

1. जिला तथा राज्य स्तर पर ऐसी सांस्थानिक इकाइयों का गठन किया जाए जो सेवापूर्व, नव नियुक्त और सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकताओं की पहचान करें। साथ ही उनके लिए उपयोगी आनलाईन सामग्री – ई - लेख, वीडियो, ई - पत्रिका, ई - पुस्तकें आदि चयन कर अलग-अलग वाट्सऐप समूहों द्वारा सभी तक भेजे। समय-समय पर आनलाइन मीटिंग कर फालोंअप करें कि किसने क्या-क्या पढ़ा और अपनी कक्षाओं में उपयोग किया। दो-तीन महीने के अंतराल पर आमने-सामने की बैठकों का भी आयोजन किया जाए, जहाँ लोग अपने-अपने काम, सृजन, लेख, सामग्री निर्माण आदि को साझा करें।

RSCERT, UDAIPUR

2. प्रत्येक पंचायत में बच्चों के पुस्तकालय के साथ ही शिक्षकों के लिए भी किताबें और संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो। शिक्षक-शिक्षिका इन्हें इश्यू कर घर ले जा सकें। प्रधानाचार्य और पीईईओ को प्रतिमाह मासिक बैठक में एक घंटा इसी मुद्दे पर बात करना चाहिए जहाँ सभी लोग यह साझा करें कि इस माह उन्होंने नया क्या लिखा या पढा है।
3. स्वयं सीखने के लिए पुस्तकें,पत्रिकाएं और कई वेबसाइट बहुत उपयोगी है। कक्षा में किए जा रहे काम पर आधारित अपने अनुभवों को लिखना और उसे एक आलेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक छःमाह में ब्लाक तथा जिला स्तर पर ऐसी सेमीनार आयोजित की जाएँ, जहाँ शिक्षक-शिक्षिका अपने काम को प्रस्तुत करें।
4. इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, भाषा और गणित जैसे विषयों को आधार बनाकर समूह बनाए जाए। ये समूह आपस में उपयोगी सामग्री और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान आनलाईन माध्यम द्वारा करें। अधिकारीगण इन्हीं समूहों में ncert, राज्य सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित विषयवार उपयोगी सामग्री को विषयवार समूहों में प्रेषित करें तथा इसका फालोअप भी करें।
5. सीखने में समुदाय के अनुभव भी उपयोगी होंगे। किसी स्कूल के समुदाय को व्यापक रूप में देखें तो इसमें स्थानीय समुदाय के अलावा, आस-पास के स्कूल, निजी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएँ, अधिकारी गण आदि भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए बच्चों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर जागरूकता के लिए स्थानीय अस्पताल के डाक्टर के साथ शिक्षकों की मीटिंग आयोजित की जाए। या फसलों और पौधों की जानकारी के लिए किसी अनुभवी किसान को स्कूल में बुलाकर वार्ता रखी जाए। इस प्रकार समुदाय और स्कूल को आपस-मे एक दूसरे से सीखने और इस ज्ञान को बच्चों तक पहचाने की प्रक्रियाएँ बनाई जाएँ।
6. नव नियुक्त शिक्षकों को स्कूल के आस-पास निवास करने वाले समुदाय के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए छोटे छोटे शोध अध्ययन करने का काम दिया जाए। साथ ही वे अपने अपने विषय पर आधारित कम से कम दो-तीन गतिविधियों को बच्चों के साथ करें और इनके वीडियो बनाकर वाट्सऐप समूह में साझा करें। यह भी बताए कि इस गतिविधि से वे अपने उद्देश्य में कितना सफल या असफल हुए हैं।
7. प्रत्येक ब्लाक या पंचायत में शिक्षा संदर्भ केंद्र स्थापित किया जाएँ। यहाँ पर देर शाम तक बैठ कर पढ़ने लिखने कि व्यवस्था बनाई जाएँ। साथ ही कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रबंध भी किया जाए ताकि लोग इसका उपयोग उपयोगी सामग्री खोज सकें।
8. शिक्षक प्रशिक्षण के काम में शामिल संदर्भ सदस्यों के समूह बनाकर नियमित पढ़ने-लिखने कि संस्कृति बनाई जाए। इस काम के लिए कार्यदिवसों के अतिरिक्त भी समय लगाया जा सके।
9. राजस्थान में विषयवार कुल कितने शिक्षक शिक्षिका हैं, उनकी आवश्यकताएँ किस प्रकार हैं ? तात्कालिक महत्त्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? इनके हिसाब से दक्ष प्रशिक्षकों को तैयार किया जाए। उनकी क्षमता संवर्धन के तरीके बनाए जाएँ।
10. शिक्षकों के प्रशिक्षण को उनकी विषयानुरूप आवश्यकताओं एवं कौशलों के आधार पर दिया जाए। कौन से शिक्षकों ने किस तरह का प्रशिक्षण ले लिया है, इसका भी अकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से डेटा बेस रखा जाए और अब उन्हें नया क्या जानना है, इस हिसाब से ही बैच बनाए जाए। प्रशिक्षण के बाद फालोअप तथा आनसाइट सपोर्ट के तरीके बनाए जाए। पंचायत या कलस्तर स्तर पर ही शिक्षकों के साथ नियमित संवाद और सपोर्ट के माध्यम तैयार किए जाए। यह काम ऑनलाईन और आमने-सामने दोनों तरह से किया जाए।
11. पढने-लिखने और ज्ञान के आदान प्रदान में सक्रिय भूमिका निभा रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं को अकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट के आधार पर पदोन्नति और नए अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। उन्हें आगे लाया जाए और पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, प्रशिक्षण मॉड्यूल, ऑडियो- विजुअल सामग्री निर्माण की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए। दक्ष प्रशिक्षक के रूप में तैयार होने के अवसर बनाए जाएँ।

RSCERT UDAIPUR

7.3. शिक्षक शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग

7.3.1. शिक्षक शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी के उपयोग का महत्त्व

बदलते युग में शिक्षा में तकनीक की भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी हो रही है। बतौर शिक्षक शिक्षिका हम इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न उपयोगी वेबसाइट को खंगाल कर अपनी आवश्यकता की सामग्री खोज कर पढ़ सकते हैं। किसी दूसरे शिक्षक शिक्षा द्वारा किए जा रहे नवाचार के वीडियो को देख कर प्रेरणा ले सकते हैं। गतिविधियों और अभ्यासों को अपने संदर्भों में रूपांतरित कर उपयोग कर सकते हैं।

कोरोना के इस संकट में हम सभी ने देखा की टेक्नोलॉजी ने शिक्षण व्यवस्था को कुछ हद तक सुचारु रखने में मदद की है। दूर रहते हुए भी बच्चों से इंटरेक्ट करने में, उन्हें कार्यपत्रक भेजने, कविता और कहानी भेजने में मदद मिली है। (डिजिटल पेडागोजी कोविड 19 के उपरांत तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। ऐसे में भावी शिक्षकों को डिजिटल पेडागोजी से परिचित कराने एवं उसे डिजिटल नेटिव बनाने के लिए प्रयास सेवा पूर्व ही करने होंगे। इस तरह के कौशलों के विकास और तकनीकी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमें सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अलावा सतत पेशेवर विकास के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखना होगा।

ICT को सिर्फ शिक्षक की अपनी तैयारी और प्रशिक्षण तक सीमित रख कर नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे वे कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान भी जगह-जगह उपयोग करे इसके लिए तैयार करना होगा। हमें ICT का उपयोग करते हुए कुछ सावधानियाँ भी रखनी होंगी। निम्नलिखित बिंदुओं से हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

1. दीक्षा पोर्टल व अन्य समान पॉर्टल पर कंटेट निर्माण के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित करना सार्थक होगा। इसमें प्रशिक्षक की भूमिका अहम होगी। पहले सामग्री निर्माण के आधारभूत चरण के उपरांत उसे E-सामग्री में बदलने की प्रक्रिया शिक्षण व्यवसाय के दौरान सहायक होगी।(सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, डी.एल.एड.पाठ्यक्रम, एस.आई.ई.आर.टी. 2013)
2. निर्मित E-सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है।
   उदाहरण स्वरूप:- समाचार पत्रों/बाल पत्रिकाओं में लेखन, हवामहल, डिजिटल जनवाणी जैसे प्लेटफॉर्म। जिससे भावी शिक्षक में आत्मगौरव तथा स्वप्रेरणा की भावना का विकास हो। साथ ही सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक इस्तेमाल करने के लिए भी संस्थितियाँ निर्मित की जा सकती हैं। वहीं सस्थान स्तर पर साप्ताहिक ऑडियो बुक बनाने से भावी शिक्षकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
3. ICT और और अन्य आधुनिक तकनीकी शिक्षक की मदद के लिए है। इसे शिक्षक के विकल्प के रूप में हरगिज नहीं देखा जाना चाहिए। तकनीकी और इंटरनेट के इस युग में आज एक शिक्षक किसी पाठ्यपुस्तक में दी गई विषयवस्तु से कहीं ज्यादा और गहरी समझ के साथ खुद को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों और स्कूलों को ICT तकनीकी से लैस करना होगा। शिक्षा और विकास कार्यों से जुड़े शिक्षकों और सहयोगी सदस्यों को ICT के बेहतर उपयोग और रख रखाव के लिए प्रशिक्षित भी करना होगा।
4. प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बच्चों से बात करें और उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर दें। गीत, कविता, कहानी आदि और इन पर बातचीत साक्षात की जाए। बच्चों में अभिव्यक्ति के कौशल विकसित करने में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस काम में ICT का उपयोग किया जाना चाहिए। यह सब पहलु शिक्षक शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।
5. कला जैसे विषयों में ICT का उपयोग कर नए-नए तरीके सीखे जा सकते हैं। शिक्षक स्वयं इनसे सहयता लें, लेकिन बच्चों के बीच काम करने के लिए स्वयं सामग्री लेकर साथ बैठें। हमें यह भी समझना होगा कि मिट्टी को स्वयं गूँथना, इससे स्वयं चीजें बनाना और ऐसा होते हुए स्क्रीन पर देखना, दोनों में बहुत अंतर हैं।
6. भूगोल और विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षक अब प्रोजेक्टर के माध्यम से ऐसी अवधारणाओं पर भी बच्चों के साथ आसानी से तस्वीरें दिखाते हुए बात कर सकते हैं, जो पहले संभव नहीं थीं। उदाहरण के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से के लोगों का जन जीवन समझने के लिए तस्वीर और वीडियो हैं। E-पाठशाला, दीक्षा एप्प, O LAB इत्यादि वेबसाइट की सहायता से अंतरिक्ष, सौर मंडल और किसी निश्चित समय में ग्रहों की स्थितियों को देखा समझा जा सकता है। यह किसी किताब में बने द्विआयामी चित्र की तुलना में कहीं अधिक रोचक और वास्तविक होता है।
7. गणित और विज्ञान जैसे विषयों में बच्चे स्वयं करके सीखें। अपने आस पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पहले करें। इसके बाद ही ICT के माध्यम से कुछ प्रयोगों को देख कर समझने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए पहले अपनी कॉपी पर बिंदुओं को निर्धारित कर प्रकार, चांदे और स्केल की सहायता से कोण, त्रिभुज और वृत्तों कि रचना करना सीखें। इसके बाद कंप्यूटर की सहायता से जिओ-जेब्रा या मैथीगोन जैसी वेबसाइट का उपयोग कर ज्यामितिया आकृति बनाए और निर्देशांकों के बदलने से आकृति में आने वाले बदलावों को भी समझें।
8. शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाने, कक्षा -कक्ष शिक्षण, आकलन प्रपत्र बनाने आदि में तकनीकी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। वे अपनी भाषा में उपलब्ध संसाधन सामग्री को डाउनलोड कर उनका अध्ययन करें। अपने लिए उपयोगी सामग्री को चुनकर अपने संदर्भ में प्रवर्तित या रूपांतरित कर उपयोग करे। इसके साथ ही उपस्थिति, नामांकन, छात्रवृत्ति या आकलन जैसे महत्त्वपूर्ण

RSCERT UDAIPUR

दस्तावेजों को साफ्ट रूप में तैयार कर सके और आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। स्कूल, पंचायत या ब्लाक स्तर के शोध अध्ययन से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करने में भी तकनीकी का उपयोग कर सकें।

9. टेक्नोलॉजी में माध्यम से जल्दी और आसानी से E- content को एक दूसरे तक पहुँचाया जा सकता है। शिक्षक साथी अपनी क्षमता-संवर्धन और विचारों के आदान प्रदान में इसका उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार से जारी होने वाला आदेश या कोई दिशा निर्देश आज कुछ ही मिनटों में राज्य के सभी शिक्षकों तक पहुंच जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण और उपयोग के बारे में सीखा समझा जा सकता है। शिक्षक-शिक्षिका अपने विचारों को लेख के रूप में लिख कर अन्य साथियों के साथ साझा करें। आपस में मिलकर इनपर विचार विमर्श करें।
10. अकादमिक उन्नयन एक सहज व सरल प्रक्रिया है, लेकिन दूरस्थ माध्यम यथा स्वयंप्रभा पोर्टल आदि का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि सेवाकाल या सामाजिक सरोकारों के संदर्भों में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया से समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने में सहायता मिलेगी। ऐसे एड ऑन पाठ्यक्रम प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को अंक अधिभार या अन्य किसी प्रकार का फीडबैक प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एंव प्रत्यायन परिषद, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट।
11. प्रशिक्षणरत शिक्षकों को ज्ञान के स्रोतों को ढूँढने और ज्ञान का सृजन करने की दिशा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जैसे बदलते पारिस्थितिकी तंत्र के चलते शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण तकनीक में परिवर्तन करना होगा। आँकडों के अनुसार विगत 40 वर्षों में दो डिग्री तक तापमान बढा, लेकिन वर्ष 2023 का मई माह विगत 70 वर्षों में सबसे ठंडा रहा। साथ ही चक्रवाती वर्षा की सघनता भी बढी है। ऐसे बदलते परिप्रेक्ष्य अंतरअनुशासनात्मक आधार पर भावी शिक्षकों को विषय कंटेंट में अद्यतन करना आवश्यक है।
12. सेवा पूर्व प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण तकनीक का सार्वभौमीकरण करते हुए अवलोकन एवं मूल्यांकन स्तर की श्रेष्ठ लेसन डायरी, जिसके मापदंड एस.सी.ई.आर.टी, डाइट व अन्य समकक्ष संस्थाओं द्वारा तय किए जाएं, को स्केन कर पब्लिक डॉमेन में अपलोड करने से प्रशिक्षणार्थी शिक्षण तकनीक को अद्यतन करने की प्रेरणा प्राप्त करेगा।
13. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक तकनीकों से परिचित कराने उद्देश्य से प्रशिक्षण व्यवस्था को अद्यतन कराना आवश्यक है। सामान्यतः यह अपेक्षा सेवारत शिक्षक से की जाती है, बेहतर हो यदि सेवा पूर्व प्रशिक्षण में सी.सी.ई. की तकनीक यथा पोर्टफोलियो में रखी जाने वाली सामग्री का बदलते परिवेश के आधार पर अद्यतन, सर्वे को प्रोजेक्ट से पूर्व लागू करने की तकनीकी क्या हो, साथ ही मूल्यांकन की समस्त तकनीकों को अद्यतन करना भी सार्थक होगा।
14. सेवारत शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे शिक्षण की प्राचीन अवधारणा को अब पूर्णतया बदलते हुए पिरामिड पर शिफ्ट होना होगा, क्योंकि उसे अब शिक्षक से आगे बढकर एक मददगार या मार्गदर्शक बनना होगा। यह तकनीक को सीखने की संस्कृति पर स्थानांतरित करता है। यहाँ एक महत्त्वपूर्ण अपेक्षा यह है कि अधिगम संस्थितियों में लचीलापन रखना होगा। क्योंकि इसके बगैर उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग तथा विकास संभव ही नहीं होगा। इस बाबत कार्यरत शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण पर सतत ध्यान देना होगा। इस उद्देश्य से निम्नांकित चरण सार्थक सिद्ध हो सकेंगे-
    a. उपलब्ध संसाधनों को पुनः सक्रिय एवं अभिनवीकरण करना:- शोध में स्पष्ट हुआ कि प्रचारात्मक मीडिया के वृहद प्रयत्न का एक सीमित प्रभाव ही होता है। केवल ऑडियो वीडियो या वर्चुअल कंटेंट विकसित करना ही साध्य न होकर सेवारत शिक्षकों को क्रियात्मक शोध, प्रलेखन, नवाचारों के मूल्यांकन साथ ही सभी स्तर के माता पिता एवं अधिगमकर्ताओं द्वारा समझ में आ सकने वाली सामग्री विकसित करना भी होना चाहिए।
    b. शिक्षकों को इस बात से परिचित कराना कि ज्ञान किसी प्रभुत्व संपन्न स्थान पर केंद्रित नहीं है, अपितु सर्वव्यापक है। ऐसे में शिक्षार्थी में निहित कौशलों के विकास का अवसर प्रदान करना साथ ही मानकीकरण एवं प्रमाणीकरण की तकनीक का निर्माण एवं विकास करने की संस्थितियों के फेसिलिटेशन के लिए तैयार करना, एक अहम कार्य है। जैसे अध्ययन का अर्थ मात्र शब्द, वाक्य को पढ़ना ही नहीं अपितु समालोचनात्मक आधार पर समझ को विकसित करना है, अतः कक्षा कक्ष व्यवस्था में उसी आधार पर परिवर्तन आवश्यक है।
    c. प्रत्येक अधिगमकर्ता एक विशिष्ट शैली व पहचान को लेकर आता है। अतः उसकी पहचान को संरक्षित करते हुए अधिगम परिस्थितियों का निर्माण सार्थक होगा। अन्यथा अनुसूची-1 में वर्णित कथा के परिणाम प्राप्त होंगे जो कि बालक व शिक्षा पद्धति के लिए घातक साबित होंगे।

RSCERT UDAIPUR

d. तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए अधिगमकर्ता को प्रेरित करना होगा, जिससे तकनीकी का समतापूर्ण व जनतांत्रिक रूप विकसित होगा। जैसे - कहानी या कविता निर्माण के लिए छात्र को प्रेरित करना।

e. किसी निश्चित पाठ्यचर्या के स्थान पर लचीली एवं स्थानीय आवश्यकताओं को केंद्र में रख अध्ययन अध्यापन संस्थितियों में परिवर्तन करना होगा। जैसे नींबू पानी बनाने को छाछ बनाने से, भारत की स्वतंत्रता संग्राम को मानगढ धाम से हरिद्वार को बेणेश्वर या मातृकुंडिया से समझाया जाना सार्थक होगा।

f. शिक्षकों के साथ ही विद्यालय प्रशासकों यथा-प्रधानाचार्य, पी.ई.ई.ओ. आदि के लिए भी उनके जीवन अनुभवों को मूर्त रूप देने में सहायक तकनीकी निर्माण परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही सतत स्व विकास के लिए परिस्थिति भी वातावरण निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाना।

g. शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन में नॉन गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे एकलव्य फाउंडेशन द्वारा अभिभावक शिक्षक संवाद के लिए कार्य सार्थक परिणाम प्रदान करने वाला रहा। इसी प्रकार पीरामल फाउंडेशन का लीडरशिप डवलपमेंट प्रोग्राम वर्चुअल ऑन लाइन सपोर्ट कार्यक्रम आदि सार्थक परिणाम देने वाला रहा है।

h. मीडिया तथा तकनीक के माध्यम से होने वाले शिक्षण अधिगम पद्धतियों को प्रोत्साहित कर सुविधा संपन्न बनाना। जैसे दीक्षा पोर्टल पर कंटेट निर्माण की प्रेरणा के साथ स्वयंप्रभा पोर्टल पर अल्पअवधि पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों व प्रबंधकों को प्रेरित करना और इसे वार्षिक वेतन वृद्धि का आधार बनाना।

i. शिक्षकों के लिए अंतःक्रिया करने के लिए सार्थक मंच का निर्माण करने से शिक्षण विधि प्रविधियों की तकनीकी से समस्त समुदाय का परिचय फलदायी होगा। जैसे- डर्फ, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी आदि।

j. शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सोशियल मीडिया जैसे – यू-टयूब, टूटोरियल विडियो, वैबसाइट, डिजिटल लाईब्रेरी, विविध प्रकार के शैक्षिक एप एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उचित तरीके से समावेश करे।

7.3.2. सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षक-शिक्षा में इंफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नालाजी (ICT) का उपयोग

शिक्षक-शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी का उपयोग इस रूप में किया जाना चाहिए जिससे शिक्षक स्वयं को विभिन्न कौशलों से लैस शिक्षक के रूप में तैयार कर सकें। शिक्षकों को शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल के फायदे नुकसान से भी अवगत कराना चाहिए। साथ ही किस आयु वर्ग के बच्चों के साथ वो किस तरह तकनीकी का उपयोग करें, यह भी बताया जाना चाहिए। वे तकनीकी का उपयोग करते हुए बाल मनोविज्ञान, शिक्षा का दर्शन, सीखने के सिद्धांत, विषयवस्तु और शिक्षण विधियों से संबंधित अतिरिक्त सामग्री का अध्ययन करें। इससे संबंधित श्रव्य-दृश्य संसाधनों से परिचित हों। उनकी समीक्षा करें। कक्षा -कक्ष शिक्षण से संबंधित डाटा को संरक्षित करना, उसको व्यवस्थित करना और उनका विश्लेषण करने के लिए तकनीकी का उपयोग सीखें। शिक्षा के संदर्भ में बतौर संसाधन इस्तेमाल की जा सकने वाली पत्रिकाओं और आलेखों को पढें। उन पर विचार विमर्श करें। स्वयं भी लिखें और एक दूसरे से साझा करें। स्कूल प्रेक्टिस में जाने पर अपनी कक्षाओं के वीडियो बनाएँ और साथियों के साथ मिलकर अपनी शिक्षण विधि या शिक्षण के तरीकों की समीक्षा करें। जानकारी को अपने अनुभवों के साथ मिलकर रखने का प्रयास करें। ई-मेल, व्हाट्सएप जैसे मंचों द्वारा आपस में और अपने शिक्षकों से संपर्क संवाद बनाना सीखें। इन तरह से आनलाइन शैक्षिक संवाद की और विचारों के आदान प्रदान की संस्कृति को आगे बढाएँ।

शिक्षा में तकनीकी का उपयोग दो प्रकार से देखा जा सकता है – पहला, शिक्षकों की स्वयं की क्षमता संवर्धन के लिए और दूसरा,उनकी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा के लिए। शिक्षकों को ऐसी वेबसाइट और पोर्टल से परिचित कराया जाना चाहिए, जहाँ से वे अलग-अलग अधिगम स्तर के बच्चों के साथ काम करने के लिए गतिविधियाँ, अभ्यास और कार्यपत्रक खोज सकते हैं। इनसे सहायता लेकर स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। सरकार द्वारा तथा निजी संस्थाओं द्वारा भी बच्चों की सहायता के लिए कई किस्म के शैक्षणिक एप बनाये गए हैं। शिक्षक इन्हें समझें और अपनी कक्षा के बच्चों के लिए इनका उपयोग करें। परिप्रेक्ष्य से संबंधित मुद्दों

RSCERT, UDAIPUR

जैसे बालिका शिक्षा, विशेष दक्षता वाले बच्चे, बाल विवाह, कुपोषण आदि-आदि से संबंधित छोटी फिल्मे देख सकते हैं। इनमे से कुछ का चुनाव अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। स्कूल के खर्चों का हिसाब-किताब और विभागीय जानकारी और पत्रों को कैसे व्यवस्थित रखें आदि पर काम किया जाना चाहिए।

7.4. प्रशिक्षण के बाद जुड़ाव व फॉलोअप

सेवा पूर्व या सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसमें तय समय अवधि में जितना किया जा सकता है, उसे अवश्य बेहतर किया जाए। साथ ही यह प्रयास रहे कि कैसे सेवा पूर्व शिक्षकों और सेवारत शिक्षकों के स्वयं से सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सके। अपने व्यक्तिगत समय में भी वे अपनी रुचि और जिज्ञासा के अनुसार सीखना जारी रख सके। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव हैं –

1. शिक्षक आवश्यकता अनुसार अपने वाट्सएप समूहों को बनाए और उसमे उपयोगी सामग्री साझा करें। जिला, ब्लाक और पंचायत स्तर के अधिकारी गण भी इस तरह के समूह बनाकर शिक्षकों से लगातार संवाद में रहें। यह सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों कि मदद और सहयोग के नजरिये से किया जाना चाहिए।
2. शिक्षकों को प्रतिदिन काम करते हुए सहयोग और संबलन की आवश्यकता है। इस काम में उनके अधिकारी और साथी शिक्षक सहयोग करें।
3. पंचायत में विषयवार मेंटर टीचर तैयार किए जाए। प्रशिक्षण के साथ ही फालोअप की योजना और कार्यक्रम तैयार किया जाए। प्रशिक्षण से प्राप्त समझ को कक्षा में लागू करते समय जो चुनौतियाँ आती हैं, उन पर लगातार सहयोग दिया जाए।
4. नई शिक्षण विधियों को कक्षा - कक्ष में ले जाने के लिए सहायक सामग्री प्रदान की जाए। इस सामग्री की उपयोगिता के तरीके भी समझाएँ।
5. कुछ चीजों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएँ बनाई जाएँ। जैसे -प्रत्येक गणित विषय के शिक्षक अपने स्कूल में गणित कार्नर बनाए तथा इनका उपयोग करते हुए तस्वीरें और वीडियो भेजें। साथ ही एक लिस्ट भेजें जिसमें बाजार से खरीदी गई और हाथ से बनाई गई सामग्री का उल्लेख हो। सभी लोग एक -एक आकलन प्रपत्र तैयार करें। इनमे से अच्छे प्रश्नों का चयन कर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाए।

7.5. अनुशंसाएँ

1. शिक्षकों के प्रशिक्षण को उनकी विषयानुरूप आवश्यकताओं एवं कौशलों के आधार पर दिया जाए तथा कौन से शिक्षकों ने किस तरह का प्रशिक्षण ले लिया है, इसका भी अकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से डेटा बेस रखा जाए और अब उन्हें नया क्या जानना है इस हिसाब से ही बैच बनाए जाए। प्रशिक्षण के बाद फालोअप तथा आनसाइट सपोर्ट के तरीके बनाए जाएँ।
2. पढ़ने-लिखने और ज्ञान के आदान प्रदान में सक्रिय भूमिका निभा रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं को अकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट के आधार पर पदोन्नति और नए अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।
3. शिक्षकों के आकलन एवं मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार NPST(शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक) में कुछ मानक विकसित किए जाएँगे, "मानकों में विशेषता/रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका की अपेक्षाओं और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन के मानक भी शामिल होंगे, जिन्हें आवधिक आधार पर किया जाएगा। एनपीएसटी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा और कार्यकाल(परिवीक्षा कार्यकाल ट्रैक अवधि के बाद); पेशेवर विकास प्रयास,वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य मान्यता सहित सभी शिक्षक कैरियर प्रबंधन का निर्धारण करेगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि कार्यकाल या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर नहीं होगी बल्कि केवल ऐसे मूल्यांकन के आधार पर होगी। पेशेवर मानकों की समीक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर 2030 में संशोधित किया जाएगा और उसके बाद हर 10 साल में प्रणाली की प्रभावकारिता के कठोर अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर समीक्षा की जाएगी।" (एन.ई.पी 2020, पैरा 5.20)
4. प्रशिक्षण से पहले और बाद में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हो तथा इस पोस्ट टेस्ट की प्रतिपुष्टि को आगामी प्रशिक्षणों में सुधारात्मक रूप से शामिल की जाएँ।

RSCERT, UDAIPUR

अध्याय 8

समतामूलक और समावेशी शिक्षा

8. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Social and Economic Disadvantage Group-SEDG) के बच्चों के लिए SCF(State Curriculum Framework) का विज़न एवं उनकी विशेष आवश्यकताएँ

आज भारत में, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, लैंगिक पूर्वाग्रह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अज्ञान/ उपेक्षा, समावेशी और न्यायसंगत स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में प्रमुख बाधा हैं। कई अध्ययनों और NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान राज्य द्वारा किए गए कई समर्थकों/पहलों के बावजूद, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से, लड़कियों, ट्रांसजेंडरों और CWSN(विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के बच्चों का समावेश, नियमितता और संक्रमण अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। जाति, वर्ग, धर्म जैसे विभिन्नताओं की अंतरविभाजनता (Intersectionality) भी एक जटिल जाल बनाती है जो शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों, लड़कियों/ ट्रांसजेंडरों और CWSN को शामिल करने को और जटिल बनाती है।

उपर्युक्त स्थिति सेवा-पूर्व प्रशिक्षुओं व सेवारत शिक्षकों, उनके प्रशिक्षकों के लिए भी समान ही है। वे विभिन्न सामाजिक-साँस्कृतिक पहचान, जैसे-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लिंग पहचान (महिलाएँ और ट्रांसजेंडर) से आते हैं या उनकी विशेष आवश्यकताएँ हो सकती हैं।यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के लिए एक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों व प्रशिक्षकों के लिए भी ऐसा ही समावेशी वातावरण उनके शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, सेवारत प्रशिक्षणों और कार्यस्थल पर भी बनाया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा की परिकल्पना की गई है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों और युवाओं, विशेषकर लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षकों, भावी व सेवारत शिक्षकों को न केवल बौद्धिक कौशल से बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों से युक्त मजबूत दृष्टिकोण से लैस करना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि CWSN, SEDG और विभिन्न लिंग पहचान वाले प्रशिक्षु शिक्षकों की शैक्षिक आवश्यकताओं, रुचियों, प्राथमिकताओं को समझा जाए और उसके अनुसार समृद्ध और समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान किया जाए।

8.1. सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह, लिंग भेदभाव का सामना करने वाले और विशेष आवश्यकता वाले समूहों से संबंधित शिक्षकों/ प्रशिक्षुओं की आवश्यकताएँ

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह, लिंग भेदभाव का सामना करने वाले और विशेष आवश्यकता वाले समूहों से संबंधित शिक्षकों/प्रशिक्षुओं के समावेशन के लिए संस्थानो में और बाहर एक गरिमामय, सम्मानजनक, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमो में 21वीं सदी के कौशल, जैसे- आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, डिजिटल कौशल, सहयोग, उद्यमशीलता कौशल के साथ-साथ जीवन कौशल, जैसे- सहानुभूति, सामाजिक भावनात्मक भलाई, विभिन्न स्थितियों में समायोजन, भावनाओं को प्रबंधित करना और व्यक्त करना, सहानुभूति, आत्म-नियंत्रण, संबंध निर्माण जैसे सशक्त करने वाले विषय जोड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कार्यस्थलों व संस्थानों में साथियों या अन्य लोगों द्वारा भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा से मुक्त सीखने का माहौल तैयार करना आवश्यक है।

RSCERT, UDAIPUR

8.1.1. विशेष आवश्यकता वाले प्रशिक्षु/ शिक्षक

विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों/भावी शिक्षकों को स्कूल के काम से संबंधित, या सहकर्मियों के साथ संवाद करने में, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मुद्दों और व्यवहार से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो कई बार समान उम्र के प्रशिक्षुओं की तुलना में उनके लिए सीखना कठिन बना देता है। यदि छात्र एक महिला या प्रवासी/निम्न-आय समूह से है तो यह स्थिति जटिल बन जाती है व चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं। इन छात्रों/शिक्षकों को सेवा-पूर्व या सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान एक न्यायसंगत और समावेशी वातावरण की आवश्यकता होगी क्योंकि उनकी उम्र के अन्य छात्रों की तुलना में उनकी शुरुआती दिशा अलग होती है। अपना काम करने में, खुद को अभिव्यक्त करने में, दोस्त बनाने में, शिक्षकों और अन्य वयस्कों के साथ बातचीत करने में चुनौती महसूस करने व ऐसी अन्य स्थितियों में उन्हें संवेदी, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों व प्रशिक्षकुओं के अनुकूल व सहज पहुँच में उपलब्ध भौतिक व शैक्षणिक संसाधनों की भी जरूरत है।

8.1.2. लैंगिक असमानताओं का सामना करने वाले समूहों की ज़रूरतें

लिंग संबंधी चुनौतियाँ प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यस्थल यानी स्कूलों में विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती हैं और जागरूकता के बिना वे पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं जा सकती हैं। महिलाओं/ ट्रांसजेंडरों के लिए, भेदभाव और हिंसा से मुक्त, सुरक्षित महसूस करते हुए संस्थान में सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने में सक्षम होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों में बुनियादी ढाँचा महिलाओं/ ट्रांसजेंडर के अनुकूल होना समावेशी वातावरण बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कमरे सुरक्षित होने चाहिए, कार्यात्मक शौचालय, हाथ धोने के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सैनिटरी नैपकिन निपटान तंत्र होना चाहिए। इन सेवाओं के अभाव के कारण महिला प्रशिक्षुओं/ शिक्षकों को कई मूत्र संबंधी और अन्य स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित होना पड़ता है।इसके साथ ही महिला शिक्षकोम व प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों का सुरक्षित व सरल पँहुच में होने की आवश्यकता है। प्रशिक्षुओं, परामर्शदाताओं/ परामर्शदाताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र की जरूरत है ताकि उन्हें सीखने या सहपाठियों/सहकर्मिकों के साथ सामना करने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मार्गदर्शन/समर्थन मिल सके। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शिक्षकों के लिए अपने अनुभवों पर चर्चा करने और उन्हें समाज में मौजूदा लैंगिक धारणाओं से जोड़ने के लिए स्थान बनाने की आवश्यकता है।

8.1.3. सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह

आदिवासी समुदायों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जातियों, निम्न आय समूहों, प्रवासियों आदि के बीच इच्छुक/संभावित उम्मीदवारों के लिए शिक्षक-शिक्षा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण व आवश्यक है। इसी तरह, SEDG से आने वाले सेवाकालीन शिक्षकों को एक सहायक इको-सिस्टम की आवश्यकता होगी जो शिक्षा में उनके योगदान को स्वीकार करेगा और उनके लिए नए ज्ञान, कौशल प्राप्त करने के अवसर पैदा करेगा जो उनके आगे के विकास में योगदान देगा।

8.1.4. समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा का विज़न

शिक्षकों और प्रशिक्षुओं के लिए हम एक समावेशी व न्यायसंगत राज्य पाठ्यचर्या की संकल्पना करते है जो छात्रों की विविधतापूर्ण व अनुभवात्मक अधिगम के उनके अधिकार को पहचानती है और उसका सम्मान करती है। एससीएफ जो विभिन्न बाधाओं को संबोधित करता है, विभिन्न प्रकार की सीखने की जरूरतों, रुचियों, प्राथमिकताओं की पहचान करता है। अवसरों, स्थानों, संसाधनों का निर्माण/ डिजाइन करता है। अनुभवात्मक शिक्षा, शिक्षण और मूल्यांकन के निष्पादन को सुनिश्चित करता है जो छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा के दौरान सार्थक रूप से संलग्न होने और अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने की अनुमति देता है।

SCF का प्रेरक सिद्धांत यह है कि अधिगम प्रक्रियामें शामिल सभी प्रमुख हितधारक, चाहे वे सरकारी या निजी संस्थान हों, जो शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। वे अपने छात्रों/कार्मिकों की विविधता को समझते हैं, सम्मान करते हैं और स्वीकार करते हैं। विभिन्न समूहों से आने वाले प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षक स्वीकार्य, सकारात्मक चुनौती और समर्थित महसूस करते हैं। ऐसी व्यवस्था से गुजरे हुए भावी व सेवारत शिक्षक अपने छात्रों के साथ भी न्यायसंगत और समावेशी तरीके से

RSCERT UDAIPUR

व्यवहार करने के लिए तैयार होंगे। यह कल्पना की गई है कि आपसी विश्वास, गरिमा, सम्मान, करुणा, सहानुभूति पर आधारित एक न्यायसंगत, समावेशी और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा जो आत्म-परिवर्तन की ओर ले जाएगा और आगे चलकर एक परिवर्तित प्रणाली की ओर ले जाएगा।

8.2. सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग (Social-Economic Disadvantage Group-SEDG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चें (Children with Special Needs-CWSN) नीतिगत परिप्रेक्ष्य (वर्तमान संदर्भ में)

राष्ट्रीय व राज्य स्तर के प्रयासों द्वारा हमारे विद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं को विशेष आवश्यकता वाले, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से आने वाले व लैंगिक भेदभाव का सामना करने वाले वर्गों से आने वाले शिक्षकों व विद्यार्थीओ के लिए समावेशी व सुरक्षित वातावरण के प्रयास कई वर्षों से किए जा रहे हैं। कई प्रकार की आर्थिक संबलन की योजनाए, छात्रवृति योजनाएँ व सहायक योजनाओं के द्वारा इन वर्गों को मुख्यधारा में समान अवसर दिए जाने की कोशिश की जा रही है। परंतु जागरूकता का अभाव, उचित कॉउन्सलिंग के अभाव अभी भी बने हुए है।

a. राजस्थान में CWSN शिक्षकों के लिए शिक्षकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है। जिन अध्यापक या प्रशिक्षु अध्यापक को चलने में परेशानी है उनके लिए रैम्प की सुविधा तथा यथासंभव उनकी कक्षा प्रथम तल पर रखने की व्यवस्था है। रैम्प अब सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही पेयजल व्यवस्था और शौचालय भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप बनाए जा रहे हैं।
b. ऐसे शिक्षकों को यथासंभव उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में दिव्यांगता के 21 प्रकारों को चिन्हित किया जा चुका है। प्रत्येक प्रकार के शारीरिक अक्षमता वाले शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत उन सभी के लिए शिक्षा है जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गया है।
c. इस दृष्टिकोण में सामाजिक रूप से पिछड़े शिक्षकों के लिए समाज से जुड़ाव तथा सामाजिक सहभागिता जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों को समाज के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है।
d. ट्रांसजेंडर अब तक भी शिक्षा से वंचित है तथा हमेशा हीन भावना का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार को इन सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक विभेद के शिकार तथा CWSN वर्ग के लोगों के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से तथा व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए इन वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा।

8.2.1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN)/ भावी व सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की गुणवत्ता एवं लक्ष्य

लक्ष्य

a. प्रशिक्षु शिक्षकों/शिक्षकों के लिए गुणात्मक, चिंतनशील, अनुभवात्मक शिक्षण और प्रशिक्षण वातावरण बनाना।
b. सेवापूर्व/सेवारत शिक्षकों को स्वयं और दूसरों की देखभाल करने के लिए 21वीं सदी के कौशल और कौशल से लैस करना।
c. SEDG, लैंगिक भेदभाव का सामना करने वाले व CWSN वाले भावी/सेवारत शिक्षकों व विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने वाले समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के साथ शिक्षकों को सशक्त बनाना।

उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षक-शिक्षा एक लैंगिक न्यायसंगत, समावेशी, सशक्त बनाने वाला पाठ्यक्रम से शुरू होगी। जिसमें शिक्षकों व प्रशिक्षु शिक्षकों को अपने पूर्वाग्रहों, मान्यताओं व सामाजिक व्यवस्थाओं पर गंभीर चिंतन करने के लिए मंच मिले। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षण विषयों के साथ सामाजिक, भावात्मक,नैतिक व लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रबंधन व लीडरशिप,व्यक्तित्व विकास से संबंधित मुद्दों को स्थान दिया जाए। इसके साथ ही 21वीं सदी के कौशल जैसे वैश्विक जागरूकता, विशेष रूप से डिजिटल कौशल; जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जानकारी को आसानी से एक्सेस करने, प्रबंधित करने, एकीकृत करने, मूल्यांकन करने जैसे पक्ष जोड़े जाएँ।

RSCERT, UDAIPUR

8.2.2. शिक्षकों (सेवारत/ सेवापूर्व) की विशेष अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के विशेष प्रयास

सेवा-पूर्व व सेवारत शिक्षकों के लिए एक समावेशी अधिगम वातावरण बनाने व उनकी विशेष अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रयास सहायक हो सकते हैं -

a. सेवा-पूर्व प्रशिक्षुओं को उनकी सीखने की यात्रा में सहायता करने के लिए विशेष शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त किया जाना चाहिए, जो इसे समझते हैं और जिनके पास विशेषज्ञता है।

b. सहायक उपकरणों का प्रावधान, उचित प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरण, उचित शिक्षण शिक्षण सामग्री, बेहतर अधिगम अनुभवों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते है, अतः इनकी सहज उपलब्धता व प्रयोग के अवसर आवश्यक है।

c. समायोजनात्मक/ संशोधित पाठ्यक्रम/ पाठ योजनाएँ/ गतिविधियाँ/ पाठ्यपुस्तकें/ सामग्री/ मूल्यांकन उपकरण जो सीखने की प्रक्रिया, समावेशी मूल्यांकन प्रथाओं और दक्षताओं को सुविधाजनक बनाएँ को विशेष रूप से उनकी सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाने की आवश्यकता हैं।

d. SEDG के लिए फंड की स्थापना, छात्रों/पूर्व-सेवा प्रशिक्षुओं के लिए अधिक बोर्डिंग सुविधाएँ स्थापित करना जो सुरक्षित और सम्मानजनक हों व मौजूदा केंद्र/ छात्रावास/ स्कूलों को छात्रों के अनुकूल बुनियादी ढाँचे के साथ मजबूत करना सहायक प्रयास होगा।

e. सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के योग्यता धारकों के स्थानांतरण को सक्षम करने के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान

f. विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों व प्रशिक्षुओ के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

g. विभिन्न वंचित समूहों से आने वाले शिक्षकों/ प्रशिक्षुओं को अपने पूर्वाग्रहों/बाधाओं को दूर करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होगी ताकि वे सक्रिय भागीदार बन सकें। इसके लिए चिंतनशील मंडलियाँ शुरू की जा सकती है। जहाँ अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करने के अवसर मिले, उन पर तार्किक रूप से विचार-विमर्श कर सकें और अपनी समझ बना सकें।

h. शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम को लिंग-तटस्थ से अधिक समावेशी और लिंग-उत्तरदायी बनने की आवश्यकता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को नेता, नायक और समस्या समाधानकर्ता आदि के रूप में दिखना चाहिए। लिंग उत्तरदायी पाठ्यक्रम में गैर-द्विआधारी परिप्रेक्ष्य से लिंग के बारे में बात करने की आवश्यकता है। उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर वर्ग के सदस्यों को भी शामिल करना महत्वपूर्ण है।

i. शिक्षकों को सीखने में इन समूहों के सामने आने वाली बाधाओं के बारे में समान रूप से जागरूक होना होगा और उस वितरण को डिजाइन करना होगा जो शिक्षार्थियों को अपनी खुद की शिक्षाओं को उत्पन्न करने/तैयार करने/बनाने में मदद करेगा। शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों में अनुभवात्मक शिक्षा, परियोजना-आधारित शिक्षा, समुदाय और अन्य हितधारकों के साथ सीधे बातचीत, स्व-शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

j. शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण विषयों के साथ सामाजिक, भावात्मक, नैतिक मूल्यों, प्रबंधन व लीडरशिप, व्यक्तित्व विकास से संबंधित मुद्दों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाएँ।

k. सभी वंचित पृष्ठभूमि के प्रशिक्षुओं/शिक्षकों को 21वीं सदी के कौशल जैसे वैश्विक जागरूकता, विशेष रूप से डिजिटल कौशल, जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और अपने भविष्य के छात्रों तक इसे प्रसारित करने के अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जानकारी को आसानी से एक्सेस करने, प्रबंधित करने, एकीकृत करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता विकसित करना।

l. जीवन कौशल; जैसे- बातचीत, संबंध निर्माण, रचनात्मक समस्या को हल करना, भावनाओं को व्यक्त करना, आत्म-नियंत्रण, सहानुभूति, दृढ़ता, आलोचनात्मक सोच, निर्णय लेना, आत्मविश्वास जैसे मुद्दों को शिक्षक-शिक्षा में जोड़ने की आवश्यकता है।

m. सेवा-पूर्व व सेवारत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमोंमें लिंग उत्तरदायी व समावेशी भाषा पैटर्न्स को पहचानने व प्रयोग के अवसर दिए जाने होंगे।इसके लिए स्वयं की धारणाओं और विश्वासों की गहन पहचान और समझ की भी आवश्यकता हो सकती है। यह प्रक्रिया जितनी कठिन और लंबी है, वास्तविक अभ्यास के लिए यह सबसे अधिक सार्थक है। ऐसे लिंग और भाषा का हिस्सा बनने वाली अन्य रूढ़ियों के बारे में प्रशिक्षण पूर्व-सेवा और पेशेवर कौशल के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए।

RSCERT UDAIPUR

n. छात्रों के साथ निकटता, कक्षा में अवसरों को संतुलित करना, लैंगिक रूढ़िबद्ध उदाहरणों का उपयोग न करना; जैसे- लिंग संवेदनशील शिक्षाशास्त्र पर सचेत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों और ऐसे साहित्य से जुड़ते हैं जो सामाजिक संरचनाओं और लिंग की अवधारणा पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं।

8.2.3. क्या नहीं करें

a. विशेष आवश्यकता वाले या SEDGs, ट्रॉंस या गैर बाइनरी वयस्कों वाले शिक्षकों/छात्रों पर व्यक्तिगत अनुभव या आघात साझा करने के लिए दबाव न डालें, उन्हें अपनी इच्छानुसार साझा करने की अनुमति दें और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को कलंकित किए बिना।
b. शिक्षकों/छात्रों को कक्षा की बातचीत में अकेला नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें 'ये लोग' नहीं कहा जाना चाहिए।
c. शिक्षकों और अधिकारियों को शिक्षकों/छात्रों को अलग-थलग किए जाने या धमकाए जाने के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

8.3. व्यवस्थागत क्रियान्वयन में भूमिका

विद्यालय/ शिक्षण संस्थान स्तर पर

a. विद्यालय व शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओ के अनुरूप हो व बाधारहित हो।
b. संस्थान में आ रहे शिक्षकों व विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं व समस्याओं के प्रति संवेदनशील वातावरण तैयार किया जाए। संस्थानों में गुणवत्तायुक्त समावेशी काउंसलिंग व परामर्श केंद्र हो जो गोपनीयता व विश्वास के मूल्यों पर आधारित हो।
c. लैंगिक भेदभाव का सामना करने वाले वर्गों (जैसे महिलाओ,ट्रांसजेंडर) के कार्मिकों व विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाए।

8.3.1. राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

न्यायसंगत और समावेशी पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा को बढ़ावा देने में आरएससीईआरटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। डिज़ाइन किया जाने वाला पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्री लैंगिक समानता और समावेशन पर केवल एक अध्याय तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण मॉड्यूल का यह परिप्रेक्ष्य घटक भी शामिल होना चाहिए जिससे पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षकों को गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित चरण प्रासंगिक हैं -

a. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कार्य एक न्यायसंगत और समावेशी लेंस के साथ पूर्व-सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा करना है। समीक्षा के आधार पर और पहचाने गए अंतरालों को विशेष रूप से SEDG, महिला/ ट्रांसजेंडर और विशेष जरूरतों वाले शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण मॉड्यूल और शिक्षण सामग्री के डिजाइन को विकसित/ संशोधित किया गया। यह महत्वपूर्ण होगा कि पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण मॉड्यूल को फिर से डिज़ाइन किया जाए, न कि विभिन्न वंचित समूहों की जरूरतों को मौजूदा पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाए। मूल्यांकन उपकरण तदनुसार डिज़ाइन किए जाने चाहिए, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों/ छात्रों को मूल्यांकन के लिए योग्यता उपकरणों के एक अलग सेट की आवश्यकता होगी।
b. आरएससीईआरटी को एक न्यायसंगत और समावेशी दृष्टिकोण के साथ सेवारत शिक्षकों के लिए निरंतर सीखने के कार्यक्रम डिजाइन करने की आवश्यकता है। ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करने के लिए DIET का समर्थन करें जो समावेशी और न्यायसंगत होंगे। बड़े पैमाने पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों को उन शिक्षकों की सीखने और अन्य ज़रूरतों के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है जो SEDG से आते हैं या जिनके साथ उनके लिंग के आधार पर या उनकी विशेष ज़रूरतों के आधार पर भेदभाव किया गया है/ किया जाता है। जहां भी आवश्यकता हो, ऑनसाइट सहायता प्रदान करें।
c. स्कूल, ब्लॉक और जिला स्तर के नेताओं के लिए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री को इक्विटी और समावेशन लेंस के साथ संशोधित किया जाना चाहिए और तदनुसार वितरित किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार केआरपी द्वारा मॉड्यूल की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र एक पूर्वापेक्षा है।
d. डीईओ, बीईओ जैसे गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को SEDG से आने वाले, लिंग भेड और विशेष जरूरतों वाले शिक्षकों को उन्मुख करने पर मॉड्यूल, क्योंकि वे जिला या ब्लॉक स्तर पर इन समूहों के सामने आने वाली कई चुनौतियों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

RSCERT UDAIPUR

e. आरएससीईआरटी को लैंगिक समानता, समावेशन और SEDG पर ऑनलाइन/वर्चुअल पाठ्यक्रम डिजाइन करने की आवश्यकता है।

f. शिक्षक-शिक्षा से संबंधित संस्थान सीटीई (सेंटर फॉर टीचर्स) और उच्च शिक्षा संस्थान अध्ययन (आईएएसई) में भी समता मूलक और समावेशी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए।

g. आरएससीईआरटी पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री को डिजाइन करने में सिविल सोसायटी के सदस्यों से सहायता ले सकता है। यहाँ तक कि केआरपी और गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में भी।

h. आरएससीईआरटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में समानता और समावेशन के लिए विशिष्ट विभाग हों, ऐसे शिक्षक हों जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों और अनुसंधान करने में सक्षम हों और प्रगतिशील हों।

i. SEDG, महिलाओ व अन्य लिंग समूह, विशेष आवश्यकताओ वाले वर्गों से आने वाले व्यक्तियो के लिए चल रही राज्य स्तरीय योजनाओ पर समय-समय पर अनुसंधान उनकी प्रभावशीलता पर प्रकाश डालने में मदद करेगा।

8.3.2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs)की भूमिका

डाईट को अपने यहाँ चल रहे विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को समतामूलक व समावेशी नजरिए से देखना होगा व आरएससीईआरटी के मार्गदर्शन में इनकी पुनर्रचना करनी होगी। ये जिला स्तर पर शोध अध्ययन कर इसके परिणामों के प्रस्तुतीकरण के लिए सेमीनार आयोजित करें व अनुभवों व नई जानकारियों को सभी से साझा करें। साथ ही इन्हें नोडल विद्यालयों को अकादमिक संबलन भी प्रदान करना होगा। डाइट को जिला स्तर पर समता मूलक व समावेशी शिक्षक-शिक्षा के लिए सन्दर्भ केंद्र भी बनाना चाहिए, ताकि शिक्षक, शोधार्थी व सीआरसी व बीआरसी व डायट व्याख्याता इनका लाभ उठा सकें। डाइट को जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सभी स्टाफ को समता व समावेशी मूल्यों पर जागरूक करना होगा।

8.3.3. ब्लॉक संदर्भ केंद्र व क्लस्टर संदर्भ केंद्र की भूमिका

पंचायत स्तर मेंटर टीचर चिन्हित किए जाने चाहिए, जो इन सर्विस शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन हेतु काम करें। प्रत्येक पंचायत में प्रति माह CRC नेतृत्व में शिक्षकों के समूहों के साथ सीखने-सिखाने पर बैठक आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें समता मूलक और समावेशी शिक्षा के साथ-साथ, इन समूहों से आने वाले शिक्षकों की आवश्यकताओ, उनके प्रति व्यवहार को लेकर सतत रूप से बातचीत करनी होगी।

8.4. अनुशंसाएँ

a. विभिन्न वंचित समूहों से आने वाले शिक्षकों/ छात्रों की सीखने और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अन्य समूहों के शिक्षकों/ छात्रों को समानता और समावेशन पर उन्मुख करने की आवश्यकता है, ताकि प्रशिक्षण संस्थान और स्कूलों में एक सकारात्मक सक्षम वातावरण बनाया जा सके/ कार्यस्थल।

b. महिला शिक्षकों/छात्रों को मासिक धर्म के संबंध में कुछ विशेष आवश्यकताएँ हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान छुट्टी की आवश्यकता हो सकती है, नीति स्तर पर प्रावधान किए जाने चाहिए।

c. SEDG के सेवारत शिक्षक, पुरुष और महिला दोनों, विशेषकर SEDG की महिलाए यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और विश्राम अवकाश और छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। इन श्रेणियों के शिक्षकों को वित्तीय और अन्य बाधाओं जैसे समाज द्वारा सौंपी गई लैंगिक भूमिकाओं के बोझ या विशेष जरूरतों के कारण छुट्टी/छात्रवृत्ति की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वे अपने कौशल में सुधार कर सकें, यह उनके लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन होगा।

d. सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा में समानता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रतिबद्ध और निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी। यह देखने के लिए सभी स्तरों पर बजट की समीक्षा करें कि क्या न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा से संबंधित परिवर्तनों के लिए आवंटन किया गया है, क्या आवंटित बजट जो योजना बनाई गई थी, उसके परिणाम आदि के लिए खर्च किया जा रहा है।

e. शिक्षक की शिक्षा में क्षेत्र प्रदर्शन का घटक विशेष रूप से उन जटिल चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिनका सामना विभिन्न वंचित समूहों/लिंगों को करना पड़ता है। सामाजिक, आर्थिक वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के अंतरविरोध को समझने के लिए कक्षा अवलोकन प्रदर्शनों, प्रथाओं और वास्तविक विभिन्न सेटिंग्स में भी अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, अवशोषित किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

RSCERT, UDAIPUR

अध्याय 9

शिक्षक शिक्षा का आकलन और मूल्यांकन

आकलन शिक्षण शास्त्र का एक उपकरण है, मापक नहीं। आकलन सेवारत और सेवापूर्व शिक्षकों के विकास के आधार का लेखा-जोखा है, जो परिभाषित कर चयन,रचना, संकलन, विश्लेषण की गई व्याख्या और प्रयोग का संभव प्रयोग कर सेवारत और सेवापूर्व शिक्षकों और शिक्षणार्थियों के अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। तथा सीखने और व्यवहार में आए परिवर्तनों का पता लगाना है, एवं निहित जानकारी के आधार पर शिक्षकों का अगला कदम सीखने सिखाने (शिक्षण अधिगम) की प्रक्रिया में क्या होगा, यह सुनिश्चित करना है।

वर्ष पर्यन्त अध्ययन एवं सीखने-सीखाने के पश्चात यह जानना भी आवश्यक है कि सेवारत और सेवापूर्व शिक्षकों ने क्या, क्यों, कितना, किस प्रकार व कहाँ तक सीखा हैं, इन सारी बातों की जानकारी लेने एवं नीति निर्धारण के अनुरूप उसका स्तर तय करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षणार्थियों का आकलन किया जाता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान आकलन का प्रारूप इस प्रकार हो जिससे उसके अध्यापन कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो ताकि अध्यापन कार्य भलीभाँती चलें तथा सीखने की गति एवं पाठ्यक्रम के आत्मसात की सीमा को पहचाना जा सकता है। आकलन से बच्चे की भाषा विकास, गणितीय ज्ञान, पर्यावरण ज्ञान के स्तर तथा उस प्रशिक्षणार्थियों से संबंधित आगे की आवश्यकता का पता भी चल पाता है।

9.1. आकलन की आवश्यकता

सेवापूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सकारात्मक कार्य संस्कृति के निर्माण तथा उनकी कार्य क्षमता के संवर्धन हेतु समय-समय पर उनका आकलन व उस पर आधारित संबलन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए NCTE/SCERT द्वारा NPST द्वारा सुझाये गए मानकों के आधार पर मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। इन मानदंडों के आधार पर प्रशिक्षक का किसी विशेषज्ञ या साथी द्वारा अवलोकन कर प्रतिपुष्टि प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े हितधारकों की प्रतिपुष्टि से सुधारात्मक सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही प्रशिक्षकों में स्व-आकलन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सेवारत और सेवापूर्व शिक्षकों के क्षमतासंवर्द्धन के लिए उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाना चाहिए और उससे निकल कर आने वाली जरूरतों के आधार पर शिक्षकों के लिए विषयवस्तु का चयन कर प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहि, तथा उनकी रूचि और उसकी विशेषज्ञता को पहचान कर उनके आगे के विकास के लिए मौके उपलब्ध कराये जाएँ और उन्हें प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व दिया जाए।

9.1.1. आकलन के उद्देश्य

a. आकलन का मुख्य उद्देश्य सेवापूर्व और सेवारत शिक्षकों की सुविधा के अनुसार शिक्षण में सुधार और सीखने में वृद्धि करना है।
b. परीक्षण के स्थान पर सीखने की प्रक्रिया के अंग के रूप में देखा जाना जरूरी है इससे ही रटन्त या स्मरण करने वाले टेस्ट के स्थान पर चिंतनशील मूल्यांकन एवं वैचारिक उन्नयन होगा।
c. आकलन एक केंद्रित प्रक्रिया है इस के माध्यम से यह जानने का प्रयास होता है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है।
d. तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर परिकल्पना करना, अनुमान लगाना, व्याख्या करना, सीखी गए अवधारणा और सिद्धांत के आधार पर आसपास की सामाजिक- आर्थिक-राजनीतिक परिघटना विश्लेषण करना और उसके पक्ष-विपक्ष में तर्क गढ़ना, सामाजिक बहुलता के प्रति सम्मान और संवेदनशील होना, असमानता और भेदभाव के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।

RSCERT, UDAIPUR

9.2. आकलन के तरीके

सेवापूर्व तथा सेवारत शिक्षकों के काम का आकलन उनको संबलन और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए न कि उनके मन में किसी प्रकार का भय व्याप्त करने के लिए। इस हेतु आकलन के तरीके इस प्रकार हो सकते हैं।

a. शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राज्य स्तर पर निर्धारित मानदंडों पर सभी की सहमती हो। इन मानदंडों के आधार पर शिक्षक स्व-आकलन करें।
b. सभी शिक्षकों से साल के अंत में एक स्व-प्रशंसा प्रपत्र भरवाया जाना चाहिए जहां वे अपनी उपलब्धियों, अपनी असफलताओं और चुनौतियों को स्वयं लिखें। इस तरह स्वयं अपने काम को गहराई से देखने और उसका आकलन करने का अवसर मिल सकेगा। इस स्व-प्रशंसा प्रपत्र को उनके अधिकारियों द्वारा अनुमोदित करवाया जाए।
c. शिक्षकों द्वारा बनाई गई पाठ योजना, शिक्षण अनुभव की डायरी और बच्चों का स्तर आदि से सम्बंधित जानकारी के आधार पर भी उनके काम का आकलन किया जाना चाहिए।
d. आकलन शिक्षक प्रशिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए।
e. आकलन से पूर्व पर्याप्त निगरानी एवं फीडबैक की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा साथी पीयर ग्रुप के माध्यम से आकलन सार्थक परिणाम देने वाला होता है।
f. आकलन के अंकन से पूर्व प्रशिक्षणार्थीयों को जो मूल्यांकन का अवसर दिया जाना चाहिए तत्पश्चात समालोचनात्मक आधार पर फीडबैक दिया जाना सार्थक होगा।
g. मेंटर टीचर, साथी शिक्षक, स्थानीय प्रशासन, NGO, अभिभावक, शिक्षाविद आदि शिक्षक के शिक्षण का अवलोकन करें। उनकी प्रशंसनीय प्रयासों को भी सामने रखें और सुधार के लिए भी सुझाव दें।
h. शिक्षक जिन विद्यार्थियों के साथ काम कर रहे हैं उन बच्चों का फीडबैक भी लिया जाना चाहिए।
i. फील्ड मॉनिटरिंग हेतु एक विशेष सेल का निर्माण किया जाए जो केवल औचक निरीक्षण कर सुझाव दे।
j. यह मॉनिटरिंग सेल छात्रों तथा अभिभावकों के सुझाव एसएमसी एवं एसडीएमसी के माध्यम से लेकर अपनी रिपोर्ट में जोड़ें ताकि शिक्षा के तंत्र को ऊपर से नीचे तक सुदृढ़ किया जा सके और कमियों को दूर किया जा सके।
k. ब्लॉक तथा जिला स्तर पर विद्यालयों की रैंकिंग करायी जाए। विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह पोर्टल पर दर्शायी जाए

9.2.1. आकलन की प्रक्रिया

जब हम आकलन के क्षेत्र में क्षमताओं के विकास की बात करते हैं, तो हम व्यक्तिगत या सामूहिक क्षमताए¡ बनाने के लिए प्रक्रियाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आकलन की प्रक्रिया में निम्नांकित बिंदु उपयोगी होते हैं।

a. रेटिंग स्केल-प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित योग्यता के आधार पर स्केलिंग करना। उनकी योग्यताओं के परीक्षण के पश्चात उनके स्तर का निर्धारण। आरम्भ में यह मौखिक या कार्य कला पर आधारित होगा, इस स्टेज के अंतिम वर्षों में लेखन आधारित आकलन किए जाए। यह पूर्व नियोजित तथा तात्कालिक हो। (जो पूर्व नियोजित न हो कर तत्काल उसी समय में बिना पूर्व सूचना के लिया गया)
b. वृतांतलेखन- प्रशिक्षणार्थियों के चित्रकारी, किस की घटना को उकेरना फिर उसका अपने शब्दों में वर्णन करना ही वृतांत लेखन है
c. ऑडियो एवं वीडियो क्लिप्स : किसी वीडियो क्लिप को दिखा कर उसका अनुसरण करना, ऑडियो क्लिप के निर्देशानुसार कार्य करना।
d. चुनौतीपूर्ण रचनात्मक/ विश्लेषणात्मक प्रश्न : विषय-वस्तु के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न तथ्यात्मक न हो वरन प्रश्न विविध स्थितियों में व्यक्तिगत निर्णय, रचनात्मकता, स्थिति के विश्लेषण आधारित हो। जिससे रटने के बजाय विचार करने और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति विकसित हो।
e. आकलन के लिए विधि इस प्रकार की रखी जावे कि प्रशिक्षणार्थी को उससे संबंधित विषय का कार्य कराया जाएँ। उसने वर्ष भर में जितनी दक्षताएँ प्राप्त की है उन सभी के मॉडल आदि की उच्च गुणवत्ता की जाँच कर कर उसके अंक निर्धारित किए जावे। किसी भी दक्षता के आधार पर इस प्रकार के उपकरण या मॉडल बनाने के लिए कहा जावे जो उसने कभी देखे ही नहीं

RSCERT, UDAIPUR

हो। इससे उसकी कल्पना शक्ति की परीक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त आयु के स्वभाव एवं प्रशिक्षणार्थी की आयु के आधार पर समूह में परीक्षा ली जावे। इस कार्य के लिए जब प्रशिक्षणार्थी कुछ दक्षताएँ प्राप्त कर लें तब उन्हें विशिष्ट समूह बनाकर उसमें निश्चित मापदंड वाले जॉब या कार्य करने के लिए कहा जावे। बिना बताए हुए पूर्व सूचना के प्रशिक्षणार्थी को भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य देना, मौखिक प्रश्न पूछना, अल्प मात्रा में लिखित प्रश्न पूछना, रचनात्मक प्रश्न पूछना इत्यादि द्वारा उसके कार्यों का परीक्षण किया जावे। सेवारत शिक्षकों आकलन को उसके वार्षिक मूल्यांकन में भी जोड़ा जावे।

f. अवलोकन - सेवापूर्व और सेवारत शिक्षकों के कार्य व्यवहार को अवलोकन के माध्यम से सतत रूप से आकलित करना और सुझावात्मक परिवर्तन से सकारात्मक की ओर ले जाना।

g. संज्ञानात्मक (cognitive), भावात्मक (affective) और मनोप्रेरणात्मक(psychomotor) जैसे सभी क्षेत्रों का आकलन किया जाना चाहिए। इसमें व्यवहार संबंधी पहलू भी शामिल होंगे ।

h. पीयर ग्रुप द्वारा आकलन - साथी शिक्षकों से फीडबैक के आधार पर ।

9.3. सेवापूर्व शिक्षकों के लिए आकलन इस प्रकार विशेष सहयोगी हो सकता है

a. प्रत्येक सप्ताह में लगातार पाँच कार्यदिवस तक तय कक्षा में जो विषय पढ़ाना है। इस दौरान शिक्षक प्रत्येक सप्ताह स्कूल जाकर सेवापूर्व और सेवारत शिक्षकों की कक्षाओं का अवलोकन करेंगे और अपनी टिप्पणियों को दर्ज करेंगे। इन्ही टिप्पणियों के आधार पर शिक्षकों को फीडबैक दिया जाएगा। कुल 12 सप्ताह के शिक्षण के बाद टिप्पणियों के समेकन के आधार पर सभी शिक्षकों की ग्रेडिंग की जाएगी ।

b. सेवापूर्व शिक्षक कक्षा-कक्ष शिक्षण से पहले शिक्षण योजना और पाठ योजना लिख कर जमा करवाएँ तथा प्रशिक्षक पढ़कर अपनी टिप्पणी देंगे। सभी प्रशिक्षु शिक्षक-शिक्षिकाओं को अपनी पाठ योजना को बेहतर करने के बाद ही कक्षा-कक्ष में पढ़ाना है। पाठ योजनाओं में उद्देश्य, गतिविधि, सामग्री, आकलन और समय को भी उल्लेखित करना होगा । तय मापदंडों के आधार पर इन पाठयोजनाओं की ग्रेडिंग की जाएगी ।

c. सभी सेवा-पूर्व शिक्षकों को पहले सप्ताह के दौरान तीन अलग-अलग विषयों के शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जा रही कक्षाओं का अवलोकन करना, इसके बाद उन्ही शिक्षकों से बात करनी होगी। पाठ योजना और शिक्षण से जुड़े अपने सवाल पूछ कर दर्ज करने हैं । उन्हें अपने अवलोकन को दिए गए प्रपत्र में दर्ज करना है और बाद में इसकी समीक्षा लिखनी है।

d. कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी चुनौतियों को समझना है। इन चुनौतियों के आधार पर आगे की कार्ययोजना बनाना है। इनमे से किसी एक मुद्दे कि पहचान कर उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना है। इस सामग्री को कैसे उपयोग किया

e. जाएगा इसका मैनुअल भी बनाना है। सामग्री और मैनुअल सभी सहपाठियों और शिक्षकों से साझा करना है। एक दिन प्रस्तुतीकरण के लिए रखा गया है। सभी लोग अपना- अपना काम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपनी सामग्री को अंतिम रूप देंगे ।

f. तेरहवें सप्ताह में समुदाय में जा कर बच्चों के परिवार के सदस्यों से मिलना है। उनकी भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज और रहन-सहन पर अपनी समझ बनानी है। अपने अवलोकन और अनुभव पर आधारित एक रेफलेक्टिव नोट लिख कर जमा करना है।

g. जिस स्कूल में शिक्षण कार्य किया है उसी पंचायत में स्थित अन्य स्कूल का अवलोकन करना है फिर किन्हीं दो शिक्षकों और एक शिक्षा अधिकारी का साक्षात्कार लेना है। साक्षात्कार में शिक्षकों कि अस्मिता, पेशेवर पहचान, चुनौतियों और अभिवृत्तियों को समझने के लिए प्रश्नावली बनाना है।फिर साक्षात्कार के बाद प्रश्नों के साथ जवाब और विश्लेषण लिखना है।

h. पहले दो महीने के दौरान ब्लॉक या पंचायत में आयोजित होने वाले किन्हीं दो शिक्षक प्रशिक्षण का अवलोकन करना होगा। यहाँ कार्यरत दक्ष प्रशिक्षकों से बात करके उनकी तैयारी कि प्रक्रिया को समझना होगा। सत्रों को देख कर और शिक्षकों के सवालों को सुनकर उनकी चुनौतियों और काम को समझना होगा। दक्ष प्रशिक्षकों के साथ फीडबैक मीटिंग में शामिल होकर अपनी जिज्ञासा से जुड़े सवाल पूछ कर दर्ज करना होगा ।

i. तीसरे महीने के दौरान स्वयं एक या दो सत्र तैयार करके अपने शिक्षकों को जमा करवाना होगा। उनसे प्राप्त सुझाव से इसे बेहतर करना होगा। इसके लिए सत्र योजना तथा सामग्री निर्माण करने के बाद किसी शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल होकर सह प्रशिक्षक के रूप में काम करना होगा और एक या दो सत्रों में सुगमकर्ता की भूमिका निभाना होगी ।

RSCERT UDAIPUR

j. पंचायत में स्थित एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जा कर एक पूरा दिन अवलोकन करना है। यहाँ कार्यरत शिक्षकों और बच्चों से संवाद करना है। गणित और भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी 'शिक्षण सहायक सामग्री' को देखना है और किन्हीं 15 सामग्री के उपयोग के बारे में लिखना है।
k. सभी प्रशिक्षु शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रतिदिन अपनी डायरी लिख कर ई मेल या व्हाट्सऐप द्वारा भेजना है।
l. सभी को एक रिफलेक्टिव जर्नल लिखना है। पहले और दूसरे महीने के अंत में शिक्षकों द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और फीडबैक दिया जाएगा। तीसरा महिना पूरा होते ही इस रेफलेक्टिव जर्नल को अंतिम रूप देकर जमा करना होगा।
m. स्व आकलन के लिए कुछ ठोस प्रक्रिया बनानी होगी। प्रशिक्षु शिक्षक अपने साथियों कि मदद से अपनी कक्षा-कक्ष शिक्षण या प्रशिक्षणों में सुगमकर्ता के रूप में किए जा रहे काम की रिकॉर्डिंग करवाकर बाद में स्वयं देख सकते हैं। अपने काम या सम्प्रेषण को और बेहतर बनाने के लिए स्वयं ही आवश्यकता के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग को अपने साथियों और शिक्षकों से साझा कर फीडबैक और सुझाव अमांत्रित करें।
n. प्रशिक्षु शिक्षक अपने साथियों की कक्षाओं का अवलोकन करें, उन्हें सुझाव दें तथा बेहतर गतिविधिया¡ खोजने और शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण के काम में भी एक दूसरे कि मदद कर सकें इसका प्रबंध तथा व्यवस्था बनानी चाहिए।
o. प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षु के आकलन को उनके सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करने तथा मूल्यांकन के मापदंड कि कसौटी के अनुरूप देखना होगा। सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित मापदंड के प्रमाण इसी सतत आकलन प्रक्रिया से प्राप्त किए जाएंगे।
p. उपर्युक्त बिंदुओं के उदाहरण से हम समझ सकते हैं की कुछ इसी तरह के स्पष्ट मापदंड सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित करने होंगे। यह ध्यान रखना होगा की प्रशिक्षु शिक्षक-शिक्षिकाओं का आकलन उनपर किसी किस्म का ठप्पा लगाने के लिए नहीं है बल्कि उनकी सीखने की प्रक्रिया, उनके द्वारा किए गए काम कि गुणवत्ता और इस पर किए गए चिंतन की गहराई, लेखन कौशल, कल्पनाशीलता आदि को कुछ सूचकों और अवलोकन के आधार पर आकलन करना है। आकलन के दौरान की गई टिप्पणियाँ, ग्रेडिंग और दिए गए सुझाव अनुसार उनके प्रयासों को देख-समझ कर सर्टिफिकेशन के मापदंडों को देखना है।

आकलन-वर्ष पर्यन्त अध्ययन एवं सीखने सिखाने के पश्चात् यह जानना भी आवश्यक है कि प्रशिक्षु शिक्षकों ने क्या, क्यों, कितना, किस प्रकार व कहाँ तक सीखा है। प्रशिक्षण के दौरान आकलन का प्रारुप इस प्रकार हो जिससे उसके अध्यापन कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो ताकि अध्यापन कार्य भलीभांति चले। प्रत्येक प्रशिक्षु शिक्षक-शिक्षिका के सीखने की गति एवं पाठ्यक्रम को आत्मसात करने की सीमा को पहचाना जा सकता है। इससे उनके लिए आगे की शिक्षण योजना बनाने और अवसर प्रदान करने कि योजना बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आकलन से विषयवस्तु और शिक्षण विधियों की समझ जैसे - भाषा,गणितीय ज्ञान,पर्यावरण ज्ञान के स्तर तथा आगामी आवश्यकताओं का पता भी चलता है।

किसी प्रशिक्षु शिक्षक-शिक्षिका को दिए जाने वाले प्रगति प्रपत्र की संकल्पना भी अब हमें नए ढंग से करनी होगी, जहा¡ ऊपर लिखी गई बातों को दर्ज करने का स्पष्ट स्थान होगा। यह प्रगति कार्ड एक बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें किसी प्रशिक्षु शिक्षक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन में विकास को बारीकी से किए गए अवलोकन और प्राप्त डाटा के विश्लेषण के आधार पर तैयार करना होगा। मूल्यांकन एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। मूल्यांकन के माध्यम से यह जानने का प्रयास होता है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में इस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है। यह दो प्रकार से होता है- (1) निर्माणात्मक मूल्यांकन – यह व्यवहार में आये परिवर्तन के आधार पर होगा। (2) संकलित मूल्यांकन – यह समय-समय पर किए गए आकलन और अवलोकन के नतीजों को समेकित कर बनाया जाएगा।

इसी तरह सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कि प्रक्रियाओं में भी सतत आकलन और दस्तावेजीकरण को शामिल करना चाहिए। किसी शिक्षक द्वारा किए जा रहे शिक्षण कार्य, उनकी अकादमिक तथा प्रबंधकीय समझ, समुदाय के साथ किए गए सकारात्मक प्रयास, बच्चों के अधिगम के लिए किए जा रहे प्रयास आदि को आकलन करने, अवलोकन करने और दस्तावेजीकरण करने के मानक RPST में विस्तार से उल्लेखित किए जा रहे हैं। इन्ही मापदंडों के आधार पर पदोन्नति, वेतन वृद्धि और सिस्टम के भीतर ही प्राप्त होने वाले नए अवसरों को प्रदान किया जाना चाहिए।

RSCERT UDAIPUR

9.3.1. आकलन का उपयोग/ महत्त्व

शिक्षक का जिस प्रकार से आकलन होता है, उसी से उसका सर्वांगीण विकास होता है। आकलन का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षक अपनी प्रशिक्षण कक्षाओं में कर सकते हैं एवं बेहतर प्रशिक्षण योजना बना सकते हैं। सही आकलन के माध्यम से सेवा-पूर्व शिक्षकों के मानसिक स्तर व व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अधिगम हो सकता है तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक आकलन का उपयोग अपनी कक्षा में समावेशन व प्रोत्साहन हेतु भी कर सकता है व अधिगम को और अधिक समसामयिक भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार आकलन के उपयोग को अधोलिखित बिंदुओं के माध्यम से सुझाया गया है।

a. इस प्रक्रिया में प्राप्त डेटा को जस का तस तथा व्यक्तिगत रूप से साझा करने से बचना चाहिए। इनके विश्लेषण से निकल कर आये निष्कर्ष को सभी शिक्षकों के सामने रखा जाना चाहिए।
b. ब्लॉक स्तर / पंचायत स्तर पर संकलित डाटा से निकाले गए निष्कर्ष को उसी ब्लॉक / पंचायत स्तर के शिक्षकों से साझा करना चाहिए।
c. विद्यालय एवं शिक्षक के संबलन में सहयोगी।
d. शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन के लिए।
e. शाला परिवार से जुड़े जनसमुदाय, जनप्रतिनिधि, भामाशाह एवं अन्य विभागों के सुझाव के आधार पर आकलन के उपयोग को प्रभावी बनाया जा सकता है।
f. स्कूल या शिक्षक एक-दूसरे से सीख सकें और एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ ले सके ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाए।
g. सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक कारकों पर आधारित केस स्टडी या वीडियो को शिक्षकों को दिखाया जाना चाहिए।
h. शिक्षकों द्वारा स्वयं भरे गए स्व-प्रशंसा प्रपत्र के सापेक्ष देखा जाना चाहिए। यदि किसी का स्व-प्रशंसा प्रपत्र काफी अच्छी-अच्छी बातों से भरा है, लेकिन विद्यालय की स्थिति और बच्चों का अधिगम स्तर संतोषजनक नहीं है तो इसके कारणों को समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

9.3.2. आकलन क्या नहीं है

a. आकलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे केवल पेपर-पेन टेस्ट के रूप में ही नहीं जाना जाए।
b. आकलन के फीडबैक के आधार पर शिक्षकों की क्षमताओं का संवर्द्धन किया जा सकता है अतः इसे अयोग्यताओं के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
c. आकलन केवल डेटाबेस नहीं है जिसके माध्यम से शिक्षकों की क्षमताओं को सीमित रूप से जान लिया जाए बल्कि उनके द्वारा अर्जित अनुभवों और अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी हुई प्रगति को सूचित करता है।
d. आकलन शिक्षण शास्त्र का एक उपकरण मात्र है, उसे मापक के रूप में नहीं लिया जाए।
e. शिक्षकों की उत्तरोत्तर प्रगति में सहायक सेतु का काम आकलन करता है अतः इसे परीक्षा स्वरुप नहीं समझा जाए।

9.4. आकलन के अलग-अलग स्तरों में क्या अंतर है

आकलन का प्रत्येक स्तर पर देखा जाना अपेक्षित होगा। शिक्षक/ शिक्षिका तो इस शिक्षा के ढांचे में महत्वपूर्ण और जमीनी स्तर पर कार्य करता/करती है, किन्तु इस काम में सहयोग देने वाले, दिशा निर्देश देने वाले, संबलन प्रदान करने वाले हेड शिक्षक, सुपरवाइजर तथा संस्था प्रधान के साथ-साथ अधोलिखित स्तरों का भी आकलन किया जाना होगा, वे स्तर इस प्रकार हैं -

1. व्यक्तिगत स्तर पर - शिक्षक की अभिव्यक्ति, समुदाय से जुड़ाव
2. कक्षा स्तर पर - साथी शिक्षकों, छात्रों के फीडबैक तथा छात्रों की समग्र प्रगति के आधार पर।
3. विद्यालय स्तर पर - संस्था प्रधान, सहशैक्षिक गतिविधियों, साथी शिक्षकों के आधार पर
4. सामुदायिक स्तर पर - एसएमसी तथा एसडीएमसी के माध्यम से अभिभावकों के फीडबैक के आधार पर
5. प्रशासनिक स्तर पर - आकलन हेतु मानक उपकरणों का निर्माण जिसमें स्थानीय प्रशासन, अभिभावक, शिक्षक, छात्र, शिक्षाविद सभी के अवलोकन की रिपोर्ट को शामिल कर आकलन किया जाए।

RSCERT, UDAIPUR

9.4.1. शिक्षकों का आकलन- छात्रों के विभिन्न स्तरों के अनुरूप

9.4.1.1 फाउंडेशन स्तर

a. स्थानीय सन्दर्भ से छात्रों के साथ मातृभाषा से जुडाव बनाता हुआ शिक्षण में रोचकता एवं मित्रता का व्यवहार रखता हो।
b. इस स्तर पर शिक्षकों के आकलन करने के पैमाने अवलोकन, समानता, अंतर की पहचान, वर्गीकरण, पूछताछ, अनुमान हेतु परिस्थति निर्माण, ध्यान केंद्रित करवाना इत्यादि हो सकते हैं।
c. शिक्षकों के बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का आकलन भी इस स्तर पर आवश्यक है।
d. शिक्षक का अति-संवेदनशील एवं सहयोगी मित्र की भूमिका इस स्तर पर अपेक्षित है।

9.4.1.2 प्रीपरेटरी स्टेज

a. इस स्टेज पर शिक्षकों आकलन के पैमाने फाउंडेशन स्तर के साथ-साथ कक्षा कक्षा सहयोगी वातावरण, शिक्षक छात्रों में ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य का विकास करने की योग्यता रखता हो।
b. शिक्षण के अनुसार शिक्षण विधा का प्रयोग करने में निपुण हो।
c. छात्रों को सीखने के अधिक अवसर प्रदान करता हो।
d. छात्रों में सर्वेक्षण,कारण, प्रभाव इत्यादि एवं पढ़ने की समझ विकसित करने में सक्षम हो।
e. छात्रों को स्थानीय से वैश्विक की तरफ ले जाने में मदद करता हो।

9.4.1.3 मिडल स्टेज

a. शिक्षक इस स्टेज के बच्चों को उपर्युक्त के अतिरिक्त अवलोकन,परिकल्पना, प्रयोग, डेटा एकत्र करना और निष्कर्ष का उपयोग करके एक वैज्ञानिक अवधारणा को खोजना इत्यादि के लिए परिस्थिति निर्माण में सहयोगी हो।
b. रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता हो।

9.4.1.4 सेकेंडरी स्टेज

a. शिक्षक मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान दोनों की समझ रखता हो वह छात्रों के किशोरावस्था में होने वाले तनाव और दबाव को कम करने और शिक्षार्थी के मनोबल को बढ़ाने एवं प्रेरित करने के लिए तत्पर रहता हो।
b. विज्ञान शिक्षा में हो रहे नए-नए अनुसंधान एवं नवाचारों से छात्रों को परिचित कराता हो और कक्षाओं में उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करता हो।
c. गलत धारणाओं के प्रति जागरूकता, प्रासंगिकता के लिए प्रशंसा और पूछताछ की समझ को विकसित करने की योग्यता रखता हो।

9.4.1.4 आकलन के प्रतिफल

a. शिक्षक का पहले से अधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना।
b. शिक्षक का साथी शिक्षकों के साथ व्यवहार।
c. प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यावहारिक रूप से उपयोग
d. अनौपचारिक रूप से।
e. शिक्षकों के द्वारा किए गए नवाचार,शोध एवं उनके उपयोग
f. अंतर-अनुशासनात्मक समझ।

9.4.1.5 आकलन और अधिगम - सेवापूर्व प्रशिक्षण का आकलन

अधिगम एक सार्वभौमिक व सार्वजनिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसके अधिगम व गति पर आधारित होता है, लेकिन अधिगम को का स्तर जानना भी आवश्यक होना चाहिए ताकि शिक्षक/शिक्षिका ने कितना सीखा है, क्या उसका वास्तविक रुप में गुणवत्ता-पूर्ण अधिगम हुआ है? तथा प्रभावशाली शिक्षक-शिक्षा के पैमाने क्या हो सकते है, इन सभी के लिए सेवा-पूर्व तथा सेवारत

RSCERT, UDAIPUR

शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक प्रगतिशील सूचक पत्र विकसित करने की जरुरत है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं -

a. कक्षा का वातावरण- प्रशिक्षु शिक्षक के साथ अंतरवैयक्तिक सम्बन्ध, लोकतांत्रिक वातावरण के निर्माण की समझ, शिक्षक-प्रशिक्षक की संवेदनशीलता।
b. कक्षा-कक्ष प्रबंधन - स्पष्ट एवं सरल संप्रेषण, प्रभावी समय प्रबंधन, अधिकतम अधिगम जुड़ाव समय। (Learning engagement time),
c. शिक्षण का नियोजन – स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों के अनुरूप सीखने में सहायक गतिविधियों एवं सामग्री का नियोजन, गतिविधियों के अनुसार सही समय का नियोजन, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना।
d. अनुदेशन का ज्ञान - उचित शिक्षण विधि एवं प्रविधि की समझ, विद्यार्थी प्रगति एवं उनके सीखने का मूल्यांकन की समझ, विषय-वस्तु का ज्ञान, तकनीकी का ज्ञान
e. उनकी भविष्य की पेशेवर जरूरतों को पूरा करने का पाठ्यक्रम।
f. आकलन की विधियाँ और सूचक
g. स्व आकलन- विद्यार्थी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या जो लक्ष्य उनको दिया गया, उनकी कामयाबी के सूचकों के आधार आकलन किया जा सकता है।
h. विद्यार्थी शिक्षक के साथी, जो उसके साथ गतिविधियों में शामिल रहे, वे भी अपने साथी का सूचकों के आधार पर आकलन करें।
i. शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर विद्यार्थी शिक्षक का आकलन।
j. सामूहिक कार्यों में प्रदर्शन का आकलन।
k. बाहरी पर्यवेक्षक के द्वारा विद्यार्थी शिक्षक का आकलन।
l. पोर्टफोलियो का सूचकों के आधार पर आकलन।
m. वर्ष में दो बार लिखित आकलन।
n. लिखित आकलन ऑनलाइन किया जाए और आकलन के आंकड़ों को ऑनलाइन रखा जाए।

9.4.2. सेवारत शिक्षक-शिक्षा का आकलन

a. प्रशिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट हों तथा सन्दर्भ सदस्यों के साथ ही संभागी शिक्षक भी इन्हें आसानी से समझ सकें। साथ ही वे यह भी समझ पाएँ कि इन उद्देश्यों का उनकी कक्षा-कक्ष की शिक्षण प्रक्रियाओं में किस तरह का निहितार्थ है।
b. प्रशिक्षण अपनी तय अवधि में पूरा किया जा सके।
c. प्रशिक्षण शिक्षकों की आवश्यकताओं और चुनौतियों पर केन्द्रित हो।
d. शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को नवीन ज्ञान निर्माण के सार्थक अवसर प्रदान कर सके तथा इसके लिए प्रेरित करें।
e. शिक्षकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ला सके। विषयवस्तु, बाल मनोविज्ञान और सीखने के सिद्धांतों के साथ ही परिप्रेक्ष्य के मुद्दों पर भी समझ विकसित की जानी चाहिए।
f. शिक्षक उन विचारों को ज्यादा बेहतर तरीके से आत्मसात करते हैं जो उनके ही साथी शिक्षकों की कक्षा-कक्ष के अनुभवों से निकल कर आती है। अतः सदन में उन्हें अपने विचार रखने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए।

9.4.2.1 आकलन की विधियाँ और सूचक

a. प्रशिक्षण की समाप्ति पर (प्रशिक्षण के दौरान भी) इसमें सहभागिता करने वाले शिक्षकों से फीडबैक लिया जाना चाहिए। वे अकादमिक, व्यवस्थागत एवं व्यावहारिक पहलुओं पर अपने विचार लिख कर दें।
b. शिक्षकों से प्राप्त फीडबैक को प्रशिक्षक और प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। उचित माँगों या विचारों को लेकर वे आगामी प्रशिक्षणों की तैयारी करें।
c. प्रतिदिन प्रशिक्षण का प्रतिवेदन लिखा जाए।
d. प्रशिक्षण से पहले और बाद में प्री-टेस्ट और पोस्ट-टेस्ट हो तथा इस पोस्ट-टेस्ट की प्रतिपुष्टि को आगामी प्रशिक्षणों में सुधारात्मक रूप से शामिल किए जाएँ।

RSCERT, UDAIPUR

e. दक्ष प्रशिक्षक (एस.आर.जी, के आर पी.) रोज की सत्र योजना तैयार करें साथ ही प्रशिक्षण के उपरान्त अपनी डायरी भी लिखें।

f. प्रशिक्षण में शिक्षको को छोटे समूह में बैठ कर विचार विमर्श करने और सामग्री बनाने के पर्याप्त अवसर दिए जाए।

g. यह भी देख जाए की प्रशिक्षण में विधियों, बातचीत, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, सामग्री निर्माण, आईसीटी का उपयोग आदि को ले कर क्या-क्या किया गया है।

h. प्रशिक्षण के दौरान स्वयं करके देखने के अवसर हों। साथ ही प्रशिक्षण के बाद संभागियों को किसी तरह की परियोजना पर काम करने को कहा जाए। (RSCF/शिक्षक-शिक्षा एवं वेल्बिंग ड्राफ्ट 6.5 version)

9.5. आकलन और मूल्यांकन

आकलन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है, जो पढ़ने-पढ़ाने के साथ-साथ चलता है। शिक्षकों की शिक्षण एवं शैक्षिक उपलब्धि बारे में जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने और उपयोग करने के तरीके को आकलन (assessment) करना कहते हैं। सतत एवं व्यापक चलने वाली इस प्रक्रिया में assessment का उद्देश्य यही होता है कि जहाँ आवश्यक हो, सुधार किया जा सके। आकलन शिक्षकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, तथा सीखने की प्रगति को सूचित करता है। शिक्षकों के शैक्षिक एवं व्यक्तिगत उन्नयन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है।

मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा उद्देश्य की समाप्ति पर शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने में सहायक होता है। इसका उद्देश्य मूल्य निर्णयन करना होता है। मूल्यांकन में यह तथ्य सम्मिलित होने चाहिए

- निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है ?
- शिक्षकों द्वारा कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं ? तथा
- व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है ? इत्यादि।

शिक्षकों के आकलन एवं मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार NPST(शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक) में कुछ मानक विकसित किए जा रहे हैं। "मानकों में विशेषता/रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका की अपेक्षाओं और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन के मानक भी शामिल होंगे, जिन्हें आवधिक आधार पर किया जाएगा। एनपीएसटी सेवापूर्व शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। शिक्षक कैरियर प्रबंधन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लंबी अवधि में उद्देश्य होना चाहिए कि पदोन्नति और वेतन वृद्धि के बारे में लिए जा रहे निर्णय केवल कार्यकाल या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर ही नहीं बल्कि ऐसे मूल्यांकन को भी शामिल करेंगे। पहले कदम के रूप में NPST/RPST के प्रदर्शन मानकों के आधार पर सतत व्यावसायिक कौशलों के विकास करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन स्वरूप अग्रिम वेतन वृद्धि, विशेष परिलाभ, विशेष भत्ते दिए जाने की अनुशंसाएँ की जाती है।

राष्ट्रीय स्तर पर 2030 में पेशेवर मानकों की समीक्षा और संशोधित किया जाएगा और उसके बाद हर 10 साल में इस प्रणाली की प्रभावकारिता के कठोर अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर। (एन.ई.पी 2020, पैरा 5.20)

⌘❖⌘❖⌘❖⌘

RSCERT UDAIPUR

खंड - स

क्रियान्वयन

RSCERT UDAIPUR

खंड - स

शिक्षक शिक्षा का क्रियान्वयन

10	क्रियान्वयन	
11	अगले कदम	
	संदर्भ सूची	

RSCERT UDAIPUR

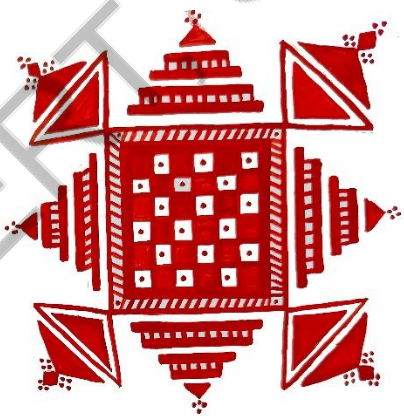

अध्याय 10

व्यवस्थागत क्रियान्वयन

प्रभावी शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक है कि पूरी शिक्षा प्रणाली सभी घटक एक-दूसरे के साथ सामंजस्य एवं तालमेल के साथ कार्य करें। जिस तरह की शिक्षक-शिक्षा की संकल्पना पहले के अध्यायों में प्रस्तुत की गई है, इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है, कई व्यवस्था कर कदम उठाए जाएँ। इस अध्याय में उनका वर्णन किया गया है।

10.1. शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका एवं तैयारी – प्रदर्शन मानक और सूचक

शिक्षकों को अपनी भूमिका के लिए तैयार करने में शिक्षक प्रशिक्षक की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। एक प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षक से अपेक्षा होती है कि वह अपने प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षु - शिक्षकों में उन गुणों, कौशलों व समझ का विकास करें, जिनका उपयोग कर शिक्षक-शिक्षा के मूल उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर साकार कर पाये। शिक्षक प्रशिक्षक के प्रोफ़ाइल व उसकी भूमिका विद्यालयीय शिक्षा के दर्शन व उन सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए जो कि विद्यालयीय शिक्षा के अधिकतर पहलुओं को नियंत्रित करते हैं व उनका स्वरूप तय करते हैं, जैसे – शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षाक्रम व शिक्षण विधियाँ, सामग्री, सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ जिनमें कि विद्यालय संचालित होते हैं व शिक्षक की भूमिका, जो कि शिक्षा के लक्ष्यों को कर्म में बदलता है। (एनसीटीई, 2009)

10.1.1. शिक्षक प्रशिक्षक से अपेक्षाएँ (आवश्यक गुण एवं कौशल)

शिक्षा नीति- 2020 के अनुसार सरकारों को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक –शिक्षा कार्यक्रमों को 2030 तक क्रमबद्ध तरीके से लागू करने की अनुशंसा की गयी है। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि चार वर्ष का होगा, उसमें प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अपनी रुचि व योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा कि वह किस विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता (specialization) चाहता है। विशेषज्ञता के आधार पर उसे फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज के शिक्षण के लिए उपयुक्त माना जाएगा। यह चारवर्षीय एकीकृत कोर्स शिक्षा नीति- 2020 द्वारा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा संरचना (5+3+3+4) के अनुसार नई पाठ्यचर्या का निर्माण करने और उसके लिए जरुरी समझ,कौशल व अभिवृत्तियों का विकास कर पाये।

10.1.1.1 फाउंडेशनल स्तर

नई शिक्षा नीति- 2020 में सुझाया गया 'फाउंडेशनल स्तर' जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तथा विद्यालय स्तर पर शुरुआती कक्षाओं में शिक्षण (प्रथम 5 वर्ष) को भी समाहित करता है, इसके लिए शिक्षकों की तैयारी, पाठ्यक्रमों में लचीली, मातृभाषा आधारित एवं खेल- गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों को शामिल करना होगा।

10.1.1.2 प्रिपरेटरी स्तर

एक औपचारिक स्कूली वातावरण में बच्चों को सीखने के अनुभव प्रदान करने होंगे व इस स्तर पर बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से विद्यालयी; शिक्षा में प्रवेश के संक्रमण काल में होते हैं, साथ ही उन्हें मूलभूत लिटरेसी व न्यूमेरसी कौशलों पर भी पकड़ बनानी होगी। इस स्तर के शिक्षकों के लिए कक्षा में अधिगम अनुकूल परिस्थिति निर्माण, बहु स्तरीय व बहु कक्षीय शिक्षण क्षमता के कौशल महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिक्षक- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इससे संबन्धित विषयवस्तु व शिक्षण विधियों को शामिल करना होगा।

10.1.1.3 मिडिल स्टेज (कक्षा 6-8)

मिडिल स्टेज में बच्चे, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ विषयों की अमूर्त संकल्पनाओ पर काम करना शुरू करेंगे, जिसके लिए आवश्यक कौशलों पर प्रिपरेटरी स्टेज पर काम होना अपेक्षित है। अतः इस स्तर के बच्चों में समालोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के इस स्तर के शिक्षकों को विषय में चर्चा आधारित गतिविधियों, समूह आधारित गतिविधियों, विश्लेषण आधारित अधिगम

PSCERT, UDAIPUR

के अवसर उत्पन्न करने का काम करना होगा। इसके साथ ही लोकतान्त्रिक मूल्यों के विकास, विषयों में अंतर्संबंध, विषय में स्थानीय संदर्भों का समावेशन करने के कौशल को शिक्षकों की तैयारी के पाठ्यक्रमों में जोड़ना होगा।

10.1.1.4 सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9-12)

सेकेंडरी स्टेज के बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षकों के तैयारी में विषय विशेषज्ञता के साथ किशोरावस्था के मनोविज्ञान की समझ, संवेदनशीलता, कक्षा में सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करने के कौशल का विकास महत्वपूर्ण है। यह स्तर बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर में प्रवेश का संक्रमण काल होगा, जहाँ बच्चे कक्षा 9-10 के शिक्षकों की तैयारी में विषय की व्यापक व गहरी समझ, विषयों में अंतर्संबंध की समझ व विषय शिक्षण के नवीन उपागम के साथ विषय को विविध संदर्भों से जोड़ने, बच्चों में विषय के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करने होंगे। इसके साथ ही इस स्तर के शिक्षकों को किशोरवय बच्चों के शारीरिक-मानसिक-भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधित पक्षों को समझने के अवसर प्रदान करने होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कक्षा 11-12 के स्तर पर विद्यार्थियों को विषय चयन में लचीलापन देने की बात करती है, जिसमें विज्ञान,गणित,मानविकी के साथ शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे ताकि बच्चों को व्यापक व विविधता सम्पन्न विषय क्षेत्र मिल पाए। ऐसे में इस स्तर के शिक्षकों में उच्च माध्यमिक स्तर की परंपरागत विषय श्रेणियों के दृष्टिकोण से बाहर निकल कर नवीन उपागमों को अपनाने की आवश्यकता होगी। "सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षकों को गतिशील समाज की चुनौतियों से सामना करते हुए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार करना अत्यावश्यक हो चुका है" (NEP 2020, Teacher and TE, Background paper for Teacher Fest)

ऐसे शिक्षकों को तैयार करने के लिए सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षणों के शिक्षक प्रशिक्षकों से अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है। शिक्षक की तरह शिक्षक प्रशिक्षक से अपेक्षा है कि उसे विषयवस्तु, शिक्षण विधियों पर गहरी पकड़ हो। वह अपने छात्र शिक्षकों / प्रशिक्षण संभागियों की विविध पृष्ठभूमि और आवश्यकताओ के प्रति संवेदनशील हो। उसे लोकतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास हो तथा उसकी कार्यशैली में ये मूल्य परिलक्षित होते हों। उनसे अपेक्षा है, कि वे अपने छात्र शिक्षकों / प्रशिक्षण संभागियों के वैयक्तिक-सामाजिक गुणों व कार्य क्षमता के सतत व सकारात्मक संवर्द्धन में सहयोग प्रदान करें। साथ ही उनसे यह अपेक्षा भी है कि वे राज्य, राष्ट्र व विश्व स्तर के नवीन शैक्षिक अनुसंधानों से परिचित हों तथा अपने संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना जानते हों।

NEP 2020 शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के कुछ विशेष पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तत देने की बात करती है (NEP 2020, 5.14)। इस हेतु सेवापूर्व भावी शिक्षकों के निर्माण तथा सेवारत शिक्षकों के संवर्द्धन के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक प्रशिक्षक तर्कसंगत हो, स्वायत्त निर्णय ले सके व अपने छात्र शिक्षकों / प्रशिक्षुओं को स्वायत्त निर्णय लेने हेतु अवसर प्रदान कर कर सके ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई नवीन परिवर्तनों की माँग करती है। ऐसे में शिक्षक प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए एक समावेशी वातावरण का निर्माण करने में सक्षम हों, जहाँ प्रशिक्षु शिक्षक को राज्य व राष्ट्र की बहुल एवं विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को तथा शिक्षा पर इसके प्रभावों को समझने के भरपूर अवसर मिल सके। साथ ही छात्र शिक्षक को राज्य के विद्यार्थियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भ को समझने व उनसे जुड़ पाने के अवसर प्रदान कर सकें । वहीं सेवारत प्रशिक्षणों में शिक्षक प्रशिक्षकों से अपेक्षा है कि वे सीखने के लिए जीवंत वातावरण का निर्माण कर सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें ।

10.1.1.5 शिक्षक-प्रशिक्षक निम्नलिखित गुणों एवं कौशलों से युक्त होने चाहिये

a. सर्वप्रथम शिक्षक प्रशिक्षक को अपनी व्यावसायिक भूमिका एवं उत्तरदायित्व का ज्ञान एवं समझ होनी चाहिए, जिसमें उन्हें अपने व्यावसायिक विकास, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं वातावरण को निर्मित करना, आकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थी शिक्षक को जानने एवं समझने की क्षमता, अपनी कक्षा का प्रभावी प्रबन्धन कर सकना, विषयवस्तु को बेहतर संरचित कर सकने की क्षमता एवं विद्यार्थियों को निर्देशन एवं परामर्श दे सकने की क्षमताओं वाला होना चाहिए।

b. इसके साथ ही वह व्यावसायिक मूल्यों-जिनमें अपने व्यवसाय से प्यार, सहानुभूति, आत्मविश्वासी, सहनशील, संवेदनशील, सीखने की जिज्ञासा, नेतृत्व गुणों से युक्त, ईमानदार, खुले विचारों वाला, वैज्ञानिक सोच वाला, सृजनात्मक, सहयोग के लिए

FSCERT, UDAIPUR

खुला, विचारों और मान्यताओं की आजादी को सम्मान देने वाला, उदार - नम्र जैसे गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे वह अपने विद्यार्थी को बेहतर समझ सके व उसे आगे बढ़ाने वाला हो।

c. अध्यापक शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों यथा-हँसमुख, अनुशासित, उत्साही, सामाजिक, स्व मूल्यांकन करने वाला, निष्ठावान व साहसी होना चाहिए।

d. अध्यापक शिक्षक को अपने विषय पर गहरी पकड़ हो एवं उससे सम्बन्धित विभिन्न शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का अच्छा ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, जिससे वह अपने विद्यार्थियों को इनमें दक्ष बना सकें। वह शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री निर्माण में भी कुशल होना चाहिए।

e. शिक्षक अपने व्यावसायिक मूल्यों की समझ रखने वाला होना चाहिए, जिससे वह अपनी कक्षा के लिए पाबन्द हो। वह अपने विद्यार्थियों में धर्म, जाति, भाषा, सामाजिक पृष्ठभूमि, लिंग, शैक्षणिक उपलब्धियों व आर्थिक आधार पर भेद न करे। वह अपने राजनैतिक विचारों को कक्षा में अभिव्यक्त करने वाला ना हो, वह अपने व्यक्तिगत जीवन की चर्चा कक्षा के विद्यार्थियों से करने वाला नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों के आकलन में पक्षपात रहित व्यवहार करने वाला होना चाहिए।

10.2. शिक्षक-प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन

10.2.1. शिक्षक प्रशिक्षक का चयन, प्रशिक्षण व तैयारी

a. शिक्षक-शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में पहला कदम शिक्षक प्रशिक्षकों के चयन, प्रशिक्षण व तैयारी से माना जा सकता है। राज्य में सेवापूर्व प्रशिक्षण के शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन NCTE के मानदंडों के अनुसार होता है, जिसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षक के लिए M.Ed. होना अनिवार्य है, कुछ परिस्थितियों में M.A. Education डिग्री धारक को भी मान्यता प्राप्त है, व साथ ही Ph.D. धारकों को भी वरीयता दी जाती है, परंतु सेवा में आने के बाद सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास व क्षमता संवर्धन हेतु विशेष अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन सेवारत शिक्षकों में से ही किया जाता है। इस चयन प्रक्रिया में कई बार उच्च अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को मनोनीत करने के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अतः इस स्थिति में पारदर्शिता लाते हुए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित कर तय मानदंडों व वरीयता के आधार उनका चयन किया जाना चाहिये। अभ्यर्थी के कौशलों एवं विषय आधारित लिखित आकलन, प्रदर्शन (डेमो) सत्र, साक्षात्कार जैसे चरणों से होती हुई वरीयता सूची के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षक के चयन की प्रक्रिया अपनाये जाने की आवश्यकता है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य विशेषज्ञों, सेवानिवृत शिक्षकों/शिक्षा से जुड़े कार्मिकों को भी इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिये जिसमें M.Ed. NET पास व्यक्तियों का चयन किया जाए।

b. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों के चयन के पश्चात उनका अपनी नवीन भूमिका व कार्य को समझने के लिए विशेषज्ञों द्वारा आमुखीकरण – प्रशिक्षण होना चाहिए। उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण की विषयवस्तु व शिक्षक प्रशिक्षण कौशलों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षकों को ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, वयस्कों के सीखने की प्रक्रियाओं को समझने हेतु विशेष अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों को अच्छा प्रदर्शन करने पर व्यावसायिक प्रगति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

c. चयन प्रतियोगिता परीक्षा (आरईएस – राजस्थान एज्यूकेशन सर्विसेस की तरह) के माध्यम से एससीईआरटी, डाइट व बीआरसी व सीआरसी स्तर पर विशेषज्ञों का एक कैडर (cadre) बनाये जाने की जरूरत है।

10.3. सेवा-पूर्व प्रशिक्षण

10.3.1. कौन कर सकता है? योग्यताएँ

सेवाकालीन प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता लिए हुए होंगे।

a. जिनमें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed. पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षणार्थी न्यूनतम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए।

RSCERT UDAIPUR

b. 2 वर्षीय बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रशिक्षणार्थी को न्यूनतम स्नातक डिग्री पास किए हुए होना चाहिए।

c. साथ ही पुनः प्रस्तावित 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षणार्थी न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण किए हुए होना चाहिए। (जैसे- बी टेक इत्यादि)

10.3.2. सेवा-पूर्व प्रशिक्षण के लिए पूर्व आवश्यकताएँ

a. सेवा-पूर्व पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण के प्रति अभिवृति, अभिरुचि और रुझान होना चाहिए।

b. यह प्रशिक्षणार्थी सकारात्मक कार्य संस्कृति और मूल्यों को जानने और मानने वाला होना चाहिए।

c. इनमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, जिससे यह भावी पीढ़ी में इस कौशल का विकास कर सके।

d. यह प्रशिक्षणार्थी नया सीखने, नया जानने और नया करने के लिए स्व- प्रेरित होना चाहिए, जिससे वह अपने शिक्षण में वह नवाचारों को जोड़ सकने में सक्षम होगा।

e. इन प्रशिक्षणार्थियों में अपने विषय की विषय-वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

f. यह प्रशिक्षणार्थी वैज्ञानिक विधि का ज्ञाता और चिंतनशील होने चाहिए।

g. इनमें देश के प्रति, संवैधानिक मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति समझ और आस्था होनी चाहिए, जिससे वह देश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें।

h. यह प्रशिक्षणार्थी धर्म- जाति, मान्यताओं और अंधविश्वासों से दूर तार्किक चिंतनशील और समानुभूति वाला होना चाहिए।

i. तकनीकी के इस युग में वह नई तकनीकी के प्रयोग के लिए अद्यतन और समय के साथ बदलती तकनीक के उपयोग को सीखने और काम में लेने के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए।

10.3.3. सेवा-पूर्व प्रशिक्षण

10.3.3.1 कोर्स कैसा होगा ? कितने समय का होगा ? इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन कैसा होगा ?

NEP 2020 की अनुशंसा के आधार पर तीन प्रकार के कोर्स चलाए जाएँगे, जो कि 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, दो वर्षीय पाठ्यक्रम और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में संचालित किए जाएंगे।

इसमें 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम अलग-अलग साल में विद्यालय अनुभव एवं प्रशिक्षण से संबंधित विविध कार्यों का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन विभिन्न वर्षों में इस प्रकार किया जा सकता है।

10.3.3.2 निर्धारित वर्ष, कार्यक्रम, अवधि एवं करणीय कार्य

प्रथम वर्ष, विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम, 1 सप्ताह

1. विद्यालय अवलोकन।
2. कक्षा कक्षा अवलोकन एवं प्रतिवेदन लेखन।

द्वितीय वर्ष, स्कूल शिक्षण कार्यक्रम, 15 दिन।

1. प्रथम शिक्षण विषय में शिक्षण कार्य।
2. साथी प्रशिक्षणार्थी के शिक्षण कार्य का अवलोकन।
3. इकाई परीक्षण का आयोजन, निदानात्मक कार्य एवं उपचारात्मक शिक्षण की योजना।

तृतीय वर्ष, विद्यालय शिक्षण कार्यक्रम, 15 दिन,

1. द्वितीय शिक्षण विषय में शिक्षण कार्य।
2. साथी प्रशिक्षणार्थी के शिक्षण कार्य का अवलोकन।
3. इकाई परीक्षण का आयोजन निदानात्मक कार्य एवं उपचारात्मक शिक्षण की योजना निर्माण।

चतुर्थ वर्ष, विद्यालय आधारित कार्यक्रम 96 दिनों का -

1. दोनों विषयों में न्यूनतम 100 पाठों का शिक्षण कार्य।
2. एक विद्यार्थी का केस अध्ययन।
3. एक क्रियात्मक अनुसंधान कार्य।

RSCERT, UDAIPUR

4. सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता।
5. व्यक्तिगत गतिविधि का आयोजन।
6. विद्यालय प्रपत्र का अध्ययन एवं प्रतिवेदन लेखन।

10.3.3.3 इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन

a. इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों को अपने महाविद्यालय के शिक्षकों से उचित पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
b. इसके लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन विद्यार्थियों के गृह जिले में आयोजित करने के स्थान पर स्वयं के महाविद्यालय से 10 से 15 किलोमीटर की परिधि के विद्यालयों में किया जाना चाहिए। जिससे इनके शिक्षक इनके कार्य का समय-समय पर उचित पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ होंगे और इन्हें अपने महाविद्यालय के शिक्षकों से उचित मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्राप्त हो सकेगा।
c. यह इन्टर्नशिप कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन विद्यालयों में और 1 दिन स्थानीय महाविद्यालय में आयोजित होना चाहिए। जिससे उस दिन वह प्रशिक्षणार्थी आगे के 5 दिनों के शिक्षण कार्य एवं अन्य गतिविधियों हेतु पूर्व तैयारी कर सकेगा।महाविद्यालय में आयोजित इस दिन का उपयोग विभिन्न विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त कर, उनसे उनकी कक्षा शिक्षण, विद्यालय सम्बन्धित, विद्यार्थियों सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं एवं उनके निराकरण पर सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया जा सकता है। जिससे उनके प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार आ पाए। इस दिन का उपयोग प्रशिक्षणार्थी अपने आगामी 5 दिनों की पाठ योजना के निर्माण के साथ-साथ उनसे संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण में भी कर सकेंगे, जिससे वह अपने विद्यार्थियों में विषय-वस्तु की अच्छी समझ को विकसित कर पाएँगे।
d. इन विद्यालयों में इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए विषय सम्बन्धित मेंटर शिक्षकों को नियुक्ति किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों के सीखने में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए।

10.4. सेवा कालीन प्रशिक्षण

सेवकालीन शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रम शिक्षकों के सतत् व्यावसायिक विकास के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रियाओ में से एक है। NEP 2020 सेवारत शिक्षकों के सतत् व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के लिए प्रत्येक वर्ष 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रमों की अनुसंशा करती है, जिसमें शिक्षक स्वेच्छा से भागीदार बनेंगे। सीपीडी के इन अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम शिक्षण शास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम, और संबंधित शिक्षा शास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला ऐकीकृत, खेल ऐकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

10.4.1. सतत् व्यावसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रम

सीपीडी के इन कार्यक्रमों की सभी शिक्षकों तक समान पहुँच व सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में वर्षभर सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद उनसे अपेक्षित परिणाम देखने में कम मिलते हैं। इन कार्यक्रमों में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी व सीखना सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। सेवारत शिक्षक-शिक्षा के इन कार्यक्रमों को सफल व शिक्षकों के लिए उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक हो गया है कि –

a. शिक्षकों की चुनौतियों व आवश्यकताओ की पहचान की जाए तथा उनकी ज़रुरत के अनुसार Need Based शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम तैयार किए जाए। यह चुनौतियाँ विषयवस्तु की समझ, शिक्षण शास्त्र व विधियों की समझ, शिक्षा का दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य, कक्षा व विद्यालय प्रबंधन आदि मुद्दों से सम्बंधित हो सकती हैं।
b. शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
c. शिक्षकों को अपनी आवश्यकता व रुचि के अनुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन या अन्य माध्यम में शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम चयन करने की स्वायत्तता व विकल्प उपलब्ध हो।
d. इन कार्यक्रमों में शिक्षकों को अपने अनुभवों पर चिंतन करने के पर्याप्त अवसर दिए जाए।

RSCERT UDAIPUR

e. शिक्षकों को अपने अनुभव व विचार साझा करने के अवसर दिए जाए। कार्यक्रमों में संवादात्मक वातावरण बनाना सुनिश्चित किया जाए।

f. शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में समूह कार्य, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम विधि, शोध आधारित कार्य को भी प्राथमिकता से जोड़ा जाए।

g. शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में सामाजिक, भावात्मक, नैतिक मूल्यों, प्रबंधन व लीडरशिप, व्यक्तित्व विकास से संबंधित मुद्दों व साथ ही जीवन कौशल जैसे बातचीत, संबंध निर्माण, रचनात्मक समस्या को हल करना, भावनाओं को व्यक्त करना, आत्म-नियंत्रण, सहानुभूति, दृढ़ता, आलोचनात्मक सोच, निर्णय लेना, आत्मविश्वास जैसे मुद्दों को शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में जोड़ा जाए।

h. इसके साथ ही 21वीं सदी के कौशल जैसे वैश्विक जागरूकता, विशेष रूप से डिजिटल कौशल, डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जानकारी को आसानी से एक्सेस करने, प्रबंधित करने, एकीकृत करने, मूल्यांकन करने जैसी क्षमताओ को विकसित करने के अवसर भी सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में जोडे जाएँ।

i. कार्यक्रमों के अंत में उससे संबंधित फीडबैक लिया जाए,कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाए व इसका उपयोग भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते समय किया जाएँ।

अभी हाल ही शिक्षक-शिक्षा पर विभिन्न देशों में हुए शोधों से पता चलता है कि एक वयस्क जो वास्तव में सीखता है और सीखे गए को लागू करता है उसका मात्र 20 प्रतिशत ही विषय विशेषज्ञों द्वारा चार – दिवारी के अंदर कक्षागत शिक्षण से सीखा हुआ होता है, जबकि 30 प्रतिशत अपने साथियों, वरिष्ठ व अनुभवी अध्यापकों से एवं 50 प्रतिशत अपने स्वयं के प्रयासों से सीखा हुआ होता है। एक शिक्षक से यह भी अपेक्षा है कि वह स्वयं के निरंतर सीखने की ज़िम्मेदारी ले व इसे सुनिश्चित करें। हमें शिक्षक-शिक्षा को भी वयस्कों के सीखने के शोधों द्वारा प्राप्त अनुपात (20:30:50) में बांटना होगा। प्रतिवर्ष प्रशिक्षक के लिए 80 घंटे का प्रशिक्षण मिले, जिनमें 50 घंटे शिक्षक प्रशिक्षण की सामग्री और 30 घंटे प्रशिक्षण कौशलों पर खर्च किए जाएँ।

10.4.2. मेंटरिंग, संबलन और सहयोग

सेवारत शिक्षकों के लिए निरंतर व सहज उपलब्ध मेंटरींग व संबलन उनके पेशेवर विकास के लिए सहायक तंत्र के रूप में कार्य करता है।

एक सहज और लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षक ज्यादा बेहतर सीखते हैं। एक शिक्षक का सम्मान, उसका मनोबल व प्रेरणा का स्तर, उसका पेशेवर विकास व उसकी खुशहाली ये सभी आंतरिक रूप से उस तंत्र व माहौल से गहराई से जुड़े होते हैं, जिसमें शिक्षक अपने दैनिक शिक्षण कार्य को निष्पादित करता है। विद्यालय में उपलब्ध अनुकूल और सबल परिवेश (enabling environment) शिक्षक को अपने कार्य में मदद करता है और इसकी अनुपस्थिति उसमें रुकावट उत्पन्न करती है।

a. पंचायत या क्लस्टर स्तर पर मेन्टर टीचर्स की नियुक्ति शिक्षकों की सतत सहायता व संबलन के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है।

b. शिक्षकों की चुनौतियों व आवश्यकता के अनुरूप ही पंचायत, क्लस्टर, ब्लॉक व जिला स्तर पर मेंटोरींग व संबलन के लिए नियुक्त अनुभवी शिक्षकों व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

c. शैक्षणिक सहायता समूहों (बीआरसी/ सीआरसी/ अन्य) का उपयोग करने वाले शिक्षकों या एचएम/ प्राचार्यों के माध्यम से शिक्षकों की जरूरतों के आधार पर इन-स्कूल को सलाह प्रदान की जानी चाहिए।

d. पंचायत स्तर Mentor teacher चिह्नित किए जाने चाहिए जो शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन हेतु काम करें।

e. एनईपी 2020 शुरुआती और अनुभवी या मध्य-कैरियर शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों को संभालने और सलाह देने के लिए समुदाय, पूर्व छात्रों और सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारियों को शामिल करने के प्रयासों पर जोर देता है।

f. यह उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय के एक बड़े पूल के साथ राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनसीटीई का एक निकाय) स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है, जो राष्ट्र के 21 वीं सदी के विकास लक्ष्यों को साकार करने में योगदान देगा।

g. एनईपी 2020 में सभी नए शिक्षकों को अपने पेशे के पहले दो वर्षों के लिए प्रेरण और प्रशिक्षण सहायता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रावधान किया गया है।

h. नवाचारी विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखें और अपने स्तर पर उनका निर्माण भी कर सकें।

RSCERT, UDAIPUR

10.4.3. पेशेवर सीखने वालों का समूह (Professional learning community)

शिक्षकों की अलग अलग आवश्यकता व रुचियों के अनुरूप बनाए गई अलग अलग लर्निंग कम्यूनिटी शिक्षकों के व्यक्तिगत, सामाजिक व पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण पक्ष सिद्ध हो सकती है। लर्निंग कम्यूनिटी का लक्ष्य शिक्षकों व विद्यालय से जुड़े हितधारकों को ऐसा मंच उपलब्ध कराना होगा, जहाँ वे अपने अनुभव, चुनौतियों के हल, नवाचारों की योजनाएँ, समुदाय से जुड़ी आवश्यकताएँ जैसे विषयों पर चर्चा, चिंतन व साझा रूप से अपनी क्षमता संवर्द्धन के प्रयास कर पाएंगे, इनमें से कुछ मंच स्वेच्छिक व कुछ अनिवार्य हो सकते हैं। जैसे कि भाषा शिक्षकों के लिए भाषा संबंधित एक लर्निंग कम्यूनिटी, शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण में रुचि रखने वाले शिक्षकों की एक लर्निंग कम्यूनिटी, साहित्य या खेलकुद में रुचि रखने वाले शिक्षकों की एक लर्निंग कम्यूनिटी। इसके साथ ही पंचायत/क्लस्टर या NEP 2020 में प्रस्तावित स्कूल कॉम्प्लेक्स स्तर पर एक लर्निंग कम्यूनिटी समुदाय व विद्यालय के बीच मजबूत कड़ी का काम कर सकती है। इसमें शिक्षकों के साथ गाँव/पंचायत के समुदाय के लोगों, जनप्रतिनिधियों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, अन्य विभागों से जुड़े लोगों, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से जुड़े अनुभवियों, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को शामिल किया जा सकता है। यह सदस्यों को एक मंच साझा करने का मौका देगी। लर्निंग कम्यूनिटी के इन मंचों का सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि ये –

a. सभी हितधारकों की सहज पहुँच में हो
b. समावेशी व सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकें।
c. लोकतान्त्रिक मूल्यों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
d. पूर्वनिश्चित उद्देश्यों को लेकर चले।

शिक्षकों के अलग-अलग आवश्यकता समूहों के अनुरूप लर्निंग कम्युनिटी बनाई जाए। यह संभव हो की कुछ ख़ास रुचियों वाले लोग एक से अधिक समूहों का हिस्सा बन जाएँ।

1. प्रत्येक पंचायत में स्कूल कोम्प्लेक्स की कल्पना की गई है, यहाँ पुस्तकालय और वाचनालय होना चाहिए। यहाँ शिक्षक और समुदाय के लोग पढ़ें और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें।
2. पंचायत शिक्षा अधिकारी प्रति माह बैठक का आयोजन करें, जहाँ शिक्षक आपस में मिलकर सीखें समझें।
3. गाँव व समुदाय के लोगों की भागीदारी बढाने के लिए चिट्ठी के दिन या शाम के समय मीटिंग आयोजित की जाए।

इस समूह में शिक्षा, समाज और सामुदायिक विकास जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए।

a. इस तरह की बैठकें पाक्षिक या मासिक की जानी चाहिए।
b. लर्निंग कम्युनिटी का मुख्य आधार शिक्षकों को होना चाहिए, क्योंकि वे सीधे-सीधे शिक्षा जैसे काम से जुड़े हुए हैं। इस तरह की बैठक उनके अपने विकास और क्षमता संवर्द्धन के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगी।साथ ही समुदाय के साथ रिश्ते भी और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
c. शिक्षकों के साथ ही इसमें जन प्रतिनिधि जैसे सरपंच, मुखिया,वार्ड पंच और आँगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, स्वस्थ्य कर्मी, अन्य विभाग के लोग, अभिभावक, महिलाएँ और बड़ी कक्षा के छात्र-छात्रा आदि को इस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए।
d. एक छोटी समिति को मीटिंग बुलाने, सभी को सूचना देने और मुद्दे तय करने की भूमिका में रखा जाना चाहिए। मुद्दों का चुनाव करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि वह शिक्षा और समाज से सरोकार रखने से सम्बंधित हो।
e. सभी का जुड़ाव बनाने के लिए ऐसे मुद्दे चुनने होंगे जो सबके लिए महत्त्वपूर्ण व रूचि के हों।
f. लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अपने विचार रखने के अवसर देना होगा। साथ ही इस तरह की लर्निंग कम्युनिटी के संचालन में सभी को बराबर की जिम्मेदारी भी देना होगा।

RSCERT, UDAIPUR

g. सभी वर्गों, धर्मों, महिलाओं -पुरुषों को सामान दिया जाए और सबकी भागीदारी हो। गाँव के युवा साथियों को आगे रखा जाए ताकि उनमें उत्साह बना रहे।

h. यदि कुछ रोचक पुस्तकें उपलब्ध रहे, जिन्हें लोग पढ़ सकें और समाज के लिए उपयोगी फिल्मो का प्रदर्शन भी समय-समय पर हो तो लोगों को जोड़ना आसान होगा ।

10.4.4. प्रोत्साहन, परिलाभ व भत्ते

शिक्षण कर्म को कुशलतापूर्वक पूरा कर पाने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक अपने कार्य के प्रति उत्साहित महसूस करे और इसके लिए उसका तनावरहित, भविष्य की चिंताओं से मुक्त व प्रसन्नचित होना जरूरी है। विद्यालय में उपलब्ध सामग्री, संसाधन व विद्यालय का माहौल शिक्षक के प्रदर्शन के नियामक कारक हैं। अतः निम्नांकित सुझावों पर अमल करने की जरूरत है।

a. शिक्षकों के वेतन वृद्धि हेतु एक समिति बनाए जाने की जरूरत है, जो विभिन्न देशों व भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षकों को मिलने वाले वेतन का अध्ययन कर राजस्थान के शिक्षकों के लिए तुलनात्मक रूप से एक सम्मानजनक वेतन फॉर्मूला सुझा सकती है।

b. ग्रामीण व दूर दराज के दुर्गम स्थानों पर काम करने वाले शिक्षकों का मकान किराया भत्ता में विशेष परिलाभ दिए जाए, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक हों।

c. सह-शैक्षणिक गतिविधियों जैसे स्काउट, एनसीसी एवं एनएसएस में भाग लेने वाले शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाना चाहिये।

d. शिक्षकों की वेतन वृद्धि व पदोन्नति एक नियमित अंतराल पर होती रहनी चाहिये व इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था अपनाए जाने की जरूरत है। प्रतिवर्ष तटस्थ व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा शिक्षकों के कार्य व उनके प्रदर्शन का वस्तुपरक मूल्यांकन होना चाहिये और इसके आधार पर शिक्षकों की पदोन्नति व वेतन वृद्धि होनी चाहिये। वेतन वृद्धि की एक कसौटी बच्चों की शैक्षणिक प्रगति भी होनी चाहिए। वेतन वृद्धि के इस प्रारूप को सभी स्तरों (पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर) के शिक्षकों के लिए लागू करने की जरूरत है।

e. शिक्षकों की 'वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा' (APR) प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिये, क्योंकि शिक्षक समुदाय का अभिन्न अंग है व समुदाय भी एक तरह से शिक्षक की सेवाओं से लाभान्वित है व शिक्षक के कार्य प्रदर्शन के बारे में उसकी राय महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

f. न्यून परिणाम पर शिक्षक को दंडित करने की व्यवस्था को समाप्त कर उसका कुछ सार्थक व सकारात्मक विकल्प अपनाना अनिवार्य है।

g. शिक्षकों को यदि ऑफिस कार्य यथा मीटिंग, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं इत्यादि के लिए अपने ड्यूटि स्टेशन से बाहर जाना पड़ता हो, तो उनके रहने खाने-पीने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके यात्रा भत्ते को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है।

h. **प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए भत्ता** - प्रशिक्षु शिक्षकों को सेवा-पूर्व प्रशिक्षण व इंटर्नशिप अवधि के दौरान स्टाइपेंड (भत्ता) प्रदान किया जाना चाहिए।

i. **शिक्षकों के परिजनों व आश्रितों के लिए आरक्षण** - शिक्षकों के परिजनों एवं आश्रितों के लिए उच्च अध्ययन संस्थानों में व सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शिक्षक इस व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकें।

10.4.5. अनुसंधान व निरंतर सुधार- अनुसंधान में RSCERT(Rajasthan State Council of Educational Research and Training) , SIEMAT(State Institute of Educational Management and Training), DIET(District Institute of Educational and Training) आदि की भूमिका

RSCERT को राज्य जिला एवं विद्यालय स्तर पर शोध आधारित कार्य करने होंगे व शिक्षकों व विद्यार्थियों को इससे सीधा जोड़ना होगा। शोध द्वारा जुटाए गए आंकड़ों, प्रमाण का विश्लेषण कर जानकारी को साझा करना होगा। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। स्कूल क्वालिटी एसेसमेंट एंड एक्रिडेशन फ्रेमवर्क का गठन एक सार्थक कदम होगा, जो कि सीआरसी, बीआरसी व डायट जैसी संस्थाओं के लिए एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का कार्य करेगी। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) डाइट को भी ढाँचागत,

RSCERT, UDAIPUR

मानवीय व वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से मजबूत होना होगा। जिससे बदलती परिस्थितियों में जिला व राज्य स्तर पर शोध कार्य में उल्लेखनीय कार्य कर सकेंगे। विद्यालय स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से सतत अकादमिक सम्बलन प्रदान करना होगा । इस दायित्व को पूरा करने को शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान करने चाहिए। वह शिक्षकों को इस हेतु प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक शोध प्रक्रिया को सम्मिलित कर पाए। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक अनुसंधान उपकरण निर्माण, सर्वेक्षण डिजाइन फ्रील्ड डाटा संग्रहण के लिए प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण, डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से डाइट आरएससीईआरटी, सीमेंट और आसपास के विद्यालयों को शैक्षणिक संबल प्रदान कर सकती है। इस हेतु उचित प्रावधान किए जाने चाहिए।राज्य व जिले स्तर प शोध कार्य करने हेतु शोध में रुचि रखने वाले शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को आरएससीआईटी एवं डाइट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। जिससे शोध की गुणवत्ता में सुधार हो सके और स्तरीय शोध कार्य किए जा सके।

10.5. प्रशासनिक व व्यवस्थागत पहलू

हर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक-शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढाँचागत और व्यवस्थागत सुधार – इसके लिए प्रशिक्षण के मानक बनाने की आवश्यकता। साथ ही, जिम्मदारियों के साथ-साथ प्रशिक्षार्थियों के सीखने के संबंध में क्या अधिकार होंगे? और इस तरह के प्रशिक्षण की डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण संस्थान प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए?

10.5.1. शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक प्रबंधन

a. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में नेतृत्व फेसिलिटेशन स्किल्स, कक्षा प्रबंधन, सूक्ष्म अवलोकन, समय प्रबंधन तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेचनात्मक चिंतन, प्रभावी सम्प्रेषण, शिक्षा तकनीकी व आईसीटी का स्तेमाल, आकलन के आधार योजना निर्माण और क्रियान्वयन आदि कौशलों के समायोजन के साथ विषयवस्तु का ज्ञान, अलग अलग आयु वर्ग के अनुरूप बाल मनौविज्ञान की समझ, विद्यार्थियों की पृष्टभूमि से परिचय, शिक्षा में हो रहे नवाचारों के प्रति जागरूक हो स्थानीय संस्कृति का ज्ञान, शिक्षा तंत्र की जानकारी,शिक्षण विधियों और प्रविधियों की जानकारी तथा तकनीकी का ज्ञान भी अपेक्षित है। लोकतान्त्रिक मूल्यों में आस्था, वैज्ञानिक तथा तार्किक चिंतन, सकारात्मक चिंतन और आशावादी, कार्य के प्रति रुचि, नई चीज़ें सीखने के प्रति रुचि, स्व-आंकलन और आत्म-अवलोकन, फीडबैक को सकारात्मक रूप से प्राप्त करना, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना, व्यक्त कर पाना कौशल, ज्ञान व अभिवृत्ति गुण सभी स्तर पर शिक्षकों से अपेक्षित हैं।

b. शिक्षा नीति-2020 में विद्यालयीय शिक्षा के लिए प्रस्तावित नई पाठ्यचर्या व शिक्षण शास्त्रीय संरचना (5+3+3+4) के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक-शिक्षा के लिए चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निम्नानुसार विषय-वस्तु व शिक्षण विधियों का समावेश होना चाहिए

c. फाउंडेशन स्टेज पर पाठ्यक्रम में मातृभाषा में शिक्षण, सामान्य अंकगणित, परिवेश की समझ, कला, संप्रेषण को सम्मिलित किया जा सकता है।शिक्षण शास्त्र में खेल आधारित गतिविधियों जैसे वाक्य/ शब्द कार्ड, अंक/ शब्द आधारित साँप सीडी, नाटक,कविता, कहानी, कठपुतली प्रदर्शन आदि का कक्षा-कक्ष में आयोजन किया जा सकता है। इस स्तर मातृभाषा का उपयोग करते हुए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण आधारित शिक्षण विधियों को अपनाकर विद्यालय अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं।

d. प्रिपरेटरी स्तर पर भी भाषा एवं संप्रेषण, अंकगणित, परिवेश एवं सामाजिक पर्यावरण कला शिक्षा आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है। इस स्तर पर विद्यार्थियों हेतु सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसरों को उपलब्ध कराने वाले शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें ब्लॉक एवं पज़ल द्वारा विभिन्न आकृतियों का निर्माण, खेल आधारित गतिविधियों नाटक कविता कहानी,भ्रमण आदि का आयोजन किया जा सकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षक अधिगमकर्ताओं के साथ सहानुभूति व स्नेह परक व्यवहार करते हुए विद्यालय का वातावरण अधिगम अनुकूल निर्मित करने में योगदान दे सकते हैं। अधिगमकर्ता को प्रश्न पूछने, एवं उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गलत होने के भय से मुक्ति अधिगम में सहायक होती है। अधिगमकर्ताओं की कल्पना, क्रियाशीलता संवर्द्धन की गतिविधियों को सम्मिलित कर नवीन ज्ञान के सृजन की प्रेरणा दे। अधिगमकर्ता के लिए भविष्य की आवश्यकता आधारित ज्ञान के निर्माण की परिस्थिति प्रदान करना, जिसे जॉन होल्ट ने ''सीखने से प्यार करना'' कहा है। मातृभाषा आधारित शिक्षण। सहज, स्वीकार्य अधिगम के लिए क्रमशः मातृभाषा, आधिकारिक भाषा एवं द्वितीय भाषा को अपनाना होगा। इसका क्षेत्र अन्तरनुशासनात्मक विषय सामग्री तक व्यापक होगा। गतिविधि, कहानी, कविता आधारित शिक्षण। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान में संतुलन की जरुरत होगी।

RSCERT, UDAIPUR

e. मिडिल स्तर पाठ्यक्रम में भाषा गणित विज्ञान सामाजिक पर्यावरण कला का समावेश किया जा सकता है। इस स्तर पर शिक्षण विधियों में जिज्ञासा रुचि एवं क्रियाशीलता पर आधारित रचनावादी विधियों का समावेशन किया जा सकता हैं, जैसे- प्रदर्शन विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि प्रायोजना विधि प्रयोगशाला विधि आगमन निगमन विधि आदि। शिक्षण अनुभव में विविध मानसिक, शारीरिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए आवश्यकता के आधार पर शिक्षण व्यूह रचना का निर्माण किया जाए। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर नवीन शोध की प्रेरणा देते प्रसंग, कहानी, जीवन परिचय से अधिगमकर्ता को परिचित कराना। समग्र उपागम प्रक्रिया का प्रयोग, अनुभव का पुनर्निर्माण कर स्व अधिगम की प्रेरणा प्रदान करना, सामाजिक समायोजन की शिक्षा प्रदान करना इत्यादि, क्योंकि समाज में रह कर ही मानवीय मूल्यों की चेतना, संस्कारों से परिचय संभव हो सकता मातृभाषा, गतिविधि आधारित शिक्षण। कला, संगीत,विज्ञान, भाषा व गणित के मध्य सन्तुलन। अन्तरनुशासनात्मक अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ का निर्माण करना। स्काउट गाइड, एनसीसी गतिविधियों का संचालन अनिवार्य रूप से हो।
f. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी किशोरावस्था के होते हैं, जो की स्वयं सक्रियता,चिंतन, स्वयं के प्रयासों से सीखना चाहते है अतः इस स्तर पर वयस्क शिक्षण शास्त्र पर आधारित शिक्षण विधियाँ व शिक्षण अनुभव नियोजित किए जा सकते है।
g. इस स्तर पर पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, भाषा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,योगा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षण विधियों में इस स्तर पर भी रचनात्मक विधियों का अधिकाधिक उपयोग कर विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं क्रियाशीलता में वृद्धि की जा सकती है, इस हेतु आगमन- निगमन विधि, व्याख्या एवं प्रदर्शन विधि, प्रायोजना कार्य, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि आदि का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षण अनुभव--समूह और साथियों के साथ परियोजना आधारित शिक्षण कराना, क्योंकि आयु के इस पड़ाव में छात्र शिक्षक के बजाए साथियों के साथ विचारों का सहज आदान प्रदान कर सकता है। पीयर लर्निंग को अंतर अनुशासनात्मक शिक्षण के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षक का सहानुभुति पूर्ण व्यवहार बालक के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों को संवैधानिक मूल्यों व संस्थाओं के बारे में गतिविधि आधारित व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना। प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधि का चयन कर विद्यालय स्तर पर बाल संसद का रूप दिया जाए। बदलते तकनीकी परिवेश में शिक्षक को ई- कंटेंट निर्माण छात्रों की सहभागिता से आवश्यकतानुसार बनाए।
h. उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम विभिन्न संकाय अनुसार नियोजित होगा। इस स्तर पर वयस्कों की सीखने की विधियों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, जिसमें सीखने वाले को चिंतन के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने वाली विधियाँ जैसे परिचर्चा, आगमन-निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण विधियों का उपयोग किया जा सकता है। इस स्तर पर विद्यालय अनुभव विद्यार्थी के साथ अंतर-वैयक्तिक संबंध, लोकतांत्रिक वातावरण के निर्माण की समझ, शिक्षक की संवेदनशीलता, स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों के अनुरूप सीखने में सहायक गतिविधियों का नियोजन, गतिविधियों के अनुसार सही समय का नियोजन, सभी की सुनिश्चित भागीदारी का नियोजन, उचित शिक्षण विधि एवं प्रविधि की समझ, उचित सीखने में सहायक संसाधनों का ज्ञान, विद्यार्थी प्रगति एवं उनके सीखने का मूल्यांकन की समझ, विषय-वस्तु का ज्ञान, तकनीकी का ज्ञान, छात्र सहभागिता को प्रभावशाली बनाने के लिए पूर्व ज्ञान को नूतन सन्दर्भो से समेकित करें, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर मॉक संसद या विधान सभा सत्र का आयोजन, जेंडर सवेदनशीलता के प्रति छात्रों को जागरूक बनाना, परम्परागत व्यवसाय चयन विकल्प के लिए छात्रों को प्रेरित करना एवं आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल अद्यतन करने के लिए प्रेरित करना।

10.5.2. शिक्षकों के पेशेवर विकास कार्यक्रमों के निहितार्थ

सेवारत शिक्षकों को शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हो रहे परिवर्तनों, नवाचारों तथा छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का नया मॉडल विकसित करना होगा।

a. शिक्षकों केलिए विभिन्न विषयों पर कम अवधि के ऑनलाइन व ऑफलाइन कोर्स बनाए जाने की जरूरत है, जिनमें से कुछ कोर्स शिक्षक के लिए अनिवार्य हों व कुछ स्वेच्छिक हों।
b. सतत व्यावसायिक विकास के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आधारभूत लिटरेसी, न्युमरेसी, योगात्मक व रचनात्मक आकलन, कौशल आधारित प्रशिक्षण, अनुभव-आधारित सीखना व कला एवं खेल इंटीग्रेटेड शिक्षण की नवीनतम विधियाँ शामिल हों।
c. साल में एक दो बार का प्रशिक्षण बहुत असरदार नहीं होता है। अतः छोटे छोटे समूहों में नियमित रूप से आपस में मिलजुल कर सीखने-सिखाने की प्रक्रियाएँ शुरू करनी होंगी।

RSCERT, UDAIPUR

d. स्कूल काम्प्लेक्स में एक उन्नत और संसाधनों से युक्त शैक्षणिक सन्दर्भ केंद्र होना चाहिए।
e. प्रत्येक पंचायत से mentor teacher चिन्हित किए जाएँ और इन्हीं mentor teachers के सहयोग से शिक्षकों को सतत अकादमिक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण के पश्चात फॉलो-अप होना चाहिए।
f. सेवा कालीन प्रशिक्षण में एक समूह में अधिक से अधिक 35 प्रतिभागी हों, ताकि प्रशिक्षण सहभागिता पूर्ण हो।
g. शिक्षण कार्य व प्रगति की निगरानी, संबलन व मेंटोरिंग का काम प्रधानाध्यापकों, PEEO व चिन्हित मेंटोर शिक्षक का होना चाहिए।
h. सेवा कालीन प्रशिक्षण के नियोजन से पूर्व सर्वे करवा कर, शिक्षकों की समस्याओं को जानना होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन हो, जिसमें शिक्षकों के फीडबैक महत्त्वपूर्ण है। एक प्री व पोस्ट ट्रेनिंग असेस्समेंट भी होना चाहिए।
i. शिक्षकों को ऐसी वेबसाईट,पोर्टल और ऑनलाइन प्लेटफ़ार्म से परिचित करवाया जाना चाहिए, जो उनके क्षमता संवर्धन के लिए निर्मित किए गए हैं।

10.5.3. संस्थाप्रधान

a. एक संस्थाप्रधान की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। वे अपने स्कूल को तय समय के अनुसार, बेहतर संचालन और बेहतर परिस्थितियों को बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। इस काम में उन्हें बच्चों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों, उपलब्ध संसाधनों और कौशलों, नई नीतियों और योजनाओ के उद्देश्यों और अपेक्षाओं आदि अनेक कारकों का ध्यान रखते हुए तथा आपसी सामंजस्य बनाते हुए काम करने की आवश्यकता है।
b. स्कूल का समय अनुसार सुचारु रूप से संचालन, शिक्षकों का समय पर स्कूल आना और नियमित रूप से कक्षा-कक्ष में पढ़ाना, नियमित योजना निर्माण और आकलन आदि को सुनिश्चित करना। शिक्षण प्रक्रियाओं और डाटा संधारण आदि में तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित करना।स्वयं तथा अन्य कुशल शिक्षक-शिक्षिकाओं के सहयोग से नवनियुक्त शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना।
c. प्रार्थना सभा, कक्षा शिक्षण, खेल-कला-पुस्तकालय के कालांश, मध्याह्न भोजन, विशेष दिवस और महोत्सव मनाना आदि में बच्चों और शिक्षकों की भूमिक के साथ ही अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
d. अपने स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए स्कूल में बेहतर माहौल बनाना। जहाँ वे आपस में मिलकर एक दूसरे के अनुभवों से सीखें तथा एक दूसरे के काम में उनकी मदद करें।
e. संस्थाप्रधान के रूप में स्वयं भी नई नीतियों तथा नई योजनाओं के प्रति जागरूक रहना। इस संबंध में मूल बातों और विचारों को अपने स्कूल के शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों तक पहुँचाना।
f. जिस क्षेत्र में स्कूल स्थित है, वहाँ के अन्य सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद और संपर्क बनाते हुए स्वास्थ्य, रोजगार, स्वावलंबन जैसे मुद्दों पर वार्ता कराना।
g. क्षेत्र के अन्य स्कूलों/आँगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वालों के साथ संपर्क रखते हुए योजना बनाकर काम करना।
h. शिक्षकों के पेशेवर विकास की प्रक्रियाओं को समझना। अपने स्कूल में, कक्षा-कक्ष में, आस-पास के समुदाय में, नजर आ रही समस्याओं या चुनौतियों पर आपस में मिलकर बात करना। एक टीम के रूप में समाधान के प्रयास करना।
i. इस तरह की प्रक्रियाओं में नए और पुराने शिक्षकों का संतुलित अनुपात बना कर रखना ताकि पुराने शिक्षकों के अनुभव से नए शिक्षकों को सीखने और बेहतर काम करने के मौके मिलते रहे।

10.5.4. क्लस्टर/ पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण में भूमिका

a. लगातार ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और संदर्भ केंद्र से तालमेल बनाकर काम करना। नई योजनाओं, नियमों और कार्यक्रमों की पुख्ता जानकारी प्राप्त कर अन्य स्कूलों के शिक्षकों तक पहुँचाना।
b. पंचायत के सभी स्कूलों में नियमित विद्यालय संचालन सुनिश्चित करना। नियमित रूप से सभी स्कूलों में जा कर अवलोकन करना और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देना। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के साथ बात कर उनकी चुनौतियों और जरूरतों को समझना तथा उनकी जायज माँगों को पूरा करने में सहयोग करना।

RSCERT, UDAIPUR

c. शिक्षकों की अनुपस्थिति में स्कूल का संचालन न बाधित हो, अतः वैकल्पिक व्यवस्था कर बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करें। पंचायत सहायकों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सरपंच, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य शिक्षित व जागरूक लोगों का सहयोग लेकर स्कूल और समुदाय में शिक्षा के प्रचार -प्रसार के लिए काम करना।

d. पंचायत में एक संदर्भ केंद्र की स्थापना करना। इस संदर्भ केंद्र पर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े मुद्दों पर संदर्भ सामग्री रखी जाए। लोग पुस्तकालय में बैठ पढ़ सकें,ऐसी व्यवस्था हो। लोगों को जागरूक करने वाली फिल्मों का प्रदर्शन किया जाए।

e. पंचायत के कार्यरत सभी शिक्षकों के कौशलों और रुचियों को जाने तथा इस अनुसार उनकी सेवाएँ लें। शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए, आपस में मिलकर सीखने के अवसर उपलब्ध कराना।

f. पंचायत के सभी स्कूलों से संबंधित डाटा को अपडेट करना तथा उसे सहेज कर रखने की व्यवस्था बनाना। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के साथ मिलकर इस डाटा का विश्लेषण कर, प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार आगामी कार्ययोजना बनाना।

g. समुदाय के कुछ विशिष्ट कौशलों या हुनर वाले लोगों की पहचान कर उन्हें स्कूल में जा रहे पाठों के शैक्षिक उद्देश्यों से जोड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करना।

h. प्रत्येक विषय- गणित, भाषा, खेल, कला आदि के लिए कम से कम एक -एक मेंटर टीचर नियुक्त करें। जिला तथा राज्य स्तर के कार्यक्रमों में शामिल कर, इन्हें प्रशिक्षण दिलवाएँ। ये सभी मेंटर टीचर सर्वप्रथम अपने स्कूलों में कुछ नवाचार शुरू करें, फिर इसे पंचायत के सभी स्कूलों में फैलाने के लिए काम करें।

i. महत्त्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षणों में अपने शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित करें। शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही प्रशिक्षण में शामिल करें। प्रत्येक को सभी प्रकार के प्रशिक्षण में शामिल नहीं करें।

j. पंचायत के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को शिक्षा और विकास के मुद्दे पर आधारित पत्रिकाएँ पढ़ने, अपने अनुभवों को लिखने के लिए प्रेरित करें। समय-समय पर वार्ता और सेमिनार का आयोजन करें जहाँ शिक्षक एक-दूसरे के अनुभव सुनकर सीखे-समझे और अपने स्कूल में क्रियान्वित करें।

10.5.5. ब्लाक संदर्भ केंद्र

a. ब्लॉक व क्लस्टर संदर्भ केंद्र को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बाल वाटिका,फाउंडेशनल लिटरेसी व संख्याज्ञान से संबंधित नवीन कार्यक्रमों का संचालन, क्रियान्वयन व उनकी निगरानी करना।

b. विद्यालयी शिक्षकों, पूर्व– प्राथमिक शिक्षकों व आँगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्यस्थल पर जाकर संबलन करना।

c. पंचायत स्तर मेंटर टीचर चिह्नित किए जाने चाहिए, जो शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन हेतु काम करें।

d. प्रत्येक पंचायत में प्रति माह CRC नेतृत्व में शिक्षकों के समूहों के साथ सीखने-सिखाने पर बैठक आयोजित की जाए। यदि यह बैठक एक माह में एक बार हो रही है, तो पूरे दिन की योजना अनुसार काम हो।

e. तकनीकी का इस्तेमाल कर डाटा संधारण और शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने होंगे।

10.5.6. डाइट की भूमिका

जिस प्रकार राज्य में शैक्षिक सुधार एवं नवाचार के लिए RSCERT एक जिम्मेदार संस्थान है, उसी प्रकार जिला स्तर पर DIET की भूमिका महत्तवपूर्ण होती है। आगे इस पर प्रकाश डाला जा रहा है-

a. DIET राज्य के सभी संस्थानों जैसे RSCERT, IASE और SIEMAT द्वारा किए जा रहे अनुसंधान, नवाचार आदि को शिक्षकों तक पहुँचाए, ताकि स्कूली शिक्षा में विषयों को अधिक रुचिकर और रचनात्मक रूप में बढ़ाया और पढ़ाया जा सके।

b. DIET दूसरे जिलों एवं राज्यों की DIETs के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान के कार्यक्रम निर्मित करें।

c. डाइट स्तर पर अलग-अलग विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनसे संबंधित विषय कार्य करवाना सुनिश्चित किया जाए।

d. डाइट की वार्षिक कार्य पर योजना में 'मूल्य शिक्षा' के लिए – योग शिविर, क्रियात्मक अनुसंधान, ब्रोशर निर्माण करना, क्रियात्मक और प्रभाग स्तरीय अनुसन्धान, कार्यशालाएँ आदि को स्थान दिया जाए

e. जिले की स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए स्थानीय शिक्षकों का सहयोग लेकर प्रशिक्षण प्रदान करने को डाइट को स्वायत्तता दे जाए।

RSCERT UDAIPUR

f. राज्य स्तर पर बनाये जाने वाले मॉड्यूल में एक अध्याय संबंधित जिले की डाइट द्वारा स्थानीय आवश्यकतों को देखते हुए संदर्भ अनुसार अलग से जोड़ा जाकर प्रशिक्षण आयोजित किए जावें

g. डाइट को ढाँचागत, मानवीय व वित्तीय संसाधनों की दृष्टी से मजबूत बनाना होगा। बदली परिस्थितियों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों कि भूमिका, जिम्मेदारियाँ व राज्य स्तर पर एससीईआरटी व ब्लॉक व क्लस्टर स्तर पर बीआरसी व सीआरसी जैसी संस्थाओं से इनके संबंधों को पुन:परिभाषित करना होगा व जवाब देही तय करनी होगी। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों अपने जिले में शिक्षण संस्थाओं व विद्यालयोंतथा ब्लॉक व क्लस्टर लेवल पर अकादमिक नेतृत्व करना होगा व शैक्षणिक स्टाफ का सतत क्षमतावर्धन करते रहना होगा। सेवाकालीन प्रशिक्षणों के समस्त ज़िम्मेदारी डाइट्स को निभानी चाहिए।

h. जिला स्तर पर डाइट के साथ ही 'टीचर एज्यूकेशन इंस्टीट्यूट' खोलने चाहिए जो सेवापूर्व प्रशिक्षणों की समस्त ज़िम्मेदारी उठाए। डाइट तथा 'टीचर एज्यूकेशन इंस्टीट्यूट' मिलकर अपने जिले में सेवापूर्व व सेवा कालीन प्रशिक्षणों से संबन्धित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

i. DIET जिला स्तर पर शोध अध्ययन कर इसके परिणामों के प्रस्तुतीकरण के लिए सेमीनार आयोजित करें व अनुभवों व नई जानकारियों को सभी से साझा करें। साथ ही इन्हें नोडल विद्यालयों को अकादमिक संबलन भी प्रदान करना होगा। डाइट को जिला स्तर पर एफ़एलएन एवं ईसीसीई के लिए सन्दर्भ केंद्र भी बनाना चाहिए, ताकि शिक्षक, शोधार्थी, सीआरसी, बीआरसी व डाइट व्याख्याता इनका लाभ उठा सकें।

j. डाइट के कार्मिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वे शिक्षकों को कक्षा-कक्ष शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित कर पाएँ।

k. उक्त सभी के लिए हर स्तर पर सभी तरह के डाटा संकलित हों, उनका विश्लेषण किया जाए, उन्हें साझा किया जाए और इनके आधार पर ही सहयोग की योजना बने और क्रियान्वित की जाए।

l. जिले तथा ब्लॉक की विशिष्ठ आवश्यकताओं और संदर्भों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान करना। स्थानीया संदर्भों और संसाधनों का समावेश करते हुए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना। स्थानीय मुद्दों पर शोध कराना व उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण कर आगे की कार्ययोजना बनाना।

m. डाइट प्रतिनिधियों द्वारा स्कूलों का नियमित अवलोकन करना तथा बेहतरी के लिए दिशा निर्देश और संबलन प्रदान करना।

n. एनसीईआरटी तथा आरएससीईआरटी द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल और अन्य संदर्भ सामग्री को समझ कर अपने अनुरूप ढालने और प्रशिक्षणों में उपयोग करने की प्रक्रियाएँ बनाए।

o. प्रशिक्षु शिक्षकों और सेवारत शिक्षकों को विषयवस्तु और शिक्षण विधियों की बेहतर समझ देने कि प्रक्रिया शुरू करना। तकनीक के उपयोग के लिए उन्हें प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करना। सतत क्षमता संवर्द्धन के लिए आनलाईन और फेस टू फेस प्रशिक्षण आयोजित करना।

RSCERT UDAIPUR

अपने स्कूलों, कालेजों और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को देखें तो प्रायः अकादमिक और प्रबंधन जैसे कामों में स्पष्ट बँटवारा देखने को मिलता है, जबकि शिक्षा या स्कूल संचालन का काम ऐसा काम है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अकादमिक और प्रबंधन, दोनों ही प्रकार के कार्यों के बारे में एक समग्र समझ तथा अनुभव होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई संस्था प्रधान सिर्फ प्रबंधन पर ध्यान दे रहे हैं और कक्षा-कक्ष में शिक्षकों द्वारा किए जा रहे अकादमिक कार्य कि उन्हें ज्यादा समझ नहीं है, तो वे अपनी संस्था के विकास में बहुत बेहतर योगदान नहीं दे सकेंगे। इसी तरह यदि कोई शिक्षक या शिक्षिका बहुत अच्छी अकादमिक समझ रखते हैं लेकिन अपने समय,काम और दस्तावेजों का प्रबंधन या कक्षा का प्रबंधन कि समझ नहीं है तो वे अपनी ऐसी कक्षा के शिक्षण भी ठीक ढंग से नहीं कर सकेंगे जहाँ एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर वाले,विभिन्न भाषा व विविध संस्कृति वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए किसी भी स्कूल को बेहतरीन तरीके से संचालन करने के लिए अकादमिक तथा प्रबंधन की अच्छी समझ वाले संस्था प्रधान और शिक्षकों की टीम की आवश्यकता होती है,जो आपस में मिलकर एक दूसरे की रुचियों और कौशलों का ध्यान रखते हुए आपस में कामों का बँटवारा करते हुए काम करे। यह काम करते हुए एक नजर स्कूल के भीतर कि प्रक्रियाओं और एक नजर स्कूल के बाहर स्थित समाज पर भी रखनी होगी। बिना समुदाय को साथ लिए या उनका विश्वास जीते कोई भी काम संभव नहीं है।

विद्यालय प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। समय, ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी को रोकना। इस काम में आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसकी

सहायता से समय-समय पर आकलन, निरीक्षण, डाटा संकलन और इनका विश्लेषण करके अनिवार्य आवश्यकताओं का पता लगाना होगा। विद्यालय सहित संबंधित दफ्तरों में और कार्मिकों के द्वारा कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट फोन और शिक्षण में उपयोगी वेबसाइट और एप के प्रयोगों को बढ़ावा देना चाहिए। इन सब का इस्तेमाल करते हुए मानवीय संवेदनाओं, अनुभवों,भावनाओं आदि का भी ध्यान रखना होगा। लोगों के अपने अनुभवों और करीबी संदर्भों का शिक्षा जैसे काम में बहुत महत्त्व है। विद्यालय प्रबंधन या शिक्षा में प्रबंधन जैसे मुद्दे को हमें कई स्तरों पर समझने की आवश्यकता है। इसे नए तैयार हो रहे शिक्षकों, संस्था का हिस्सा बन रहे शिक्षकों और पहले से कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण और सतत् पेशेवर विकास से जोड़कर भी देखने समझने की आवश्यकता है।

10.5.7. आरएससीईआरटी (RSCERT)

हम यह जानते हैं कि राज्य में शैक्षिक सुधार एवं नवाचार के लिए RSCERT एक जिम्मेदार संस्थान है। हमने इससे पहले जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है, उनको वास्तविकता में बदलने में RSCERT की क्या भूमिका हो सकती हैं, इस पर, इस भाग में चर्चा करेंगे।

1. RSCERT राष्ट्रीय स्तरीय सभी संस्थानों जैसे एनसीईआरटी, एनवीएस, केवीएस, विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान, नवाचार आदि DIET के माध्यम से शिक्षकों तक पहुँचाए ताकि स्कूली शिक्षा में विषयों को अधिक रूचिकर और रचनात्मक रूपमें बढ़ाया और पढ़ाया जा सके।
2. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु राज्यस्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित होनी चाहिए और इन गतिविधियों और प्रतियोगिताओं की पहुंच हर विद्यालय और बच्चे तक सुनिश्चित की जाए।
3. प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करते समय स्थानीय संदर्भों को संबंधित जिले की डाइट से पूरी करवाना अथवा उनके लिए एक स्थान रिक्त छोड़ना उचित होगा ताकि उस जिले की स्थानीयता को और गहराई से संदर्भ मिल सके।
4. तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। आरएससीईआरटी से यह भी अपेक्षित है कि वह कक्षा -1 के बच्चों के लिए अल्पकालीन तीन महीने का प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाये व इसे लागू करने की लिए शुरुआती कक्षाओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण करें। विद्यालयीय शिक्षकों, पूर्व – प्राथमिक शिक्षकों व आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित नई स्कूल शिक्षा संरचना (5+3+3+4) के अनुसार फाउंडेशनल स्तर व प्रिपरेटरी स्तर परकाम करने वाले शिक्षकों व आँगनबाड़ी कार्य कर्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री व इन कक्षाओं के लिए नई स्कूल संरचना के आधार पर शिक्षाक्रम व बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें बनाई जानी चाहिए।
5. राज्य स्तर पर एक प्रमुख संस्थान होने के कारण,RSCERT को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा किए जा रहे नवाचारों को समझना, उनको राजस्थान के सन्दर्भ में ढालने और राज्य की शैक्षिक जरूरतों के अनुसार कार्यक्रम निर्माण में NCERT,CBSE,NIEPA जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करें।
6. RSCERT राजस्थान की SIEMAT, IASE, DIET, NCERT के क्षेत्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करने की योजना बनाए।

10.5.8. सीमेट (State Institute of Education Management and training-SIEMAT)

a. SIEMAT राज्य के संस्थानों के साथ मिलकर नेतृत्व विकास पर NEP2020 को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम निर्माण करें। नेतृत्व विकास में करुणाशील नेतृत्व क्षमता एवं मूल्य आधारित नेतृत्व कौशल विकास पर केन्द्रित करें।
b. RSCERT के साथ समन्वयन बिठाते हुए DIET और IASE के साथ मिलकर कार्य करें।

10.5.9. आईएएसई (State of Advanced Studies in Education-IASE)

a. अजमेर/बीकानेर द्वारा राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों हेतु इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें, जिससे 'छात्राध्यापकों' को 'मूल्यशिक्षा'के लिए प्रशिक्षित किया जा सकें।
b. केवीएस एवं एनवीएस – केन्द्रीय विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों में मूल्य शिक्षा के लिए किए जा रहे नवीन प्रयोगों को सामान्य विद्यालयों में अपनाया जाना चाहिए।

RSCERT, UDAIPUR

10.5.10. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की भूमिका

1. प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों का समेकित विकास करना।
2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना।
3. शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ाना।
4. सामाजिक व जेंडर गैप को कम करने के प्रयासों को बढ़ावा देना।
5. सभी स्तरों पर समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।
6. शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरएससीईआरटी/डाइट के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के प्रयास करना।
7. शिक्षक-शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना।

10.5.11. कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं की भूमिका-

सीएसआर पहल (Corporate Social Responsibility Intiatives-CSR Initiatives) गैर सरकारी संगठन (Non Govermental Organizations-NGOs) एवं स्थानीय समुदाय

1. स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे उपकरण उपलब्ध कराना, विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, विज्ञान क्लब, नवाचारों के लिए स्थानीय कार्यक्रमों को प्रायोजित और व्यवस्थित करना। ऐसे कार्यक्रमों से स्थानीय समुदाय को लाभ होता है।
2. सामुदायिक एवं एलुमिनी के सहयोग से मानव संसाधन या गजेट्स की कमी पूर्ति के प्रयास किए जाएँ। एसडीएमसी व एसएमसी का सहयोग भी लिया जा सकता है। जनसहयोग से बजट की पर्याप्त उपलब्धता करवाते हुए आवश्यक उपकरणों का मेंटेनेंस और प्रकाशन सामग्री की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करवाएँ।

10.5.12. अंतर्विभागीय समन्वयन

शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण सुधार एवं उन्नयन के लिए आरएससीईआरटी, डाइट, सीमेट, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सभी अपने अपने स्तर पर प्रयासों को कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि यह सभी संस्थाएँ/ विभाग आपस में अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग से इस दिशा में सार्थक प्रयास करें। इस हेतु यदि सत्र के प्रारंभ में ही इन सभी संस्थाओं/ विभागों की प्रारंभिक बैठक हो जाए और जिसमें वर्ष पर्यंत आयोजित होने वाली संपूर्ण गतिविधियों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, लेखन, शोध आदि का संपूर्ण कैलेंडर सभी विभागों द्वारा मिल कर साझा रुप से बना दिया जाए। जिसमें प्रत्येक विभाग किस-किस प्रकार की गतिविधि, कार्यशाला, प्रशिक्षण, लेखन, अनुसंधान आदि पर कार्य करेगा तो गुणवत्तापूर्ण कार्य हो पाएगा। इस कैलेंडर को तय करने के साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रत्येक विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व तय कर दिए जाएँ। जिससे प्रत्येक विभाग अपने अपने स्तर पर अपने अपने अनुसार कार्य कर सकता है। इसके पश्चात उन कार्यों की प्रगति को जांचने और देखने के लिए द्वी मासिक बैठकों का आयोजन किया जाए। जिससे कार्य में आ रही समस्याओं, सुझावों और उन्नयन के प्रयासों पर चर्चा की जाए। इसके पश्चात यदि प्रत्येक विभाग 6 महीने में अपनी प्रगति की जॉइंट रिपोर्ट बनाकर विभागों को प्रस्तुत कर दे तो, कौन सा काम कितना हुआ है ? किस प्रकार का हुआ है ? उससे प्रत्येक विभाग परिचय हो सकता है। इससे किसी भी प्रकार के कार्य में दोहराव नहीं आएगा और गुणवत्तापूर्ण कार्य समस्त विभाग कर पाएगा।

इस प्रकार का प्रावधान नहीं करने पर प्रत्येक विभाग को कई समस्याओं का वर्ष पर्यंत सामना करना पड़ता है - उदाहरण स्वरूप जैसे सीमेट किसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को डाइट के प्राचार्य के लिए आयोजित कर रहा है और उसी समय आरएससीईआरटी उस प्राचार्य को किसी अन्य कार्यक्रम में भी प्रतिनियुक्त कर रहा हो तो संभागी के समक्ष समस्या रहती है कि वह कहाँ अपनी उपस्थित देवे ? एक स्थान पर ना चाहते हुए भी उनकी अनुपस्थिति रहती है। इसी प्रकार, जब यह सभी विभाग अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो तो आपसी समन्वयन से बिना दोहराव की तथा गुणवत्ता पूर्ण शोध का विभिन्न स्तरों पर आयोजन किया जा सकता है, जिससे शोध के परिणामों को क्षेत्र में लागू कर शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार इन समस्त संस्थाओं/विभागों में अंतर्विभागीय समन्वयन होने से सभी संस्थाएँ अपने-अपने संसाधनों का उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण उपयोग कर पाएंगे।

RSCERT UDAIPUR

अध्याय 11

अगले कदम

11.1. सेवापूर्व शिक्षक-शिक्षा प्रबंधन हेतु अनुशंसाएँ/ सुझाव

1. सेवापूर्व शिक्षक शिक्षण के निजी संस्थानों पर नियामक ढाँचे की व्यवस्था हो जो इन संस्थानों का सतत निरीक्षण, आकलन व प्रतिपुष्टी देने का कार्य करें तथा इन संस्थानों में अपेक्षित कार्यप्रणाली का संचालन सुनिश्चित करें।
2. सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षकों को स्व- अधिगम व पेशेवर विकास के लिए शिक्षण के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों, पद्धतियों से सबंधित विभिन्न अवधि के अनिवार्य व स्वैच्छिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाए, जिसमें भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
3. सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप के वर्तमान मॉडल में परिवर्तन कर छात्रों को सीखने के समृद्ध अवसर व उन पर शिक्षक प्रशिक्षकों का सतत मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाए।
4. एन.ई.पी.-2020 चार वर्षीय एकीकृत बी. एड. पाठ्यक्रम को शिक्षक बनने की बुनियादी अहर्ता के रूप में देखती है, ऐसे में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों (फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी) हेतु एकीकृत बी.एड. के अतिरिक्त प्रत्येक स्तर के शिक्षकों के लिए सेवापूर्व विशेषीकृत कोर्स चलाए जाने चाहिए।
5. चार वर्षीय एकीकृत बी. एड. कार्यक्रम में स्नातक विषय, शिक्षा स्नातक के विषय व प्रायोगिक/व्यावहारिक पक्ष का उपयुक्त अनुपात में स्थान सुनिश्चित किया जाए।
6. मनोविज्ञान और सीखने के सिद्धांत, विषयवस्तु और शिक्षण विधियों की समझ के साथ संवैधानिक मूल्यों का समावेश तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक नज़रिए को विकसित किया जाए।
7. बीएड व अन्य सेवापूर्व कार्यक्रमों में छात्रों की नियमित उपस्थिति पर निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की जाए।
8. महिला टीचर ट्रेनी के लिए नियमों को लचीला बनाया जाए।
9. महाविद्यालयों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए, जिसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों का ऑनलाइन डाटा सभी को दिखे और अपने किए कार्य को दिखा सके।
10. NCTE, NCERT व RSCERT आपस में अपने किए कार्य को कॉलेज शिक्षा विभाग को साझा करें तथा पर्यवेक्षण करें।
11. हर जिला मुख्यालय पर मॉडल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोला जाए।

11.2. सेवारत शिक्षक-शिक्षा प्रबंधन हेतु अनुशंसाएँ/ सुझाव

1. शिक्षकों की आवश्यकता और उनकी चुनौतियों को वर्गीकरण कर आवश्यकता समूहों की पहचान की जाए,चिन्हित समस्याओं और चुनौतियों पर आधारित उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण, शिक्षकों की आवश्यकतानुसार संचालित किए जाएँ।
2. शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण विषयों के साथ सामाजिक, भावात्मक, नैतिक मूल्यों, प्रबंधन व लीडरशिप, व्यक्तित्व विकास से संबंधित मुद्दों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाए।
3. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों के चयन हेतु तय मानदंडों के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर, अभ्यर्थी के कौशलों एवं विषय आधारित लिखित आकलन, प्रदर्शन (डेमो) सत्र, साक्षात्कार जैसे चरणों से होती हुई, वरीयता सूची के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षक के चयन की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य विशेषज्ञों, सेवानिवृत शिक्षकों/शिक्षा से जुड़े कार्मिकों को भी इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए
4. प्रशिक्षण पश्चात शिक्षकों से सतत जुड़ाव बनाया जाए तथा समय-समय पर उन्हें आवश्यक संबलन प्रदान किए जाए। इस हेतु PEEO या क्लस्टर स्तर पर मेन्टर टीचर तथा ब्लॉक लेवल पर संदर्भ व्यक्तियों की व्यवस्था हो।
5. शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास हेतु उपयुक्त प्रशिक्षणों की सहज उपलब्धता हो। इस हेतु शिक्षकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों mode में स्व अध्ययन हेतु सामग्री की उपलब्धता होना जरूरी है।

RSCERT, UDAIPUR

6. प्रशिक्षणों में व्याख्यान पद्धति का इस्तेमाल कम व सत्र को अंतःक्रियात्मक बनाने के लिए शिक्षकों को समूह चर्चा, अभ्यास कार्य के माध्यम से अनुभवपरक ज्ञान निर्माण के अवसर दिए जाए।
7. प्रशिक्षण स्थल पर अनुकूल स्थितियों व सभी प्रकार के आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा प्रशिक्षणों हेतु समुचित बजट आवंटित किया जाए।
8. ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो कोर्स करते हैं, उनका आर्थिक लाभ दिया जाए।

11.3. अन्य सुझाव

1. सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षकों के लिए एक्सटेंशन लेक्चर (प्रसार व्याख्यान) की व्यवस्था हो।
2. शिक्षक प्रशिक्षक को अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य के आधार पर अपना शिक्षण कौशल एवं कक्षा-कक्ष व्यवस्था को अद्यतन करने की स्वतंत्रता हो।
3. प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड सुनिश्चित किया जाए।
4. कक्षा-कक्ष शिक्षण विषयों के साथ-साथ साहित्य, कला,दर्शन आदि का बहु अनुशासनात्मक जुड़ाव सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया जाना सार्थक होगा।
5. भौगोलिक संस्कृति के साथ-साथ निकटवर्ती या पड़ोसी राष्ट्रों की विशेषताओं को भी शिक्षक-शिक्षा के परिदृश्य में शामिल करना चाहिए।जैसे नेपाल का आदर्श वाक्य 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' है। जो कि भारत के आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते ' का विस्तृत स्वरूप है। इसी तरह कंबोडिया व अन्य राष्ट्रों से सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जुड़ाव का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
6. स्थानीय परिदृश्य के खानपान का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना अपेक्षित है, जिससे एक भारत, समृद्ध भारत की संकल्पना सार्थक सिद्ध हो।
7. अन्य राज्यों में शिक्षक शिक्षा में किए जा रहे नवाचारों को स्थानीय स्तर पर मूर्त रूप देने की व्यवस्था करने से प्रशिक्षण का दायरा व्यापक होगा।
8. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए किसी छात्र को गोद लेना अनिवार्य किया जाए, जिससे वह उसे एक लंबे समय तक मार्गदर्शन दे सके, साथ ही उसके डेटाबेस का भी सतत रिकॉर्ड रखे। यह रिकॉर्ड भविष्य में आउटकम बेस्ड एजुकेशन में सहायक होगा।

11.4. क्रियान्वयन हेतु अगले कदम

शिक्षक-शिक्षा की यह पाठ्यचर्या अभी संकल्पना के रूप में ही है - यह व्यावहारिक रूप ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि निम्नांकित कदम उठाये जाएँ :-

a. पाठ्यचर्या का सरल और छोटा रूप विकसित करना, जिसे हर स्तर पर शिक्षक, प्रशिक्षणार्थी, प्राचार्य, पर्यवेक्षक व अधिकारी तेजी से पढ़ कर समझ सकें।
b. सुझाए गए पाठ्यक्रमों पर नीतिगत निर्णय लिए जाने पर, उनका विकास किया जाए।
c. शिक्षकों से जुड़ी सामग्री, प्रशिक्षकों व प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रदर्शन मानक और शिक्षकों की पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित की जाए।
d. संस्थानों में सीखने-सिखाने के माहौल में अपेक्षित सुधार भी किया जाए।
e. पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को अपेक्षित प्रदर्शन मानकों के बारे में उन्मुखित कर उन्हें अवलोकन आधारित तरीके से उपयोग में लाने के लिए तैयार किया जाए।

RSCERT, UDAIPUR

संदर्भ सूची

1. पाठ्यचर्या के नवीनीकरण के लिए शिक्षक-शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र, 2009, https://ncert.nic.in/pdf/h_focus_group/Shikshak%20Shiksha.pdf
2. NCF 2005
3. सीटीइ फ्रेमवर्क
4. जौहरी एवं पाठक, *"भारतीय शिक्षा का इतिहास"* श्री विनोद पुस्तक मंदिर।
5. जे.ई. ग्रीन, *"स्कूल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन"*
6. दशोरा एवं पाठक, *"भारत में शिक्षा व्यवस्था तथा विद्यालय संगठन"* अग्रवाल पब्लिकेशन,आगरा।
7. शर्मा,उपाध्याय एवं अन्य, "शिक्षक-शिक्षा" राधा प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड आगरा।
8. सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, डी.एल.एड.पाठ्यक्रम, एस.आई.इ.आर.टी. 2013)
9. राष्ट्रीय मूल्यांकन एंव प्रत्यायन परिषद्, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट
10. RSCF/शिक्षक-शिक्षा एवं वेल्बिंग ड्राफ्ट version 6.5
11. एन.ई.पी. 2020 - पैरा 5.20
12. https://educationsector.rajasthan.gov.in/content/raj/education/en/school-sec-education/stateinstituteofeducationalresearchandtrainingudaipur/departments/PEF.html
13. Phil Gravestock, University of Wolverhampton, presented at Institute of Physics, May 2017, Building momentum towards inclusive learning and teaching http://www.iop.org/publications/iop/2017/page_69352.html
14. https://www.imperial.ac.uk/staff/educational-development/teaching-toolkit/inclusive-learning-and-teaching/what-is-inclusive-learning-and-teaching-and-why-is-it-important/
15. https://www.heacademy.ac.uk/download/framework-student-access-retention-attainment-and-progression-higher-education
16. Ignited Mind- Dr. A.P.J. Abdulkalam
17. The Education of John Holt, Mel Allen 1981,
18. दिवास्वप्न, गिजुभाई बधेका, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली २०११
19. माता पिता के प्रश्न, गिजुभाईबधेका, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली २०११
20. ए.एस. नील, हिंदी अनुवाद पुरवा याज्ञिक कुशवाह,एकलव्य प्रकाशन, भोपाल 2004
21. बच्चे और बचपन, D.El.Ed. First Year, RSIERT,2012,
22. समरहिल स्कुल-A.S.Neil,
23. How Children are fail- John Holt,
24. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी, D.El.Ed. First Year, SIERT,2012,
25. English Language teaching & pedagogy, D.El.Ed. First Year, SIERT,2012,
26. School Internship Programme, (2017, Updated 4.3.2022) by Department of Primary Education Rajasthan
27. डी एल एड पाठ्यक्रम, SIERT,2012
28. Pedagogic Practices at Elementary Level, Multi-grade Teaching and Learning Activities, Teaching in Other Contexts – e gyankosh
29. राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020: क्रियान्वयन,सम्भावनाएँ व चुनोतियां विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी, शिक्षा संकाय जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड विश्विद्यालय) उदयपुर द्वारा 27 मई 2022 को आयोजित
30. NCERT. (2005). NCF-2005. MHRD.
31. Ministry of Education. (2019). Draft NEP 2020. New Delhi. GoI.

RSCERT, UDAIPUR

32. MHRD. (1992). Yashpal Committee Report: learning without burden. New Delhi. GoI.
33. DLC & Mobile Survey
34. NCFTE 2009
35. GoI. (2009). Right to Free and Compulsory Education Act, 2009.
36. NCERT. (2017). National Achievement Survey - 2017.
37. Blended Mode of Teaching and Learning: Concept Note University Grants Commission New Delhi
38. भाषा कला एवं संस्कृति के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- डॉ. अमित कुमार दवे http://dramitdave2021.blogspot.com/2022/05/2020.html
39. एंट्री ओर एक्ज़िट होगी सुविधाजनक, प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत, राजस्थान पत्रिका 11 अप्रैल 2021।
40. संसद में बहस, 2 अगस्त 2021, राजस्थान पत्रिका
41. नन्द घर बुझा रहे शिक्षा की प्यास, दैनिक भास्कर,28.2.2022
42. एम् पी यूए टी में पहला एग्री ड्रोन लॉन्च ......, प्रोफ़ेसर एन एस राठोड, दैनिक भास्कर दिनांक 27 मई 2002

⌘❖⌘❖⌘❖⌘

RSCERT UDAIPUR

Acknowledgements

निदेशक

श्रीमती कविता पाठक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,उदयपुर

नोडल अधिकारी	**तकनीकी नोडल अधिकारी**
श्री शिवजी गौड़	**श्री कमलेन्द्र सिंह राणावत**
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,उदयपुर	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,उदयपुर

Mandate Group for State Curriculum Frameworks

- श्री कृष्ण कुणाल (IAS)
- श्रीमती कविता पाठक (RAS)
- श्री कमलेन्द्र सिंह राणावत
- श्री चन्द्रशेखर दुबे
- श्री कैलाश चन्द्र तेली
- श्री सुरेन्द्र सिंह गौड़
- डॉ. विनोद शर्मा
- श्री चेनाराम सिरवी
- श्री बन्ना राम रैगर
- डॉ. अमित शर्मा

Special Contribution (विशेष सहयोग) :

- प्रो. इन्द्रवर्धन त्रिवेदी, VC गोविन्दगुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा
- प्रो. एन. एस. राठौड़, VC महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
- प्रो. एस. एस. सारगंदेवोत, VC जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, उदयपुर
- प्रो. अनुराग बेहर, VC अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बैंगलूरू
- प्रो. रोहित धनकर, शिक्षाविद एवं अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन जयपुर
- प्रो. दिशा नवानी, डीन, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशियल साईन्स, मुम्बई
- प्रो. कल्याण सिंह शेखावत, पूर्व विभागाध्यक्ष राजस्थानी, JNVU जोधपुर
- प्रो. रंजना अरोड़ा, एन.सी.ई.आर.टी., NCF नोडल अधिकारी
- डॉ. प्रतिमा कुमारी,एन.सी.ई.आर.टी., SCF नोडल अधिकारी राजस्थान
- प्रो. के. बी. रथ, पूर्व प्राचार्य RIE अजमेर
- प्रो. एस. वी. शर्मा प्राचार्य RIE अजमेर

RSCERT, UDAIPUR

State Steering Committee for State Curriculum Frameworks

शिक्षक शिक्षा के राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा की राज्य स्तरीय संचालन समिति

क्र.स.	सदस्य नाम	समिति में पद	पदस्थापन
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रा.शि.आ) विभाग, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष	पदेन
2	आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,जयपुर	सदस्य	पदेन
3	निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर	सदस्य	पदेन
4	निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,उदयपुर	सदस्य सचिव	पदेन
5	विशेषज्ञ–1 डॉ.रोहित धनकर	सदस्य	सदस्य एन.सी.एफ.2005 एवं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय
6	विशेषज्ञ–2 डॉ.प्रतिमा कुमारी	सदस्य	एसोसिएट प्रोफेसर एवं SCF नोडल अधिकारी राजस्थान,एन.सी.ई.आर.टी.,नई दिल्ली
7	विशेषज्ञ–3 श्री सुबीर शुक्ला	सदस्य	निदेशक इग्नस, नई दिल्ली
8	विशेषज्ञ–4 श्री जितेन्द्र शर्मा	सदस्य	शिक्षा अधिकारी, यूनिसेफ जयपुर
9	विशेषज्ञ–5 प्रो.राजाराम शर्मा	सदस्य	प्रभागाध्यक्ष, सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी प्रभाग एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली
10	विशेषज्ञ–6 डॉ. मोहम्मद सलीम खान	सदस्य	सेवानिवृत उपनिदेशक, शिक्षा विभाग
11	विशेषज्ञ–7 डॉ. खेल शंकर व्यास	सदस्य	निदेशक, शिक्षक शिक्षा पेसिफिक विश्वविद्यालय,उदयपुर

RSCERT, UDAIPUR

SCF विकास हेतु 25 फोकस पेपर एवं आरएससीईआरटी, उदयपुर संबंधित प्रभारी

फोसक पेपर क्रमांक	पोजिशन पेपर	चेयर पर्सन	प्द	मेंबर सेक्रेटरी	पद
1	Philosophy and Aims of Education	श्री कमलेन्द्र सिंह राणावत	प्रोफेसर–1	डॉ. योगेन्द्र श्रीमाली	एसो. प्रोफेसर
2	Value Education	श्री कमलेन्द्र सिंह राणावत	प्रोफेसर–1	डॉ. योगेन्द्र श्रीमाली	एसो. प्रोफेसर
3	Equity in Education-Gender Education	डॉ. आभा शर्मा	एसो. प्रोफेसर	श्री थानसिंह	असि. प्रोफेसर
4	Inclusive Education & Community in Education	डॉ. आभा शर्मा	एसो. प्रोफेसर	श्री थानसिंह	असि. प्रोफेसर
5	Curriculum and Pedagogy	डॉ. विनोद कुमार शर्मा	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती दीप कँवर राजवी	एसो. प्रोफेसर
6	Assessment & Reform in Examination	डॉ. विनोद कुमार शर्मा	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती दीप कँवर राजवी	एसो. प्रोफेसर
7	Health and Well-being	श्रीमती कपिला कण्ठालिया	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती अनामिका चौधरी	असि. प्रोफेसर
8	Guidance and Counselling	श्रीमती कपिला कण्ठालिया	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती अनामिका चौधरी	असि. प्रोफेसर
9	Linkage between school and higher education	डॉ. शालिनी शर्मा	एसो. प्रोफेसर	डॉ. नवनीत शर्मा	असि. प्रोफेसर
10	Alternative Ways of Schooling	डॉ. मनीषा उज्वल	एसो. प्रोफेसर	डॉ. रिपुदमन सिंह उज्ज्वल	असि. प्रोफेसर
11	Vocational Education	डॉ. मनीषा उज्वल	एसो. प्रोफेसर	डॉ. आभा शर्मा	एसो. प्रोफेसर
12	Knowledge of India	डॉ. शालिनी शर्मा	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती इन्द्रा शर्मा	असि. प्रोफेसर
13	Publication of Textual and Non-textual Material	श्री कमलेन्द्र सिंह राणावत	प्रोफेसर–1	डॉ. नीना शेखावत	असि. प्रोफेसर
14	Emerging role of Community in Education	श्रीमती इन्द्रा सोनगरा	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती कपिला कण्ठालिया	एसो. प्रोफेसर
15	School Governance and Leadership	श्रीमती इन्द्रा सोनगरा	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती कपिला कण्ठालिया	एसो. प्रोफेसर
16	Education Technology for School Education	श्रीमती इन्द्रा सोनगरा	एसो. प्रोफेसर	श्री रोहताश	असि. प्रोफेसर
17	Adult Education	श्रीमती दीप कँवर राजवी	एसो. प्रोफेसर	डॉ. आभा शर्मा	एसो. प्रोफेसर
18	Science Education	डॉ. विनोद कुमार शर्मा	एसो. प्रोफेसर	डॉ. ललिता जैन	असि. प्रोफेसर
19	Environmental Education	डॉ. शालिनी शर्मा	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती शशिबाला कालरा	असि. प्रोफेसर
20	Mathematics Education & Computational Thinking	डॉ. आभा शर्मा	एसो. प्रोफेसर	डॉ. जयश्री माथुर	असि. प्रोफेसर
21	Pre-School Education & FLN	डॉ. मनीषा उज्वल	एसो. प्रोफेसर	श्री बन्नाराम रैगर	असि. प्रोफेसर
22	Teacher Education	डॉ. विनोद कुमार शर्मा	एसो. प्रोफेसर	श्री चेनाराम सिरवी	असि. प्रोफेसर

RSCERT UDAIPUR

23	Education in Social Science	श्रीमती कपिला कण्ठालिया	एसो. प्रोफेसर	श्रीमती इन्द्रा सोनगरा	एसो. प्रोफेसर
24	Arts Education	श्रीमती दीप कँवर राजवी	एसो. प्रोफेसर	श्री सूरज सोनी	असि. प्रोफेसर
25	Language Education	डॉ. मनीषा उज्वल	एसो. प्रोफेसर	श्री नरेश पँवार	असि. प्रोफेसर

सहयोगी विभाग

1. स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान
2. समग्र शिक्षा अभियान
3. महिला एवं बालविकास विभाग
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
6. साक्षरता विभाग
7. स्टेट फोकस ग्रुप के सदस्य
8. 6020 सर्वे के माध्यम से शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, नागरिक, स्वयंसेवी संगठन आदि द्वारा प्राप्त सुझाव
9. जिला स्तर पर 7 डिस्ट्रीक्ट लेवल कन्सलटेशन की 28 रिपोर्टस द्वारा प्राप्त सुझाव
10. राज्य की पाठ्यचर्या विकास में अधिकाधिक लोगों के अनुभव, विचार, सुझाव आदि को शामिल कर राज्य की पाठ्यचर्या को बेहतर स्वरूप में विकसित करने के प्रयास के लिए ऑनलाईन चयन–प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभागियों का चयनित किया गया। कुल 1683 आवेदन किए संभागियों में से 410 संभागियों को चयनित किया गया, जिसमें से 250 संभागियों ने नियमित लेखन कार्य में सहयोग किया

सहयोगी संस्थाओं का समूह

1. यूनिसेफ
2. इग्नस पहल
3. अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन
4. पिरामल फाउण्डेशन
5. रूम टू रीड इण्डिया ट्रस्ट
6. क्षमतालय फाउण्डेशन
7. सी.एम.एफ.टाटा ट्रस्ट
8. सेव द चिल्ड्रन
9. विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी
10. स्टरलाइट एड इण्डिया फाउण्डेशन
11. निर्माण सोसाइटी

RSCERT, UDAIPUR

भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य: भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षण बनाये रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृतत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जुन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न ओर उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके।
11. यदि माता पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

RSCERT, UDAIPUR

उत्तिष्ठत
जाग्रत
प्राप्य
वरान्निबोधत।

उठो, जागो और ध्येय
की प्राप्ति तक रूको मत।

ARISE, AWAKE AND STOP NOT UNTIL THE GOAL IS REACHED.

RSCERT, UDAIPUR